लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 51 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 14—शुक्रवार, 4 मार्च, 1966/13 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 14—*Friday, March* 4, 1966/*Phalguna* 13, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
358	अम्बर चर्खा	Ambar Charkha . . .	4145–48
359	रेलवे कर्मचारियों के लिए सस्ते अनाज की दुकानें	Cheap Grainshops for Railway Employees	4148–51
360	टेलिविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T. V. Sets .	4152–54
361	एच० एम० टी० के तैयार माल का निर्यात	Export of H.M.T. Products .	4155–57
362	हिसार (पंजाब) में इस्पात संयंत्र	Steel Plant at Hissar (Punjab) .	4158–59
363	कोयला सप्लाई करने के लिए चार पहियों वाले वैगन	Whether Wagons of Supply of Coal	4159–60
364	यूगोस्लाविया का व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Trade Delegation from Yugoslavia	4160–61
365	अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार	Trade with African Countries .	4161–63
366	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	National Mineral Development Corporation	4163–64

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
367	राज्य व्यापार द्वारा निर्यात तथा आयात	Exports and Imports by S.T.C. .	4164–65
368	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Durgapur Steel Plant	4165–66
369	गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों पर विदेशी मुद्रा की कमी का प्रभाव	Effects of Foreign Exchange Shortage on Private and Public Sector Industries . . .	4166–67

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
370	विज्ञान सम्बन्धी यंत्रों तथा पुर्जों का आयात	Import of Scientific Instruments and Components . . .	4167
372	आटो साइकिलों का निर्माण	Manufacture of Auto-cycles	4167–68
373	प्रदर्शन कक्ष	Show Rooms . . .	4168–69
374	निर्यात नीति	Export Policy . . .	4169
375	के–62 कल्याणी स्थानीय रेलगाडी में लूट की घटना	Robbery in K-62 Kalyani Local Train	4169
376	थाईलैंड से कच्चे पटसन की खरीद	Purchase of raw jute from Thailand	4170
377	आस्ट्रेलया को निर्यात	Exports to Australia .	4170
378	रियायती रेलव पास/पी०टी०ओ०	Privilege Passes/P.T.Os. .	4171
379	कपडा उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Industry	4171
380	ट्रकों का निर्माण	Production of Trucks . .	4171–72
381	प्रयुक्त रेल टिकटों की जालसाजी करने वालों का गिरोह	Used Rail Tickets Racket .	4172
382	एक्सप्रेस तथा डाक रेलगाड़ियों की गति में वृद्धि	Increase in the speed of Express and Mail Trains . . .	4173
383	उत्तर रेलवे के कर्मचारियों के सम्मान में युद्ध स्मारक	War Memorials in Honour of Northern Railway Workers .	4173
384	रेलवे मेजिस्ट्रेट रतलाम	Railway Magistrate, Ratlam .	4173–74
385	कोयला खानों की रायल्टी	Royalty of Coal Mines .	4174
386	प्रसाधन सामग्री का आयात	Import of Cosmetics	4174–75

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1556	झाझे स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर सायबान (शेड्स) और मनाहघर (शैल्टर्स)	Sheds and Shelters at Jhajha Station (Eastern Railway) . .	4175
1557	कोयला खानों का विकास	Development of Coal Mines	4175
1558	केरल में सोने के लिए सर्वेक्षण	Survey for Gold in Kerala	4175
1559	केरल में नारियल जटा उद्योग	Coir Industry in Kerala . .	4176
1560	हथकरघा उत्पादों का बाजार अनुसंघ सर्वेक्षण	Market Research Survey of Handloom Products . . .	4176

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1561	शिल्पियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार	National Awards for Craftsmen .	4176–77
1562	पठानकोट-कथुआ रेलवे लाइन	Pathankot-Kathua Rail Link	4177
1563	इलेक्ट्रानिक्स कारखाना	Electronics Factory . .	4177–78
1564	पहलेजाघाट और हरखुआ के बीच सीधा जाने वाला डिब्बा	Thorough Coach between Palezaghat and Harkhua . .	4178
1565	रूस से मशीनों का आयात	Import of Machinery from U.S.S.R.	4178
1567	चेरबत्तूर केरल के पास रेलवे फाटक	Railway Crossing near Cheruvathur (Kerala) . . .	4178–79
1568	नेवेली लिग्नाईट कार पोरेश के अभियन्ता	Engineer of Neveli lignight Corporation . . .	
1569	ट्रांजिस्टर सैलों की कमी	Shortage of Transistor Cells	4179
1570	अंध गूंगे और बहरे बच्चों की शिक्षा	Education of Blind, Deaf and Dumb Children . . .	4180
1571	लघु उद्योग एम्पोरियम (भंडार), नई दिल्ली	Cottage Industries Emporium, New Delhi	4180
1572	खादी ग्रामोद्योग केन्द्रों में धन का गबन किया जाना	Misappropriation of Money in the Khadi Gramodyog Centres .	4180–81
1573	आई० ओ० डब्ल्यू० सी०, जावर (पश्चिम रेलवे) के पास आग दुघटना	Fire Accident near I.O.W.C. Jawar (Western Railway) .	4181
1574	वाणिज्यिक जानकारी विभाग	Department of Commercial Intelligence	4181–82
1575	रेलवे में भ्रष्टाचार	Corruption on Railways .	4182–83
1576	कागज मिल	Paper Mill . .	4183
1577	खाद्यान्नों के सुरक्षण के लिए मोमी कागज का उत्पादन	Production of Wax Paper for Preservation of Foodgrains . .	4183
1579	प्रशुल्क पुनरीक्षण समिति	Tariff Revision Committee .	4183–84
1580	पूर्व निर्मित घर	Pre-fabricated Houses . .	4184
1581	बिड़ला उद्योगसमूह द्वारा विदेशी सहयोग प्राप्त करना	Foreign Collaboration by Birlas .	4184
1582	चाय का निर्यात	Export of Tea . .	4185
1583	आरा रेलवे स्टेशन पर अमरीकी गेहूं का बेचा जाना	Selling of American Wheat at Arrah Railway Station . .	4185

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1584	मेंगनीज अयस्क सम्बन्धी समिति	Committee on Manganese Ore .	4185-86
1585	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन प्रोत्साहन योजना	Incentive Scheme under Hindustan Steel Ltd.	4186-87
1586	मद्रास बीच तथा ताम्बरम के बीच उपनगरीय बिजली गाड़ी	Suburban Electric Train between Madras Beach and Tambaram .	4187
1587	लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्था	Small Industries Extension Training Institute	4188-89
1588	श्री लंका को कोयले का संभरण	Supply of Coal to Ceylon .	4189
1589	पटसन मिलों में आग लगने की घटनायें	Fire in Jute Mills . .	4189
1590	इस्पात और खनन उद्योगों का विकास	Development of Steel and Mining Industries	4189-90
1591	उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में जूते बनाने का कारखाना	Public Sector Shoe Factory in U.P.	4190
1592	ट्रकों का उत्पादन	Production of Trucks	4190-91
1593	छोट चाय बागान	Small Tea Gardens .	4191
1594	गोआ में बड़ी रेलव लाइन	Broad Gauge Line in Goa	4191-92
1595	लोह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore . .	4192
1596	कैलशियम कार्बाइड की कमी	Shortage of Calcium Carbide	4192-93
1597	कोटा रेलवे स्टेशन	Kota Railway Station . .	4193
1598	विकलांग रेलवे कर्मचारियों को प्रतिकर	Compensation to Disabled Railway Employees. . . .	4193
1599	लालगढ रेलवे वर्कशाप के निकट अस्पताल	Hospital near Lalgarh Railway Workshop	4194
1600	खतरे की जंजीर खींचने की घटनाएं	Alarm Chain Pulling. .	4194
1601	विकी मोपेड स्कूटरैट	Vicky Moped Scooterette .	4194-95
1602	अल्यमिनियम की उत्पादन क्षमता	Aluminium Capacity	4195-96
1603	बन्दूकों का निर्माण	Manufacture of Guns .	4196
1604	संयुक्त अरब गणराज्य से रोक फौसफट (फौसफट मिट्टी)	Rock Phosphate from U.A.R	4196
1605	खालों का निर्यात	Export of Skin	4197
1606	सर्प विष का निर्यात	Export of Snake Venom .	4197

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1607	विदेशी फिल्में	Foreign Films . .	4197–98
1608	मध्य प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey of M.P.	4198–99
1609	मध्य प्रदेश का वैमानिक सर्वेक्षण	Aerial Survey of M.P.	4199
1610	गोदावरी पर रेलवे पुल	Railway Bridge on Godavari	4199
1611	ब्रिटन के साथ व्यापार	Trade with U.K.	4200–01
1612	मैसूर में बिजली के सामान का बनाया जाना	Manufacture of Electrical Equipment in Mysore . . .	4201
1613	आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड	Inventions Promotion Board	4201
1614	कोयले की खपत में कमी	Fall in Coal Consumption	4201–02
1615	बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel	4202
1616	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण	Pre-examination Training for S.C. & S.T. Students . .	4202–03
1617	मद्रास स्टेशन के निकट ऊपरी पुल	Overbridge near Madras Station .	4203
1618	अफगनिस्तान से सूखे फलों का आयात	Import of Dry Fruits from Afghanistan	4203
1619	नंगल में अखबारी कागज का कारखाना	News Print Paper Mill in Nangal	4203
1620	पंजाब में खादी का उत्पादन	Khadi Produced in Punjab .	4203–04
1621	पंजाब में नई रेलवे लाइनों का बिछाया जाना	Construction of New Railway Lines in Punjab . . .	4204
1622	नंगल बांध मेरठ छावनी सेक्शन पर गार्ड ब्रेक वान	Guard's Brake Vans on the Nangal Dam Meerut Cantt. Section.	4204
1623	भिखारियों को रोजगार देने के लिये सुधार	After-Care Homes for Providing Employment to Beggars . .	4204
1624	कोरी फिल्म उद्योग	Raw Film Industry .	4204–05
1625	वातानुकूलित तथा प्रथम श्रेणी के डिब्बों का हटाया जाना	Withdrawal of the Air Conditioned and First Class Accommodation	4205
1626	बनगांव सेक्शन में बिजली से चलने वाली रेल गाड़ियां	Running of Electric Trains in the Bangaon Section . . .	4205
1627	रेलवे इंजनों तथा डिब्बों का निरीक्षण	Testing of Locomotives and Engines	4205–06

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1628	उर्वरकों के लिये विश्व भर के देशों से टेन्डरों का मांगा जाना	Global Tenders for Fertilisers .	4206
1629	खनिज तथा धातु व्यापार निगम	Minerals and Metals Trading Corporation	4206–07
1630	राष्ट्रीय लघु उद्योग सम्मेलन	National Small Scale Industries Conference	4207
1631	हिन्दुस्तान मशीनी औजार समवाय द्वारा निर्मित अति सूक्ष्म खराद का निर्यात	Export of High Precision Lathe Manufactured by H.M.T. .	4207
1632	वस्त्र निर्माण केन्द्र	Textile Production Centres	4208
1633	रेजर ब्लेडों का निर्माण	Production of Razor Blades	4208
1634	उड़ीसा के लिये जस्ती जालीदार चादरें	G.C. Sheets for Orissa .	4208–09
1635	उड़ीसा के लिये बेदाग	Stainless Steel for Orissa . .	4209
1636	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसान	S.C. and S.T. Agriculturists in Orissa	4209–10
1637	राजस्थान में आदिम जाति खंड	Tribal Blocks in Rajasthan . .	4210
1638	दक्षिण पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले	Corruption cases on S. E. Railway	4210
1639	दक्षिण पूर्व रेलवे में बिजली लगे हुए स्टेशन	Electrified Stations on S. E. Railway	4211
1640	कोका कोला उद्योग	Coca Cola Industry . . .	4211
1641	पश्चिम जर्मनी से धातुमल (स्लैग) का आयात	Import of Slag from West Germany	421
1642	चतुर्थ श्रेणी के सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों को रेलवे पास	Railway Pass to Retired Class IV Railway Employees . .	4211–12
1643	पाकिस्तान के साथ व्यापार	Trade with Pakistan . . .	4212
1644	तिरुनेलवली जंक्शन पर प्लैटफार्म	Platforms at Tirunelveli Junction	4212
1645	तिरुनेलवेली जंक्शन के निकट ऊपरी पुल	Over-Bridge near Tirunelveli Junction	4212–13
1646	सदर्न एक्सप्रेस रेलगाड़ी	Southern Express . .	4213
1647	रेलगाड़ियों की गति को बढ़ाना	Improvement in the Speed of Trains	4213

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1648	भिलाई में ऊष्म-सह संयंत्र (रि-फ्रैक्टरी प्लांट)	Refractories Plant at Bhilai .	4214
1649	डुगडा में कोयला धोने का संयंत्र	Coal Washery at Dugda . .	4214
1650	त्रिपुरा का भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey of Tripura .	4214
1651	पूर्व रेलवे में छंटनी	Retrenchment on the Eastern Railway	4215
1652	रेलव कालोनी, इज्जतनगर	Railway Colony, Izatnagar .	4215
1653	हथकरघा उद्योग	Handloom Industry . . .	4215–16
1654	ाड गेज तथा मीटर गेज रेलवे लाइनें	B. G. and M. G. Railway Lines	4216
1655	गोगमेड़ी स्टेशन के निकट रेलवे फाटक का हटाया जाना	Shifting of Railway Crossing near Gogameri Station . .	4216
1656	बम्बई दिल्ली रेलवे लाइन की दुहरी लाइन	Doubling of Bombay-Delhi Railway Line	4217
1657	कोटा तथा बीना के बीच चलने वाली रेलवे गाड़ियों के साथ जोड़ा जाने वाला चिकित्सा डिब्बा	Dispensary van attached to Trains between Kota and Bina .	4217
1658	कोचीन कोयम्बतूर रेलवे लाइन	Cochin Coimbator Railway Line .	4227–18
1659	दिल्ली में औद्योगिक संस्थान	Industrial Units in Delhi . .	4218
1660	बादली औद्योगिक बस्ती	Badli Industrial Estate . .	4218
1661	भारतीय फिल्मों द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन	Earning of Foreign Exchange by Indian Films . . .	4219
1662	रेलवे में चोरियां	Thefts on Railways .	4219
1663	कागज का आयात	Import of Paper . . .	4219–20
1664	विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के व्यापार विभाग	Commercial Departments of Indian Missions Abroad . . .	4220
1665	पूर्व रेलवे पर तेज रेलगाड़ियां	Fast Trains on Eastern Railway	4220
1666	मोटरकारों तथा ट्रकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले आयातित पुर्जो के स्थान पर काम आनेवाले पुर्जे	Import Substitution in Components used in the manufacture of Motor cars and Trucks . .	4220–21
1667	संगणकों (कम्प्यूटरों) का निर्माण	Manufacture of Computors .	4221–22
1668	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के अभियंता (इंजीनियर)	Engineers of Neyveli Lignite Corporation	4222

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1669	मद्रास और नई दिल्ली के बीच भोजन-यान (डाइनिंग कार)	Dining Cars between Madras and New Delhi	4222–23
1670	इज्जतनगर के रेलवे कर्मचारियों पर लगाया गया कर	Tax Imposed on Railway Employees of Izatnagar . . .	4223
1671	रेलवे द्वारा जिला परिषद्, बरेली को दी गई कर की राशि	Tax Paid by Railways to Zila Parishad, Bareilly . . .	4223–24
1672	इज्जतनगर के रेलवे कर्मचारियों पर लगाया गया कर	Tax Imposed on Railway Employees of Izatnagar . .	4224
1673	इज्जतनगर के रेलवे कर्मचारियों पर लगाया गया कर	Tax Imposed on Railway Employees of Izatnagar . .	4224
1674	गोरखपुर स्टेशन पर प्लेटफार्म	Platforms at Gorakhpur Station .	4224–25
1675	कुम्भ मेले के लिये रेलगाड़ियां	Trains for Kumbha Mela .	4225
1676	नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines . .	4225–26
1677	सिसवा भैंसा रेलवे लाइन	Siswa-Bhainsa Railway Line .	4226
1678	नियमों तथा आदेशों की पुस्तिका का हिन्दी अनुवाद	Hindi Translation of Manual of Rules and Orders . . .	4226–27
1679	पूर्वोत्तर रेलवे में वातानुकूलित डिब्बों में तैनात व्यक्ति	Persons attached to the A.C. Coaches on N.E. Railway . .	4227
1680	लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कमचारी	Class IV Railway Employees of Lucknow	4227
1681	विद्युत चालित करघों के लाइसेंस देना	Licensing of Powerlooms . .	4227–28
1682	रेलवे में व्हील गैजर और रिपक्कर	Wheel Gauges and Repackers on Railways	4228
1683	रेलवे का विकास	Railway Development Programme	4228–29
1684	जौनपुर (उत्तर प्रदेश) में स्कूटर कारखाना	Scooter Factory at Jaunpur (U.P.)	4229
1685	सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को पशन लाभ	Pension Benefit to Retired Railway Employees	4229
1686	सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखानों के जनरल मैनेजरों के अधिकार	Powers of General Managers of Steel Plants in Public Sector .	4230
1687	खलीलाबाद (पूर्वोत्तर रेलव) में दुर्घटना	Accident at Khailabad, North Eastern Railway . . .	4230
1688	होस्पेट इस्पात कारखाना	Hospet Steel Plant . . .	4230

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECTS	पृष्ठ PAGES
1689	पूरी और रूरकेला के बीच एक्सप्रेस गाड़ी — Express Train between Puri and Rourkela	4231
1690	भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन — Bhavnagar-Tarapur Railway Line	4231
	विशेषाधिकार का प्रश्न — Question of Privilege	4231–32
	व्यवस्था के प्रश्न के बारे में — Re. Point of Order .	4232–33
	सभा पटल पर रखे गये पत्र — Papers Laid on the Table	4234–35
	लोक लेखा समिती का प्रतिवेदन — Report of Public Accounts Committee	4235
	चवालीसवां प्रतिवेदन — Forty four Report	
	सभा का कार्य — Business of the House	
	रावलपिंडी में भारत-पाकिस्तान के मंत्रियों की बैठक के बारे में वक्तव्य— — Statement re. Indo-Pakistan Ministerial Meeting at Rawalpindi	4236–39
	श्री स्वर्ण सिंह — Shri Swaran Singh .	4239–44
	केरल आयव्ययक, 1966–67— — Kerala Budget, 1966-67—	
	विवरण उपस्थापित — Statement Presented—	
	श्री शचीन्द्र चौधरी — Shri Sachindra Chaudhuri .	4244–47
	रेलवे आयव्ययक, 1966-67–सामान्य चर्चा — Railway Budget 1966-67—General Discussion—	
	श्री अ० त्रि० शर्मा — Shri A. T Sarma .	4247–48
	डा० राम सुभग सिंह — Dr. Ram Subhag Singh	4248–51
	श्री राजाराम — Shri Raja Ram . . .	4251
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति— — Committee on Private Members' Bill and Resolutions—	
	उन्नासीवां प्रतिवेदन — Seventy-ninth Report .	4251–52
	उद्जनित वनस्पति तेलों के उत्पादन तथा आयात का निषेध विधेयक—पुर:स्थापित (श्री यशपाल सिंह का) — Prohibition of Manufacture and Import of Hydrogenated Vegetable Oils Bill Introduced (By Shri Yashpal Singh)	4252
	सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 92 का संशोधन) (श्री दी० चं० शर्मा) का वापिस किया गया— — Code of Civil Procedure (Amendment) Bill (Amendment of Secetion 92) by Shri D.C. Sharma Withdrawn—	
	विचार करने का प्रस्ताव — Motion to consider—	4252–53
	श्री दी० चं० शर्मा — Shri D. C. Sharma	4255–56

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	Shri P. R. Chakravarti	4253
श्री म० ला० द्विवेदी	Shri M. L. Dwivedi .	4253
डा० मा० श्री० अणे	Dr. M. S. Aney . . .	4253–54
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himmatsingka .	4254
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi .	4254
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन	Shri C. R. Pattabhi Raman	4254–55
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 22, 32 का संशोधन और अनुच्छेद 359 का हटाया जाना) (श्री मधु लिमये का)—	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 22, 32 and ommission of the article 359) by Shri Madhu Limaye—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	4256–58
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee .	4258–59
श्री रंगा	Shri Ranga .	4259–60
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	Shri P. R. Chakravarti	4260
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen .	4260–61
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	4261
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	4261
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	4262
श्री हुकुम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya	4262
श्री हाथी	Shri Hathi . .	4262–63
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Indian Audit and Accounts Department	4263
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
पैंतालीसवाँ प्रतिवेदन	Forty-fifth Report . .	4263

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 15—मंगलवार, 8 मार्च, 1966/17 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 15—*Tuesday, March* 8, 1966/*Phalguna* 17, 1887 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference .	4265–68

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.			
387	अमरीका से खाद्य सहायता	Food Aid from U. S. A. . .	4269
388	अमरीका से खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains from U.S.A.	4270
389	अमरीका के साथ पी० एल० 480 करार	P. L. 480 Agreement with U.S.A.	4270–76
390	राशन व्यवस्था	Rationing	4276–78
392	परादीप पत्तन	Paradeep Port	4278–80
393	चीनी सम्बन्धी सेन समिति	Sen Committee on Sugar . .	4280–82

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
394	दिल्ली में सड़कें	Roads in Delhi	4282
395	अमरीका से अनाज	Foodgrains from U. S. A. . .	4283
396	केरावैल विमानों की उड़ानें	Caravelle Flights . .	4283
397	खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains . .	4284
398	मध्य प्रदेश में भूख से मृत्यु	Starvation Deaths in Madhya Pradesh.	4285
399	विधान मण्डलों तथा न्यायपालिका के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद	Jurisdictional Conflict between Legislature and Judiciary .	4285
400	पंजाब की सड़क विकास योजनायें	Road Development Schemes for Punjab	4286
401	प्रबन्ध अभिकरणों संबंधी समिति	Committee on Managing Agencies	4286
402	अमरिका से कृषि सम्बन्धी सहायता	Agricultural Assistance from U.S.A.	4287
403	प्रशान्त क्षेत्र यात्रा संस्था सम्मेलन	Pacific Area Travel Association Conference	4287
404	चुनावों का लड़ा जाना	Contesting of Elections . .	4287
405	रबी की फसल (1966) की सम्भावनायें	Prospects of Rabi Crop (1966) .	4288
406	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवायें	I. A. C. Flights	4288

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 4 मार्च, 1966/13 फाल्गुन, 1887 (शक)

Friday, March 4, 1966/Phalguna 13, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्र० चं० बरुआ। गैरहाज़िर हैं। श्री म० ला० द्विवेदी।

श्री रा० गि० दुबे : प्रश्न संख्या 357।

अध्यक्ष महोदय : वह किसी दूसरे दिन की प्रश्न सूची में रख दिया गया है। शायद उन्होंने कार्य-सूची नहीं देखी है।

श्री म० ला० द्विवेदी : प्रश्न संख्या 358।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : प्रश्न संख्या 357 के बारे में क्या निश्चय किया गया है।[1]

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शफ़ी कुरेशी) : वह दूसरे दिन की प्रश्न सूची में रख दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कम से कम कार्य-सूची को पढ़ लिया करें।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अम्बर चर्खा

+

*358. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी आयोग ने हाल ही में अम्बर चर्खे का एक नया नमूना निकाला है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य महत्वपूर्ण विशेषता क्या है ; और

(ग) इसको लोकप्रिय बनाने तथा पुराने नमूने के अम्बर चर्खे के स्थान पर नया नमूने का अंबर चर्खा लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफ़ी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) (1) कारीगरों के प्रशिक्षण की अवधि में कमी;

(2) विभिन्न कार्यों के अलग अलग कर दिये जाने के कारण कारीगरों की दक्षता में वृद्धि;

(3) लम्बी अवधि तक कोई खराबी हुए बिना काम देना ;

(4) चूंकि यह चरखा पूरी तौर पर धातु का बना हुआ है इसलिये इस पर मौसम का जल्दी असर नहीं होता ; और

(5) उत्पादकता का अधिक होना, क्योंकि 8 घण्टे में हर चरखे से 15 से 20 मी० गुच्छी सूत काता जा सकता है।

(ग) अभी यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नये माडल के अम्बर चरखे का अब भी परीक्षण किया जा रहा है।

Shri M. L. Dwivedi : At what cost has the Ambar Charkha been invented ? What will be the cost of a piece if it is manufactured on a large scale ?

Shri Shafi Quareshi : It is estimated that one charkha will cost Rs. 2,950 and it will comprise 15 pieces.

Shri M. L. Dwivedi : Is there any such arrangement being made that is required, the charkha can be operated by electricity as well ?

Shri Shafi Quareshi : They are still carrying on research on this charkha. This charkha has been used in three centres in Madras and comments in this regard can only be made after a complete report has been received from there.

Shri Bhagawat Jha Azad : On the basis of experiments so far carried out, can the Honourable Minister state the difference in income from the present model as well as from the model being experimented ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : पिछले छः महीनों में इस बात का कई बार परीक्षण किया गया है और अभी चल रहा है। ऐसा अनुमान है कि उत्पादन चौगुना हो जायेगा और श्रम में 25%की बचत होगी।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह चर्खा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया गया है जो ग्राम उद्योग आयोग से संबंधित नहीं है ?

श्री मनुभाई शाह : जी, हां। इसे 'टेक्सटूल' के लिये कपड़ा मशीन उत्पादकों (टेक्सटाइल मशीन ी मन्यूफक्चर्स) द्वारा बनाया गया है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : जो माडल अब बनाया गया है उसकी क्या क्या विशेषतायें हैं और उसस कितने 'काउन्ट' तक बनाये जा सकते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : पुराने चर्खे की अपेक्षा जो धातु और लकड़ी का बना हुआ था, यह चर्खा केवल धातु का ही बना हुआ है। इस में इस्पात और "बाल वेयरिंग्ज़" भी हैं। इस में पहले की भांति चांदी की आवश्यकता नहीं है। अतः यह पुराने चर्खे की अपेक्षा आधुनिक तकनीकों से बहुत कुछ मिलता जुलता है।

Shri Madhu Limaye : At the time of the national movement the charkha, Khadi village industries etc. had special meaning. Now it has no meaning except financial assistance to *Will Government consider stopping expenditure to the time of crores of rupees on account of financial assistance ?

*अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाल दिया गया है।

श्री मनुभाई शाह : यह सही और उचित नहीं है कि ग्राम उद्योग कार्यक्रम.....* का पेट भर रहा है।

Shri Madhu Limaye : I am not accusing the *I am speaking about those who want to exploit his name.

श्री मनुभाई शाह : मैं इसका विरोध करता हूं और अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इतना भाग कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : वह निकाल दिया जायेगा।

श्री मनुभाई शाह : यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और चूंकि महात्मा गांधी ने इसे आरम्भ किया था इस कारण कोई हीन कार्यक्रम नहीं है। आज सारे देश का इस से लगाव है। आज भी 1500 से 1700 लाख व्यक्ति बेरोज़गार हैं। ग्राम उद्योगों ने ग्रामों में रहने वाले पुरुष और स्त्रियों में आर्थिक स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता का भाव जाग्रित किया है। जो राशि इस कार्यक्रम पर खर्च की जा रही है वह लोगों को इस से मिलने वाले संतोष की तुलना में कुछ भी नहीं है।

Mr. Speaker : Would you still continue ? I have been repeatedly asking you to stop but you are continuing to speak.

श्री पें० वेंकटासुब्या : खादी कमीशन को विणिज्य मंत्रालय को सोंप कर क्या सरकार का विचार है कि खादी कमीशन का और भी ढांचा बदला जाय और समाज सुरक्षा के लिये होने वाले कार्यों को समाप्त कर दिया जाये।

श्री मनुभाई शाह : जी, नहीं। इसमें सर्वदा ही प्रेरणा और प्रोत्साहन का समन्वय रहा है और समाज सुरक्षा उसका एक भाग है। आर्थिक उत्पादन तथा स्वस्थ व्यक्तियों के लिये रोज़गार भी इस का महत्वपूर्ण भाग था। अत : हम कार्यकेन्द्र में कोई परिवतन नहीं कर रहे हैं बल्कि जहां तक उत्पादन का संबंध है, नया चर्खा एक पग आगे ही है। वह उत्पादकता समाज की प्रगति का विषेश कार्य है। भारत में जैसे जैसे समाज का विकास होगा ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक उत्पादन संबंधी साधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को कभी हमारे औद्योगीकरण के क्राय क्रम और अम्बर चर्खा से संबद्ध विचार-धारा के वीच मौलिक विरुद्धता के बारे में अवगत कराया गया है ? यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री मनुभाई शाह : कोई स्वाभाविक विरुद्धता नहीं है। सारे विश्व में मध्य श्रेणी का शिल्पकला विज्ञान, पुरानी रीति का शिल्पकला विज्ञान और स्वचालित शिल्पकला विज्ञान साथ साथ चल रहे हैं। देश में औद्योगिक आन्दोलन का अभी आरम्भ ही है और लोगों का लक्ष्य पूरा होने में, काफ़ी समय लगेगा।

श्री कपूर सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि उसके वारे में पहले नहीं संकेत किया गया था तो अब बतला दिया गया है और अब सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट हो गया है।

श्री त्यागी : माननीय मंत्री ने अभी चर्खे पर होने वाले व्यय के बारे में कहा था परन्तु आंकड़े नहीं दिये थे। जहां तक लोगों को पता है इस परियोजना पर करोड़ों रुपये व्यर्थ खर्च कर दिये गये हैं। चर्खों पर किये गये परीक्षणों पर अब तक कुल कितना रुपया खर्च किया गया है ?

*अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाल दिया गया है।

श्री मनुभाई शाह : यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय नये परीक्षण से है तो 60,000 रुपये से अधिक व्यय नहीं हुआ है परन्तु यदि उनका अभिप्राय पुराने चर्खे पर पिछले सात अथवा आठ वर्षों में किये गये खर्चे से है तो अभी नये चर्खे से उत्पादन नहीं किया गया है .....

श्री त्यागी : इस विशेष चर्खा पर ही नहीं बल्कि आरम्भ से अब तक इस अम्बर चर्खा के ऊपर कुल कितना खर्चा हुआ है ?

श्री मनुभाई शाह : मैं यही बता रहा हूं। पिछले आठ वर्षों में यानी 1956-57 से 196465, तक 4,16,00,000 रुपये खर्च हुये हैं। **(अन्तर्बाधायें)** लाखों लोग बरोज़गार हैं। **(अन्तर्बाधायें)** ...मैं वह सब बता रहा हूं।

श्री त्यागी : यह निन्दनीय है .....

श्री मनुभाई शाह : मैं पूरे आंकड़े दे रहा हूं। प्रशिक्षण पर 6,86,00,000 रुपये खर्च किये गये हैं, संचालन पूंजी 4 करोड़ रुपये ; दूसरे व्यय . 1 करोड़ ; पिछले आठ वर्षों में कुल खर्च 16,15,00,000 रुपये।

रेलवे कर्मचारियों के लिए सस्ते अनाज की दुकानें

*359. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों के लिये सस्ते अनाज की दुकानें खुली गई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सहकारी संस्थाओं से रेलवे कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में अनाज की सप्लाई कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) रेल कर्मचारियों की उपभोक्ता सहकारी समितियों या राज्य अधिकृत व्यापारियों के माध्यम से रेल कर्मचारियों को खाद्यान्न देने के लिए सस्ते अनाज की दुकानें/राशन की दुकानें चलाने और ऐसी दुकानों के लिए पर्याप्त मात्रा में और नियमित रूप से खाद्यान्नों की व्यवस्था करने का दायित्व राज्य सरकारों पर है। फिर भी, रेल-प्रशासन रेल कर्मचारियों को सस्ते अनाज की दुकानों के साथ रेल कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियों के संगठन को प्रोत्साहन और सहायता देते हैं और ऐसी दुकानों को पर्याप्त मात्रा में और नियमित रूप से अनाज मिलते रहने पर कड़ी निगाह रखी जाती है। कठिनाइयां आने पर उन मामलों में तुरन्त उपचारात्मक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों के सिविल अधिकारियों का ध्यान दिलाया जाता है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेलवे कर्मचारियों के लिये सस्ते अनाज की दुकाने खोली गई थी, जोकि उन्हें न केवल अनाज अपितु लगभग 24 से 30 तक अन्य अत्यावश्यक वस्तुयें भी सप्लाई करती थी, और यदि हां, तो जब ब्रिटिश सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिये सस्ते अनाज की दुकानें खोली हुई थी तो हमारी राष्ट्रीय सरकार रेलवे कर्मचारियों की इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मांग को स्वीकार क्यों नहीं करती है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह रेलवे कर्मचारियों की उचित मांग को स्वीकार न करने का प्रश्न नहीं है। यह सच है कि उन दिनों ब्रिटिश सरकार ने सस्ते अनाज की दुकानें खोली हुई थी जोकि रेलवे कर्मचारियों को कुछ वस्तुएं बचती थी, परन्तु इस संदर्भ में उन्हें वस्तुतः सस्ते अनाज की दुकानें नहीं कहा जा सकता। परन्तु महायुद्ध के बाद अनेक समितियों ने इस मामले की जांच

की और उस समय के संगठनों की रजामंदी से.....माननीय सदस्य उस समय रेलवे कर्मचारियों के नेता नहीं थे .....(**अन्तर्बाधाय**) जी हां, मैं भी नहीं था और वह प्रतिरक्षा मंत्रालय में थे। लोक लेखा समिति ने भी इस मामले की जांच की थी और उन्होंने भी यह सिफारिश की थी कि उन दुकानों को बन्द किया जाय। अतः वे दुकानें रेलवे कर्मचारियों की रजामन्दी से बन्द की गई थी और उन के स्थान पर उन्हें कुछ अन्य रियायतें रुपयों के रूप में दी गई थी। यह पद्धति अभी तक जारी है। जिन्होंने उस समय उस सुविधा का परित्याग नहीं किया, उन्हें वह आज भी प्राप्त है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि रेलवे कमचारियों के दोनों संघों ने, जिन के नेता श्री वासावदा, श्री शर्मा तथा श्री अल्वारेस हैं, यह मांग की है कि रेलवे कर्मचारियों के लिये सस्ते अनाज की दुकानें खोली जायें क्योंकि उन के महंगाई भत्ते में की गई 5 अथवा 10 रुपये की तुच्छ वृद्धि बढ़ती हुई कीमतों की तुलना में निरथक है, और यदि हां तो क्या इन दोनों संघों की मांग विचाराधीन है अथवा यह सरकार का अन्तिम निर्णय है?

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : हमें उन की इस मांग से पूर्ण सहानुभूति हैं। परन्तु इस में एक बहुत बड़ी कठिनाई है। जब नगर में राशन व्यवस्था लागू है तो रेलवे कर्मचारियों के लिये विशेष प्रबन्ध नहीं किये जा सकते। मैं कई महीनों से खाद्य मंत्री से इस संबंध में बात कर रहा हूं तथा इस के बारे में प्रयत्न कर रहा हूं। परन्तु यह बहुत कठिन है क्योंकि यदि आप दुकान खोलते हैं और यदि आप को अनाज प्राप्त नहीं होता तो इस का अर्थ यह है कि आप वर्तमान कठिनाइयों से अधिक कठिनाइयों को आमंत्रित करते हैं। इसलिये स्थिति में थोड़ा सुधार होने के बाद इस प्रश्न को पुनः प्रचलित किया जायेगा तथा इस पर पुनर्विचार किया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के बारे में क्या स्थिति है? उन्होंने इस का उत्तर नहीं दिया।

श्री स० का० पाटिल : मैं इस का भी उत्तर दे सकता हूं। जब मुख्य वस्तु खाद्यान्न ही उपलब्ध नहीं है तो कुछ थोड़ी सी अन्य वस्तुओं का प्रबन्ध करने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री वारियर : इस बात को देखते हुये कि सहकारी संस्थाओं को खुले बाजार से अधिक ऊंचे भावों पर चीजें उपलब्ध होती हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कुछ राज्यसहायता दे रही है, ताकि वे संस्थायें उन वस्तुओं को कम दामों पर बेच सकें?

डा० राम सुभग सिंह : राज्यसहायता देने का कोई प्रश्न नहीं है। हम उन्हें ऋण, रियायती किराये पर राज्यसहायता प्राप्त मकान तथा कर्मचारी इत्यादि दे रहे हैं। शेअर पूंजी का भी 2500 रुपय तक आंशिक अंशदान दिया जाता है और 10,000 रुपये तक ऋण दिया जाता है।

श्री अ० प्र० शर्मा : देश में रेलवे कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली सेवा की अनिवार्यता को देखते हुये, यदि रेलवे कर्मचारियों को अन्य नागरिकों के साथ लम्बी लाईनों में खड़ा होना पड़ा तो या तो गाड़ियों को स्थगित करना पडेगा अथवा उन में विलम्ब होगा, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने अभी सभा को जो आश्वासन दिया है कि रेलवे कर्मचारियों को खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिये अलग दुकाने खोली जायगी, क्या इसे सुनिश्चित करने के लिए वह आवश्यक कदम उठायेंगें?

डा० राम सुभग सिंह : जसा कि मैंने कहा है कि 447 केन्द्र हैं, जिन में प्रत्येक केन्द्र में 300 से अधिक रेलवे कमचारी सम्मिलित हैं तथा इन सब केन्द्रों में या तो राज्य सरकारों द्वारा उचित इन मूल्य की दुकानें खोली गई हैं अथवा रेलवे कर्मचारियों ने स्वयं उपभोक्ता सहकारी संस्थायें बना

कर उचित मूल्य की दुकानें खोल ली हैं। माननीय मंत्री ने जिन वस्तुओं का उल्लेख किया है वहां वे सब उपलब्ध हैं। वहां लम्बी लाईनें लगाने का प्रश्न नहीं है। हम रेलवे कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रख कर दुकानें खोलते हैं तथा हम यह जानते है कि रेलवे एक अनिवार्य सेवा है और इस की अवहेलना नहीं की जा सकती।

श्री अ० प्र० शर्मा : मैं जानना चाहता था .....

अध्यक्ष महोदय : पहले ही माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत लम्बा था।

श्री अ० प्र० शर्मा : मैं जानना चाहता था कि क्या वह दुकानें केवल रेलवे कर्मचारियों के लिये हैं। यदि माननीय मंत्री का आशय यह है तो मैं और कुछ नहीं जानना चाहता।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ने यही उत्तर दिया है। वे रेलवे क्षेत्रों में हैं।

श्री नाथ पाई : श्री पाटिल ने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार किया है कि सस्ते अनाज की दुकानें खोली जानी चाहियें। परन्तु डा० राम सुभग सिंह को यह मान्य नहीं है। मै कहना चाहता हूं कि यदि श्री पाटिल अपने सहयोगी को इन कठिनाइयों के हल के बारे में सहमत कर सकते हैं, तो खाद्य मंत्री अनाज की दुकानें खालने की शर्तों पर विचार करने को तैयार है।

श्री स० का० पाटिल : कठिनाई के समाधान के बारे में हमारी राय में कोई मतभेद नहीं है। सारे देश के लिये कठिनाइयां हैं, न केवल रेलवे कर्मचारियों के लिये। मैंने केवल यह स्वीकार किया है कि जब दुकानें चला रहे थे, हमें करोड़ों रुपये की हानि हुई थी, परन्तु यदि खाद्यान्न उपलब्ध हों, तो हमें इस हानि की चिन्ता नहीं है। इस लिये मैं कहता हूं कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता और खाद्य मंत्री इस स्थिति में नहीं हो जाते कि वह हमें यह विश्वास दिला सकें कि सप्लाई जारी रखी जा सकेगी, तब तक दुकानें खोलना बेकार है। इस का अर्थ वर्तमान मुसीबतों से अधिक मुसीबतों को मोल लेना है।

Shri Yashpal Singh : The Railway Ministry has left 12 lakh Railway employees at the mercy of State Governments. In U.P. 4 chhatanks are given to the citizens, while 6 chhatanks are given to the prisoners as ration. I want to know the steps being taken to enhance the ration of those, who are being given less than prisoners.

Mr. Speaker : Shri Rameshwaranand.

Shri Rameshwaranand : The hon. Minister has felt that the employees are in difficulty. He agrees that foodgrains should be made available to all at cheap rates, but he has explained his inability to open fair price shops as the Food Minister is not in a position to supply food grains. May I know whether the Railway employees, who are responsible for running the trains and whose work is essential for the entire nation are being treated at par with other people or other Government servants ? I would like to know whether Government propose to provide them the facility of supplying things at cheap rates, which was available to them during the British days.

Dr. Ram Subhag Singh : It has already been answered.

श्री अल्वारेस : उपलब्धी के प्रश्न पर श्री पाटिल ने एक वक्तव्य दिया था, तब से एक नई आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई है। अभी वित्त मंत्री ने एक समीक्षा में यह सुझाव दिया था कि मूल्यों की वृद्धि का निराकरण करने के लिये जो अर्थिक सहायता दी जाती है उस के प्रभावों का अध्ययन करने की दष्टि से कुछ कार्यवाही करनी चाहिये, कुछ कार्यवाही इस प्रकार की जानी

चाहिये कि यह सहायता दूसरे रूप से भी दी जा सके। अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ के सिद्धान्तों को स्वीकार कर लेने के पश्चात क्या रलव मंत्री इस संबंध में वित्त मंत्री से चर्चा करेंगे ?

श्री स० का० पाटिल : मुझे ज्ञात नहीं है कि क्या नई स्थिति पदा हो गई है। हम ने कल ही मजूरी बढ़ाई है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I would like to know whether other people also purchase commodities from the Co-operative Stores opened for the Railway employees and if so, whether commodities are available there at cheap rates and the amount of Government contributions in these stores.

Dr. Ram Subhag Singh : Commodities are sold on these shops at cheaper rates than in the market. These Co-operative shops are selling commodities only to those railway employees and the members of their families, who are members of these Stores. But at the fair price shops opened by State Governments other people are also allowed to purchase commodities. The shops which have been opened specially for Railway employees are exclusively for Railway employees.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I wanted to know the Government contribution.

Dr. Ram Subhag Singh : As has already been stated loan is being given up to the extent of Rs. 10,000 and an advance up to the extent of Rs. 2,500 is given for share capital to those societies who are unable to sell their shares. We are giving them houses at nominal rents and staff is also provided to them.

Shri Kishan Pattnayak : Have Government decided once for all that in future foodgrains would not be supplied at cheaper rates to certain classes of people?

Dr. Ram Subhag Singh : The question of deciding it once for all does not rise.

Shri Kishen Pattnayak : My question is whether the policy of supplying commodities at a cheaper rate to certain classes of people than they are being supplied to ordinary people has been discontinued ?

Dr. Ram Subhag Singh : It was decided at Indian Labour Conference held at Bangalore that transport and other charges on the movement of foodgrains should be borne by employing authority. That was the point which was raised by Mr. Peters. This point is under consideration .

श्री इन्द्रजीत गप्त : जसा कि माननीय मंत्री ने कहा है कि यदि तर्क के लिये यह मान लिया जाय कि यदि ऐसी दुकानें पुनः खोली जायें तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में अनाज देना कठिन होगा, मै जानना चाहता हूं कि इस में क्या कठिनाई है कि अनाज के अतिरिक्त अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई एसी दुकानों द्वारा की जाय, जैसे पहले की जाती थी ?

श्री स० का० पाटिल : म इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक वही प्रश्न है, जैसे एक प्रश्न का पहले उत्तर दिया जा चुका है।

टेलिविजन सेटों का निर्माण

+

360. श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हेम बरुआ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निर्मित टेलिविजन सेटों और विदेशी सहयोग से निर्मित टेलिविजन सेटों के प्रतिस्पर्धी दावों के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकारी नीति की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) : मामला अभी विचाराधीन है।

Shri Madhu Limaye : May I know whether Government are aware that though radio is becoming popular since sometime past, even then the number of radio sets in the country is not more than 25 lakhs. So I want to know that while drawing a programme for manufacturing T. V. sets, whether this point will be borne in mind that unless cheap T. V. sets are produced which may be within common man's reach, no useful purpose would be served by them ?

श्री संजीवय्या : अभी यह कार्य आरम्भ किया जा रहा है। निस्संदेह हम उत्पादन की लागत को ध्यान में रखेंगे तथा माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई राय को भी ध्यान में रखा जायेगा।

Shri Madhu Limaye : May I know whether it is a fact that an amount of about 20 lakh rupees will be given to the Pilani Research Institute for research in the manufacture of T.V. sets during the fourth five year plan and whether an amount of 8 to 9 lakh rupees will be given this year ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : पिलानि संस्था में एक मायोगिक संयंत्र है और वहां इस वर्ष एक हजार सट बनाने का प्रस्ताव है, इस के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जायगा। पिलानी संस्था से सहयोग स्थापित करने के लिये पहले ही एक प्राथना पत्र भी प्राप्त हो चुका है और वह भी अभी विचाराधीन है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speakar, my question was . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या रुपया दिया जाये अथवा न दिया जाये इस का विचार उस समय किया जायेगा ?

Shri Kishan Pattnayak : May I know whether Government have prepared an estimate of foreign exchange to be spent on the import of T. V. set and an estimate of foreign exchange on the import of components if it is manufactured in the country; the estimated difference in the cost of both these T.V. sets and the likely difference in their sale price ?

श्री संजीवय्या : सूचना और प्रसारण समिति ने दो समितियां अर्थात चंदा समिति और भगवानथम समिति नियुक्त की थी। इन दोनों समितियों के प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद उन्होंने सचिवों की एक समिति गठित की है और उस समिति ने इस समचे प्रश्न पर विचार किया है तथा सरकार सचिवों की समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्णय करेगी।

श्री स० चं० सामन्त : इन दोनों प्रकार के सैटों में से कौन से में अधिक देशी पुर्जे हैं तथा इनके मूल्य में कितना अन्तर है?

श्री संजीवय्या : जसा कि मैं ने पहले कहां है ये सब मामले विचाराधीन हैं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या पिलानी में सरकारी उपक्रम में टेलिविज़न सैटों के जो पुर्जे अथवा टेलिविज़न सैट बनाये जा रहे है और जिन्हें सरकार सस्ते दामों पर बनाने की स्थिति में है बाहर से आयात नहीं किये गये हैं अथवा इस समय आयात नहीं किये जा रहे है?

श्री संजीवय्या : देश में हम जो भी पुर्जे बना सकते हैं, हम अवश्य उन का उपयोग करेंगे। वास्तव में प्रतिरक्षा मंत्रालय कुछ पुर्जे जैसा कि पिक्चरट्यूब तथा स्पेशिलाइज़ड़ बैल्व बनाने का प्रयत्न कर रहा है। वे कुछ विदेशी फर्मों के सहयोग से इन्हें बना रहे हैं—मेरा मतलब भारत इलेक्ट्रानिक से है। उन्हें भी इन पुर्जों को पर्याप्त मात्रा में बनाने के लिये लगभग दो दो वर्ष लगगे।

Shri M. L. Dwivedi : Are we seeking collaboration from some country like Hungary in the running of the undertaking at Pilani ? It has appeared in today's papers that Hungary is entering into collaboration in this field. What are the terms of that collaboration ?

श्री संजीवय्या : पिलानी संस्था तथा अन्य किसी विदेशी देश के बीच सहयोग की हमें जानकारी नहीं है। परन्तु हम पिलानी में विकसित की गई जानकारी को अवश्य ही ध्यान में रखेंगे।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं ने एक विशेष प्रश्न पूछा है। आज के समाचार पत्रों में छपा है कि हंगेरी एक समझौता कर रहा है। वह जानकारी के बारे में कहते है, अच्छा, जानकारी कौन से देश से प्राप्त की जायेगी?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं अपने माननीय सहयोगी द्वारा दिये गये उत्तर में यह जोड़ना चाहता हूं कि सहयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु जैसाकि मैं ने कल राज्य सभा में कहा था तथा जो समाचार पत्रों में छपा है वह यह है कि विभिन्न देशों ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे है कि देशी जानकारी को किस प्रकार समन्वित किया जाय। ये सब सरकार के विचाराधीन है।

श्री हेम बरुआ : इस बात के देखते हुये कि देश में एक ना एक दिन टेलिविज़न अवश्य लोकप्रिय हो जायेगा, सरकार ने देश के अन्दर बिना किसी विदेशी सहायता के अच्छे टेलिविज़न सैट बनाने के बारे में क्या विशेष कार्यवाही की है?

श्री संजीवय्या : मैं नहीं कह सकता कि विदेशी आयात पर निर्भर हुये बिना हमारे देश में टेलिविजन सैटों का बनाया जाना संभव होगा, परन्तु हमारा प्रयत्न यह रहेगा कि कुछ समय के बाद अर्थात दो वर्ष के बाद या इससे कुछ अधिक समय के बाद, आयात को समाप्त किया जाय।

श्री राम सहाय पाण्डेय : देश में टेलिविज़न सैट बनाने के बारे में सरकार को अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये है तथा उन को बनाने के लिये कितने प्रतिशत पुर्जो का आयात करना पड़ेगा?

श्री संजीवय्या : लघु उद्योग क्षेत्र से एक सार्थसमूह बना कर कुछ पुर्जे बनाने की पेशकश के अलावा लगभग 13 आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : टेलिविजन पर शिक्षा संबंधी तथा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम दिखाये जाते हैं । क्या इसे दृष्टि में रखते हुये सरकार उन पुर्जों को जो देश में नहीं बनाये जा सकते रुपये में भुगतान स्वीकार करने वाले देशों से मंगाने के बारे में विचार कर रही है ताकि पिलानी की योजना को शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके और देश के विभिन्न गांव में सामुदायिक सैट दिये जा सकें ?

श्री संजीवय्या : सरकार की यह तीव्र इच्छा है कि देश के विभिन्न भागों में अधिक से अधिक टेलिविजन सैट दिये जायें । हम माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव को अवश्य ध्यान में रखेंगे ।

Shri Kashi Ram Gupta : The hon. Minister has stated that two Committees have submitted their reports and the third Committee is considering the matter, may I know by what time Government will take a decision in this regard or whether it would be necessary to appoint a fourth committee ?

श्री संजीवय्या : चौथी समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इस प्रश्न के उत्तर में कि सरकार कब तक निर्णय करेगी, मैं कह सकता हूं बहुत शीघ्र ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इन सेटों के सम्बन्ध में हमारे आत्म-निर्भर हो जाने की पक्की तारीख निश्चित न किये बिना क्या सरकार ने इस खर्चीले नवीन उपक्रम पर और भी अधिक व्यय करने का निर्णय किया है ?

श्री संजीवय्या : मेरा विचार है कि जो रुपया टेलिविजन सेटों के निर्माण पर व्यय होगा वह उचित रुप से व्यय होगा ।

श्री रंगा : वह व्यर्थ होगा ।

श्री संजीवय्या : उस से बड़ा काम होगा ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या सरकार का ध्यान टेलिविजन सेटों के निर्माण के सम्बन्ध में अभी हाल में दिये गये श्री राजागोपालाचार्य के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ? यदि हां, तो सरकार की उस वक्तव्य के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री संजीवय्या : मुझे ऐसे किसी वक्तव्य के बारे में पता नहीं है । यदि माननीय सदस्य उसकी एक प्रति मुझे दें तो मैं उसे देखूंगा ।

श्री रंगा : वित्तीय कठिनाइयों तथा वित्त मंत्री के आश्वासन को जिसमें उन्होंने कहा है कि विलास वस्तुओं पर जितना खर्चा कम किया जा सके किया जाय और मितव्यता की जाये, ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने इन सब नीतियों का समन्वय कर के वित्त मंत्री द्वारा बनाई गई निति के अन्तर्गत इन विलास वस्तुओं के निर्माण कार्य की कुछ दिनों के लिये स्थगित करने पर विचार किया है ?

श्री संजीवय्या : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं कि टेलिविजन सेट एक विलास वस्तु है । जो कोई कार्यक्रम बनाया जाता है वह योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से परामर्श के पश्चात् बनाया जाता है ।

Export of H.M.T. Products

+

*361. **Shri D. N. Tiwary :**
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri P. C. Borooah :
Shri P. R. Chakrabarti :
Shri Basappa :
Shri J. B. S. Bist :
Shri R. S. Pandey :
Shri R. Barua :
Shri Karni Singhji :
Shri Hem Barua :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is under the consideration of Government to export the finished products of Hindustan Machine Tools Factory to America and other European countries;

(b) the extent of production over and above that of our own requirements; and

(c) if the production is not in excess of our own requirement, the reason why the export of such products is being considered ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c). In view of the difficult foreign exchange situation, it is considered that the only way to meet fully the requirements of Hindustan Machine Tools Limited for import of maintenance stores, is through export of the finished products. This is also part of the general export drive for earning foreign exchange. The export will be planned after taking into account the installed capacity and supply to essential consumers within the country.

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या एच० एम० टी० कारखाने का उत्पादन देश की आवश्यकताओं से कम है या अधिक है ? यदि अधिक है तो कितना अधिक है ?

श्री संजीवय्या : वास्तव में आजकल बाजार में अतिप्रदाय है फिर भी हमें कुछ वस्तुओं का निर्यात कर के विदेशी मुद्रा प्राप्त करना होगी ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : इन में से किन किन वस्तुओं का अतिप्रदाय है और क्या इन्हीं वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा अथवा दूसरी वस्तुओं का भी निर्यात किया जायेगा ?

श्री संजीवय्या : पिंजोर के कारखाने में जो मशीनें तैयार की जा रही हैं वे इतनी शीघ्रता से नहीं बिक रही हैं क्योंकि लघु उद्योग इन मशीनों को इस कारण नहीं खरीद रहे और उत्पादन नहीं आरम्भ कर रहे कि आयात किया हुआ कच्चा माल उन्हें नहीं मिल रहा है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या विदेशों से आये हुये कुछ आर्डर लम्बित हैं । यदि हां, तो कितने ?

श्री संजीवय्या : जी हां । हमारे पास कुछ आर्डर न्यूज़ीलेन्ड जैसे देशों से आये हुये हैं और आज यह आर्डर करीब 26 लाख रुपये के हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : क्या उन वस्तुओं की जो निर्यात की जायेंगी देश में भी मांग है अथवा एच० एम० टी कारखाना उन्हें निर्यात आन्दोलन के अन्तर्गत केवल निर्यात किये जाने के ध्यय से बना रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : जी, नहीं। वे केवल निर्यात किये जाने के लिये नहीं बनाये जा रहे। वास्तव में एच० एम० टी० पिछले तीन वर्ष से, चाहे मात्रा कुछ कम है, निर्यात कर रहा है और एच० एम० टी० कारखाने में ही नहीं बल्कि ग़ैर सरकारी क्षेत्र में हम मशीनी औज़ारों का पिछले वर्षों से काफी मात्रा में आयात कर रहे हैं जो इस बात का द्योतक है कि उत्पादन मांग से अधिक नहीं है।

Shri M. L. Dwivedi : Is it a fact that the 'Citizen' watch sells at Rs. 30/- a piece in Tokyo and at Rs. 98/- a piece in India where it is manufactured or assembled by the H.M.T. ?

श्री संजीवय्या : ऐसा सीमा शुल्क के कारण है।

श्री म० ला० द्विवेदी : सीमा शुल्क 110 % से अधिक नहीं है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार बतायेगी कि इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा।

श्री विभधेन्द्र मिश्र : एच० एम० टी० 5 करोड़ के मूल्य की मशीनों का प्रति वर्ष निर्यात किये जाने की योजना बना रही है परन्तु इसके पूर्ण होने में अभी कुछ समय लगेगा।

श्री बासप्पा : क्या एच० एम० टी० द्वारा उत्पादित कुछ वस्तुओंका निर्यात जापान को भी किया जाता है।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : नहीं, जापान को नहीं बल्कि अन्य देशों को निर्यात किया जाता है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या यह सत्य है कि एच० एम० टी० द्वारा निर्मित खराद (लेथ) मशीन दक्षिण-पूर्व एशिया में बहुत लोकप्रिय है परन्तु उसके मूल्य के कारण उसका निर्यात नहीं किया जा सकता है ?

श्री संजीवय्या : मेरे विचार में ऐसा नहीं है। लेथ मशीन केवल जर्मनी, फ्रांस, और न्यूजीलेन्ड में लोकप्रिय है।

Shri Radhalal Vyas : Why the spares and parts of the machinery manufactured by the H.M.T. not allowed to be sold in the market ? For example, the crown of their watch costs Rs. 1·25 but the H.M.T. people charge Rs. 5/- for that part. Why is it not allowed to be sold in the open market so that one may get it at Re. 1·25 a piece.

श्री संजीवय्या : स्वयं एच० एम० टी० को भी अपने उत्पादन के लिये पर्याप्त मात्रा में पुर्ज़े नहीं मिल रहे हैं।

Shri Kashi Ram Gupta : I should like to know whether the machinery exported to foreign countries costs less than or equal to the cost obtaining for it in foreign countries and whether it is manufactured in Bangalore or at other Branches also ?

श्री मनुभाई शाह : मशीनी औज़ार उन बाज़ारों में जहां से हमें आर्डर मिले हैं प्रतियोगी मूल्य पर बिकते हैं। हम उन्हें विश्व के करीब करीब सब ही उद्योग उन्नत देशों में बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Kashi Ram Gupta : The reply is not complete. Whether the goods are exported only from Bangalore or from other places also ?

श्री मनुभाई शाह : उदाहरण के लिये, हैदराबाद और बंगलोर से 'किर्लोस्कर' ने 55 लाख रुपयों के मूल्य का माल बाहर भेजना शुरू कर दिया है । 'प्राग टूल्स' भी निर्यात करते हैं । यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि मशीनी औजार 10,000 से भी अधिक प्रकार के हैं । हम उन्हीं वस्तुओं का निर्यात करते जो हम बनाते हैं और जो फालतू होती है । आयात हमें केवल उन मशीनी औजारों का करना पड़ता है जो हम नहीं बनाते ।

श्री वारियर : क्या देश के अंदर बिकने के लिये मूल्य और निर्यात के मूल्य में कोई अन्तर है ? क्या निर्यात मूल्य देश के अंदर वाले मूल्य की अपेक्षा कम है ?

श्री मनुभाई शाह : कभी कभी वे मूल्य 50 से 60 प्रतिशत कम होते है ।

श्री पे० वेंकटासुब्बया : क्या यह सत्य है कि मुल्यों में अन्तर होने के कारण कुछ गैरसरकारी उद्योग उन वस्तुओं का आयात कर रहे ह जो यहा एच० एम० टी० द्वारा बनाई जाती है ।

श्री संजीवय्या : यह कहना ठीक नही है कि जो कुछ भारत में उपलब्ध है उसका आयात किया जा रहा है ।

श्री दी० चं० शर्मा : हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने के एककों की संख्या बढ़ती जा रही है । क्या ये सभी एकक अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं अथवा कोई समन्वय समिति भी है जो अलग अलग एककों को अलग अलग काम देती है ?

श्री संजीवय्या : हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार कारखाने के दो एकक बंगलौर में हैं, एक तलमासेरी में केरल में, एक हैदराबाद में और एक पिंजौर, पंजाब में है । उनमें आपस में समन्वय है । जिन वस्तुओं का निर्माण एक एकक में किया जाता है, उनका निर्माण दूसरे एकक में नहीं किया जाता ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय मंत्री ने कहा कि हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार कारखाने द्वारा निर्मित वस्तुओं की मंडिओं में भरमार है । इसके क्या कारण हैं और क्या ऐसी स्थिति पैदा होने से पहले कोई योजना बनाई गई थी ?

श्री संजीवय्या : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं । कुछ स्टॉक इसलिये जमा हो गया है कि छोटे पैमाने के उद्योग उनका प्रयोग करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि उनको कच्चा माल नहीं मिलता है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या भारत मानक संस्था के मार्गों के अन्तर्गत हिन्दुस्तानी मशीनी औज़ार कारखाने के उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात किया जाता है ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां ।

Shri P. L. Barupal : May I know whether there is any proposal to manufacture watches with automatic calendars ?

श्री संजीवय्या : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । हम निश्चय ही इसका प्रयत्न करेंगे ।

Steel Plant at Hissar (Punjab)

+

*362. **Shri Kishen Pattnayak:**
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Bagri :
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Yashpal Singh:
Shri Hem Raj:
Shri Vishram Prasad:
Shri Utiya:
Shri Daljit Singh:
Shrimati Savitri Nigam:

Will the Minister of **Iron** and **Steel** be pleased to state :

(a) whether a very big steel plant is proposed to be set up in Hissar (Punjab);

(b) if so, when the work is likely to be started;

(c) whether the estimate of the total expenditure likely to be involved has been prepared; and

(d) if so, the particulars thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Iron and Steel (Shri P. C. Sethi) : (a) to (d) . In September, 1964, a Letter of Intent was issued to the Director of Industries, Punjab, for setting up a small pig iron plant at Hissar with an annual capacity of 100,000 tonnes. According to certain tentative estimates of the State Government, the total cost of the project is likely to be in the region about rupees four crores. The plant is expected to come up towards the later part of the Fourth Plan period.

Shri Kishen Pattnayak : What will be the production capacity of this factory ?

Shri P. C. Sethi : One lakh tonne.

Shri Kishen Pattnayak : At what stage the work regarding the establishment of this factory is at present ?

Shri P. C. Sethi : They have called for the Project Report from a British firm and had consultations with one German firm. It is hoped that this factory will be commissioned shortly.

Shri Yashpal Singh : What are the names of the Countries which have been consulted for collaboration and whose collaboration will be more economical ?

Shri P. C. Sethi : Collaboration is being sought from Eshmor Benson Pees and Company Limited of U.K. and Didier Company of Germany.

Shri Hem Raj : May I know whether any foreign exchange is also involved in the setting up of this factory ?

Shri B. C. Sethi : Yes, Sir.

श्रीमती सावित्री निगम : कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी और परियोजना प्रतिवेदन भारतीय इंजीनियरों द्वारा तैयार किया जायेगा अथवा ब्रिटिश इंजीनियरों द्वारा ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं पहले ही बता चुका हूं कि पश्चिम जर्मनी की दीदिर नामक कम्पनी का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत लगभग 4.5 करोड़ रु० होगी जिसमें 63 लाख रु० की विदेशी मुद्रा होगी।

श्रीमती सावित्री निगम : परियोजना प्रतिवेदन कौन तैयार करेगा ?

श्री प्र० चं० शेठी : यह सहयोग देने वालों द्वारा तैयार किया जायेगा।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि पंजाब के पंजाबी प्रदेश में कोई भारी उद्योग स्थापित न करने का पक्का निर्णय किया गया है ?

लोहा तथा इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : मैं समझता हूं कि यह एक अनुचित निष्कर्ष है।

Shri Kashi Ram Gupta : What is the justification for selecting Hissar as the cite for this factory—is it because Shri Bagri belongs to that place ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : This is absolutely wrong. The technicians of Punjab Government were consulted in this matter and we have accepted their suggestions.

कोयला सप्लाई करने के लिए चार पहियों वाले वगन

+

*363. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा कोयला खानों को चार पहियों वाले वैगन पर्याप्त मात्रा में नहीं दिये जा रहे हैं; जिसके परिणामस्वरुप थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल को ले जाने में बड़ी कठिनाई होने लगी है; और

(ख) यदि हां, तो यह बात सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, कि चार पहियों वाले डिब्बे एक निश्चित संख्या में थोड़ी मात्रा में प्रति दिन कोयला ढोने के लिए निश्चित किए जाएं, क्योंकि कोयला खानों मे कोयले का स्टाक जमा हो रहा है और इंटें पकाने के काम आने वाले कोयले और साफ्ट कोक की खरीद के सम्बन्ध में बड़ी संख्या में आये हुए क्रया-देशों को पूरा नहीं किया जा सका है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नही उठता।

श्री स० चं० सामन्त : क्या कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन कोयला खानों को जो वैगन सप्लाई किये गये वे अच्छे नहीं थे ?

श्री शाम नाथ : जी नहीं। हमें इसका पता नहीं है।

Shri M. L. Dwivedi : The hon. Minister stated that there is no shortage of wagons. May I know why the orders are still pending? There is demand for Coal and the coal is not moved.

Shri Sham Nath : The requirements of the Collieries are regularly sent. It is true that box wagons are being supplied in greater number in pursuance of

the policy of the Government and the Railway Board. The other type of wagons are supplied only to those centres where box wagons cannot be used.

Shri D. N. Tiwary : Some years back the practice was to supply wagons for the movement of Coal in the lean period of the railway. May I know whether that practice is still continuing ?

Shri Sham Nath : That is not so. Rather we have the complaint that the persons who previously used to collect their stock in the lean period, now they do not stock and when there is peak period, the burden of their requirement falls on the Railway.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that the stock of Coal gets accumulated with the collieries because wagons are not made available to them in time and they have to stop the mining work as a result of which most of the workers are thrown out of employment ?

Shri Sham Nath : I have got the figures for the last 3-4 years which indicate that the stock in the end of December, 1965 was much less as compared to that in April, 1965.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : रेलवे मंत्रालय के अनुमान के अनुसार इंजन और डिब्बों के उत्पादन में लग भग 30 प्रतिशत की कमी दिखाई गई है। क्या चार पहिये वाले वैगनों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा ?

श्री शामनाथ : प्रश्न 4 पहिये वाले वैगनों को कम संख्या में बनाने का नहीं है। नीति यह है कि बड़ी मात्रा में उपभोग करने वालों के लिये कोयले के वहन के लिये हमें जहां तक हो सके बाक्स वैगन प्रयोग में लाने चाहिये। जहां तक अन्य उपभोक्ताओं का संबंध है, हम चार पहिये वाले वैगन इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे पर्याप्त संख्या में हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : यह कहना कहा तक सच है कि समन्वय की कमी के कारण कभी कभी ये वगन बेकार पड़े रहते हैं, जब कि लोगों को आवश्यकता के समय वगन देने के लिये इन्कार किया जाता है ? यदि उत्तर हां में है तो वैगन कितने दिनों के लिये बेकार पड़े रहते हैं ?

श्री शाम नाथ : इसके लिये मुझे सूचना चाहिये। यह सच नहीं है कि आवश्यकता के समय वैगन नहीं दिये गये।

यूगोस्लाविया का व्यापार प्रतिनिधि मंडल

+

***364. श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री नारायण रेड्डी :
डा० पू० ना० खां :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री हेड़ा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में यूगोस्लाविया का एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल के साथ किन विषयों पर बातचीत हुई;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) यहां से एक प्रतिनिधि मण्डल बैलग्रेड गया था। युगोस्लाविया से इस वर्ष कोई व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भारत नहीं आया है।

(ख) से : (घ) : प्रश्न ही नहीं उटते।

डा० रानेन सेन : क्या भारत सरकारने युगोस्लाविया के साथ किसी व्यापार संबंधी बातचीत के दौरान यूगोस्लाविया सरकार अथवा वहां के किसी संस्थान के सहयोग की इच्छा प्रकट की ताकि यूगोस्लाविया मे एक वैगन निर्माण का कारखाना स्थापित किया जा सके और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री मनुभाई शाह : हमने बातचीत की थी और हम वैगन जोडने का कारखाना स्थापित करने के लिये राजी हो गये हैं। वैगनों का निर्माण पूर्ण रूप से भारत में ही किया जायेगा, परन्तु जैसा कि आप जानते हैं पूरे का पूरा वैगन जहाज़ में नहीं रखा जा सकता। इसको पुर्जे खोल कर रखना पड़ता है और आयात करने वाले देश में पुर्जों को पुनः वैगन के रूप में जोड़ा जाता है। प्रस्ताव यूगोस्लाविया में भारत में निर्मित वैगानों को जोड़ने के संयंत्र को स्थापित करने का है। ताकि उन्हें पूर्व तथा पश्चिम यूरोप के देशों को पुनः निर्यात किया जा सके।

अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार

+

***365. श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती विमला देवी :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार:
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीकी देशों को भारत का निर्यात बढ़ाने के उपायों का विचार करने के लिये 28 दिसम्बर, 1965 को व्यापार बोर्ड की बैटक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये; और

(ग) सरकार ने उनके निर्णयों को कहां तक क्रियान्वित किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित निर्णय किए गए :

(1) अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार का विकास न केवल परम्परागत मदों के निर्यात करने से वरन् इंजीनियरी तथा रसायनिक उत्पादों के निर्यात करने से भी हुआ।

(2) कुछ विकासोन्मुख देशों से उपयोग के माल का आयात कर के व्यापार की एक नयी धारणा का विकास करना जिससे उन देशों में भारतीय उत्पादों का बाजार बढ़ाया जाय। बोर्ड ने सुझाव दिया कि इथोपिया तथा नाइजीरिया के बारे में प्रचार सम्बन्धी अध्ययन किये जाय।

(3) विकासोन्मुख देशों से नीची प्राथमिकता वाली मदों का आयात करने विषयक आर्थिक मानक निर्धारित करना जिस से समापन करके उनका पुर्ननिर्यात किया जा सके।

(4) भारत तथा अफ्रीकी के समस्त प्रदेशों के बीच सीधी जहाजी सेवा की स्थापना।

(5) फ्रेंच भाषी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाय।

(ग) व्यापार बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यवाही आरम्भ हो गई है। सिफारिशों के क्या परिणाम होंगे यह अभी बताना सम्भव नहीं है।

श्री हिम्मतसिंहका : इन देशों को कितने मूल्य का इंजीनियरी का सामान निर्यात किया जाता है ?

श्री मनुभाई शाह : इन अफ्रीकी देशों को इंजीनियरों के सामान का निर्यात गत वर्ष बढ़ कर 3.2 करोड़ रु० हो गया था।

श्री हिम्मतसिंहका : तंजानिया से एक व्यापार प्रतिनिधि मण्डल आया था। उसके साथ क्या करार तय पाये ?

श्री मनुभाई शाह : "गाट" और आई० सी० एम० के सदस्य के रूप में हमने परिवर्त्य चलार्थ का एक दीर्घ कालीन करार किया है। इसके साथ ही हमारे पास उनके व्यापारियों की सूची है और उनके पास हमारे व्यापारियों की जिससे कि दोनों देशों के बीच 60 प्रतिशत व्यापार बढ़ेगा।

श्रीमती विमला देवी : क्या सरकार जानती है कि अफ्रीकी देशों को जो वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, वे देश उन वस्तुओं को दक्षिण अफ्रीका को पुनः बेचते हैं; यदि हां, तो सरकार इसके संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : अफ्रीका के सारे देश दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध हैं। अतः माननीय सदस्य की धारणा सही नहीं है।

श्री वासुदेवन नायर : क्या यह सच है कि सरकार इन में से कुछ अफ्रीकी देशों को पूंजी निर्यात करने को प्रोत्साहन दे रही है और यदि हां, तो ऐसा क्यों है जबकि हमारे संसाधनों की कठिनाइयां हैं ? क्या सरकार यह समझती है कि वह अफ्रीका से अधिक मुनाफा अर्जित कर सकती है ?

श्री मनुभाई शाह · जी नही यह तो इस देश मे निर्मित उन वस्तुओं के निर्यात का एक रुप है जिनको कि हम बचा सकते हैं ताकि उन मण्डियों में हमारे पांव जम जायें।

श्री वारियर : क्या यह सच है कि कुछ अफ्री ी देशों को शिकायत है कि भारत सरकार पारस्परिक सहयोग नहीं देती है और हम इन परम्परागत वस्तुओं को अफ्रीकी देशों से पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं जिससे हमारे निर्यात में रुकावट पड़ती है ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां। यह बिल्कुल सच है। अफ्रीकी देशों की यह शिकायत रही है। दुर्भाग्य से, विदेशी मुद्रा की वर्तमान स्थिति में हम अधिक उपभोक्ता सामान नहीं खरीद सकते हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार अफ्रीकी देशों में औद्योगिक संयंत्र भी स्थापित करना चाहती है ताकि उनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध और अच्छे हो सकें?

श्री मनुभाई शाह : जी हां, यही उद्देश्य है, और उन देशों में भारत की बीच के दर्जे की टेक्नोलोजी को बहुत अच्छा समझा जाता है जिसके परिणाम स्वरुप कुछ देशों को बहुत सी मंडियों से निकाल दिया गया है।

Shri Tulsi Das Jadhav : Are there complaints of the scuth African people that our goods do not conform to the samples ?

Shri Manubhai Shah : This is wrong. There is continuous improvement in the quality of Indian goods. Quality inspection control has also been introduced. If there is any complaint that is settled by arbitration and compensation is paid.

श्री स० मो० बनर्जी : हाल ही में संसद सदस्यों का जो प्रतिनिधिमण्डल पाकिस्तानी आक्रमण के बाद अफ्रीकी देशों को गया था क्या उसने यह प्रतिवेदन दिया है कि कुछ अफ्रीकी देश अच्छे व्यापार करार चाहते हैं और यदि हां, तो उसने क्या ठोस सुझाव दिये हैं?

श्री मनुभाई शाह : इथोपिया को चाय के निर्यात की संभावना, पश्चिमी अफ्रीका के साथ व्यापार बढ़ाने की संभावना के बारे में तथा हमारी वर्तमान नीतियों और कार्यक्रमों की त्रुटियों को हटाने के बारे में उसने हमें अच्छे सुझाव दिये हैं जिससे कि इन देशों के साथ व्यापार को बढ़ाया जा सकता है।

श्री दी० चं० शर्मा : घाना के साथ हमारी व्यापार स्थिति कैसी है--घाटे की अथवा फायदे की? क्या उस देश में हाल ही में जो शासनपरिवर्तन हुआ है उससे इसको कोई हानि पहुंची है?

श्री मनुभाई शाह : घाना के साथ हमारा प्रतिकूल व्यापार संतुलन है, परन्तु व्यापार एक सीमान्त दर्जे का है। उनकी मुख्य शिकायत यह है कि जब तक हम घाना का सामान नहीं खरीदेंगे वह भारतीय माल को अधिमान नहीं देंगे। अतः हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि हम उन से क्या खरीद सकते हैं।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

+

*366. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का बैलाडिल्ला क्षेत्र में नयी खानें खोदने का विचार है ताकि बड़ी मात्रा में लोह-अयस्क बिक्री के लिये उपलब्ध किया जा सके;

(ख) क्या उत्पादन लागत में कमी करने के लिये इस नयी खान का मशीनीकरण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो मशीनीकरण पर कितनी लागत आयेगी?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम 1967 से जापान को 4 मिलियन टन कच्चा लोहा प्रतिवर्ष निर्यात के लिए बलादिला क्षेत्र के संचय नं० 14 पर आधारित उत्पादन के हेतु एक खान का विकास कर रही है । निगम ने 4 मि० टन और अयस्क प्रतिवर्ष निर्यात करने के लिये इसी क्षेत्र में संचय नं० 5 पर आधारित एक और खान के विकास के लिये परियोजना रिपोर्ट तैयार की है।

(ख) इन खानों का यंत्रीकरण मुख्यत: इस लिये किया जायगा:

(1) प्रत्याभूत विशेष परिमाण तथा श्रेणी के अयस्क का सतत उत्पादन करने के लिये यह आवश्यक है; और

(2) बिना यंत्रीकरण के 4 मिलियन मीटरी टन विशेष परिमाण अयस्क का वार्षिक उत्पादन करना संभव नही ।

(ग) अनुमान है कि संचय नं० 14 और 5 का विकास करके यंत्रीकृत खानें बनाने में पूंजी की लागत क्रमश: 15.75 करोड़ रु० तथा 20.18 करोड़ रु० होगी।

श्री स० चं० सामन्त : क्या बेलाडिल्ला क्षेत्र में उपलब्ध लोह अयस्क की मात्रा का अनुमान लगाने के लिये व्यापक सर्वेक्षण किये गये थे और यदि हां, तो अनुमानित मात्रा क्या है ?

श्री सु० कु० डे : सर्वेक्षण किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं। उस प्रदेश में लोह अयस्क की अनुमानित उपलब्धता लगभग 10,000 लाख टन है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या वहां पर जो लोह अयस्क उपलब्ध है वह सबसे अच्छी किस्म का है और यदि हां, तो खानों के यन्त्रीकरण में देर क्यों की जा रही है ?

श्री सु० कु० डे : ऐसा कहा जाता है। परन्तु, जब हम कोई खान स्थापित करते हैं तो काफी प्रारम्भिक जांच करनी पड़ती है ताकि हमारी योजनाओं को कोई भारी क्षति न पहुंचे।

Shri Bhagwat Jha Azad : By what time the work relating to the mechanisation of mines will be completed and by what time the exploitation of iron ore will commence ?

श्री सु० कु० डे : आशा है कि कम से कम 25 वर्ष तक इन खानों से लोहे अयस्क निकाला जा सकता है और परियोजना के अनुमान में जब हम यन्त्री करण करेंगे तो खानों की आयु पर पूरी तरह विचार किया जायेगा ताकि यह देखा जा सके कि काम में फायदा रहेगा या नहीं ।

Shri M. L. Dwivedi : How far the iron ore to be produced in Beladilla after mechanisation will cost less than that produced by other methods and whether it will be exported as well ?

श्री सु० कु० डे : इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। यन्त्रीकरण के बिना बड़े पैमाने पर खान का काम करना संभव नहीं है। वहां पर मज़दूरों को लगाना हो यह कहने के बराबर है कि कपड़ा मिलों के स्थान पर मनुष्यों द्वारा बुनाई की जानी चाहिये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात तथा आयात

*367. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री 26 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 496 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात को बढ़ाने और आयात को घटाने में और कितनी प्रगति हुई है;

(ख) निर्यात के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और तीसरी योजना में कितना लक्ष्य पूरा किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) राज्य व्यापार निगम के अनुच्छेद तथा संगठन ज्ञापन में दी गयी उसकी मूल नीति के अनुरूप निगम द्वारा निर्यात में वृद्धि के लिये प्रत्यक सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं। निगम द्वारा आयात में कमी का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि निगम अपने प्रयोग के लिये किसी वस्तु का आयात नहीं करता । निगम केवल ऐसी वस्तुओं का आयात करता है जिन्हें अनिवार्यता के आधार पर वितरित करने की आवश्यकता होती है ।

(ख) निगम द्वारा निर्यात से कमाई हुई विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में जानकारी नीचे दी जा रही है :

वर्ष	करोड़ रुपयों में
1960-61	40.86
1961-62 .	40.86
1962-63 .	43.08
1963-64†	†39.30
1964-65	30.51

†1-10-1963 से राज्य व्यापार निगम का राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के रूप में बटवारा हो गया था ।

(ग) ऐसे कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार

*368. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मधु लिमये :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री यशपाल सिंह :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर इस्पात परियोजना की क्षमता को 16 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा कर 34 लाख मीट्रिक टन करने के बारे में बातचीत करने के लिये हाल ही में ब्रिटेन का एक प्रतिनिधिमण्डल भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री वि० ना० सिंह) : (क) हाल ही अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग देने वाली ब्रिटिश फर्मों जिन्हें संयंत्र और उपकरणों का निर्माण करने और इस्पात कारखाने लगाने का अनुभव है, के प्रतिनिधि भारत आये थे । उन्होंने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटड के साथ चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में दुर्गापुर इस्पात कारखाने का 1.6 मिलियन टन से 3.4 मिलियन टन तक विस्तार करने की योजना के बारे में बातचीत की थी ।

(ख) बातचीत के परिणाम स्वरूप कन्साशियम में 'करार के शीर्षकों' का एक मसौदा पेश किया है जिसमें विस्तार कार्य के निष्पादन के लिए उनकी शर्तों की मोटी मोटी तफसील है । इस पर विचार किया जा रहा है ।

गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों पर विदेशी मुद्रा की कमी का प्रभाव

* 369. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विभूति मिश्र :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योगों ने आगामी छः महीनों के लिए अपने आयात लाइसेंस लौटा देने का निश्चय किया है;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र से इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रत्युत्तर मिला है; और

(ग) मोटरगाड़ी तथा सहायक उद्योगों में देशी वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) यद्यपि सरकारी उपक्रमों से अगले छः महीनों के लिए आयात लाइसेंसों के लिए प्रार्थना पत्र अभी आने है लेकिन विदेशी मुद्रा की कठिन परिस्थिति को देखते हुए उनमें आवश्यकताएं काफी कम कर दी गई हैं । वर्ष की प्रथम छमाई की 25.56 करोड़ रु० की मांग की तुलना में सारे वर्ष की आवश्यकता को घटा कर 21.16 करोड़ रु० कर दिया गया है ।

(ख) निजी क्षेत्र द्वारा वापस किये गये छः आयात लाइसेंसो के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण (आई० डी० ए०) के अन्तर्गत देख भाल के लिए आयात नियतन वर्ष की कुल मांग के 68 प्रतिशत तक तथा गैर-अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण के लिए 16 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है ।

(ग) मोटर गाड़ियों उन पुर्जो उत्पादन के लिए जिनका अभी भी आयात किया जा रहा है, समुचित उत्पादन क्षमता के लिए सहायक उद्योग क्षेत्र को लाइसेंस दिए गए हैं । सहायक उद्योग तथा प्रमुख मोटर गाड़ी निर्माताओं को पुर्जे बनाने के लिए पूंजीगत माल तथा कच्चे माल की आवश्यकताओं के वास्ते यथा सम्भव सहायता दी जाती है । उत्पादकों द्वारा अब बहुत थोड़ी सहायक वस्तुओं का आयात किया

जाता है। जहां तक कच्चे माल का संबंध है अधिकांश आयात विशेष किस्म के इस्पात और इस्पात मिश्रित धातुओं का किया जाता है। विशेष इस्पात के लिए मोटर गाड़ी उत्पादकों से इस्पात उत्पादकों के साथ सम्पर्क रखने के लिए कहा गया है जिससे कि इस उद्योग के लिये आवश्यक विभिन्न प्रकार के इस्पात की किस्मों का मानकीकरण और संतुलित उत्पादन की व्यवस्था की जा सके। जहां तक मिश्रित इस्पात का संबंध है, कई एककों को लाइसस दे दिए गए हैं तथा इनके द्वारा उत्पादन शुरू होने पर आयात करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहेगी।

विज्ञान सम्बन्धी यंत्रों तथा पुर्जों का आयात

*370. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री द्वा० ना० तिवारी :

श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे** की :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान **सम्बन्धी** यन्त्रों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) विज्ञान सम्बन्धी यन्त्रों तथा पुर्जों के उत्पादन में देश किस सीमा तक और कब तक आत्म-निर्भर हो जाएगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : भारत में बनाये जाने वाले यन्त्रों पर पहले से ही कड़ी रोक लगी हुई है। यन्त्रों की अधिकांश किस्में अब देश में ही बनायी जाने लगी हैं। अप्रैल 1965 से मार्च 1966 तक के लिये सुस्थापित आयातकों के लिये इन मदों की आयात नीति घोषित की जा चुकी है। उसके आधार पर मुक्त मुद्रा क्षेत्रों तथा रुपया क्षेत्रों से देश में न बनने वाले यन्त्रों का आयात करने के लिये दिये गये लाइसेंसों का अनुमान 1.61 लाख रु० है। 1 अप्रैल 1966 से आरम्भ होने वाली अगली लाइसेंस अवधि की आयात नीति 1 अप्रैल 1966 तक घोषित हो जाने की आशा है।

(ग) कुछ संवेदनशील यन्त्रों को छोड़ कर स्कूलों तथा कालेजों में स्नातक स्तर तक की शिक्षा में काम आने वाले वैज्ञानिक यन्त्रों तथा संघटकों के उत्पादन में देश लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है।

Manufacture of Auto-cycles

*372. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Subodh Hansda :**
Shri P. C. Borooah : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the reasons to stop the manufacture of Lambretta Auto-cycles by the manufacturers of Lambretta Scooters;

(b) whether licences to manufacture these Auto-cycles have been given to any other factories or industrialists;

(c) if so, the names thereof; and

(d) whether Auto-cycles will be available in the Indian markets in proportion to the demand of the public ?

The Minister of Industry (Shri Sanjivayya) : (a) M/s. Automobile Products of India, Bombay were orginally licensed for the manufacture of three kinds of vehicles—Scooters, three-wheelers and Auto-cycles. In the beginning, they concentrated on the development of scooters and three-wheelers and made good progress in the manufacture of these two types of vehicles. In 1962, a review of their manufacturing activities was made and it was felt that their plant utilisation would be better if they manufactured scooters and three-wheelers only. They were accordingly advised to confine their manufacturing activities to these two types of vehicles.

(b) Licences for manufacture of vehicles in approximately the same power range have been granted to other parties.

(c) (1) M/s. Saund Zweirad Union (India) Private Ltd., Gwalior (M.P.), (2) M/s. Mopeds India Limited, Tirupathi (A.P.), and (3) M/s. Ideal Jawa (India) Ltd., Mysore.

(d) The capacity so far licensed is not considered sufficient to meet the demand. Accordingly, the question of licensing additional capacity in the field is under consideration.

प्रदर्शन कक्ष

* 373. **श्री कर्णी सिंहजी :**

श्री हेम बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतियोगिता करने तथा अपना निर्यात बढ़ाने के लिये विदेशों में महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्रों में सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित प्रदर्शन-कक्ष स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या व्यापार प्रबन्धकों को विदेशी यात्रा के लिये प्रोत्साहन देकर निर्यात अभियान को तेज करने का भी सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यापारी माल का विदेशों में वाणिज्यिक दृश्य प्रचार करने के लिये भारत सरकार 15 प्रदर्शन कक्ष / व्यापार केन्द्र और 6 प्रदर्शन-केस / प्रदर्शन गवाक्ष चला रही है। इन की एक सूची सदन की मेज़ पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5693/66**] भारतीय राज्य व्यापार निगम राटरडम (नीदरलैण्ड) तथा मास्को (सोवियत रूस) में प्रदर्शन-कक्ष और भारतीय दस्तकारी तथा हथकरघा निर्यात निगम न्यूयार्क में एक प्रदर्शन-कक्ष सह खुदरा बिक्री दुकान चलाता है।

भारतीय राज्य व्यापार निगम का प्रस्ताव एक तीसरा प्रदर्शन-कक्ष माण्ट्रियल (कनाडा) में इसी महीने खोलने का है; इसी प्रकार भारतीय दस्तकारी तथा हथकरघा निर्यात निगम इसी वर्ष पेरीस में एक नया प्रदर्शन-कक्ष-सह खुदरा बिक्री दुकान खोलना चाहता है ।

इसके अलावा भारत सरकार ने "प्लान आफ नेशन्स" विश्व-व्यापार केन्द्र न्यूयार्क में भी भाग लेने का निश्चय किया है जो 1968 में होगा।

(ख) तथा (ग) : निर्यात संवद्धन के एक उपाय के तौर पर मन्त्रालय भारतीय रिजर्व बैंक को उन व्यापारियों को विदेशी मुद्रा देने की सिफारिश भी करता है जो विदेशों की यात्रा करने जाते हैं। यथासम्भव सभी वैध आवेदन मंजूर किये जाते हैं। विदेशी मुद्रा की स्थिती सुधर जाने पर इस बारे में और भी ढील करने तथा नये प्रदर्शन कक्ष खोलने के प्रश्न पर विचार हो सकेगा।

निर्यात नीति

*374. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री विभूति मिश्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 19 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 334 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल ने निर्यात नीति सम्बन्धी प्रारूप विवरण पर विचार कर लिया है और उसका अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसे संसद् में चर्चा के लिये कब पेश किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) आशा है उसे संसद् में चर्चा के लिये चालू सत्र में ही पेश किया जायेगा।

के–62 कल्याणी स्थानीय रेलगाड़ी में लूट की घटना

*375. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 दिसम्बर, 1965 को पूर्वी रेलवे की के-62 कल्याणी स्थानीय रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे हुए यात्रियों को सशस्त्र व्यक्तियों ने लूट लिया;

(ख) क्या अपने परिवार के साथ यात्रा करने वाले एक रेलवे कर्मचारी के आभूषण तथा अन्य कीमती वस्तुएं लूट ली गईं;

(ग) क्या उन बदमाशों को रोकने का प्रयत्न करता हुआ एक यात्री छुरे से बुरी तरह घायल कर दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : जी हां।

(घ) सियालदह की सरकारी रेलवे पुलिस के अफसर इंचार्ज ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394 के अधीन 15-12-1965 को एक मामला दर्ज किया। तत्काल तलाशी ली गयी, जिसके फलस्वरूप एक नेकलेस, जो एक रेलवे अफसर की पत्नी का बताया जाता है, बरामद किया गया। एक छुरा भी बरामद हुआ। घटना के तत्काल बाद पकड़े गये एक अभियुक्त के स्वीकारात्मक बयान पर 4 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। अब यह मामला बंगाल खुफिया विभाग की देख-रेख में है।

थाइलैंड से कच्चे पटसन की खरीद

*376. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री किशन पटनायक :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन के द्वारा थाइलैंड से कच्चा पटसन देश के सुस्थापित आयतकों के माध्यम से नहीं अपितु सीधे खरीदा जा रहा है;

(ख) क्या थाइलैंड में भी यह कार्य केवल पांच जहाज मालिकों को दिया गया है;

(ग) कितना पटसन खरीदा जा रहा है तथा उसकी प्रति मीट्रिक टन दर क्या है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में अधिक मूल्य के बीजक बनाये जाने और परिणामस्वरूप देश को विदेशी मुद्रा की हानि होने की शिकायतें मिली हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) कच्चे पटसन का आयात करने के लाइसेन्स साधारणतः स्वयं उपभोक्ताओं, अर्थात् पटसन मिलों को दिये जाते हैं और सुस्थापित आयातकों को नहीं। चालू मौसम में कुछ आयात तो स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा और कुछ पटसन बफर भण्डार संस्था की ओर से किया गया है।

(ख) जहां तक पटसन भण्डार संस्था द्वारा किये गये आयात का सम्बन्ध है। यह खरीद माल भेजने वाले पांच प्रमुख व्यापारियों से की गई है।

(ग) पटसन बफर भण्डार संस्था 6 लाख गांठ का आयात करेगी इसका मूल्य माल की किस्म के अनुसार 65 से 80 पौण्ड तक प्रति मी० टन लागत भाड़ा कलकत्ता तक होगा।

(घ) जी, नहीं।

Exports to Australia

*377. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Australia is importing more electric fans, cycles, motor spare parts, railway signalling equipment and jute goods from India this year as compared to last year; and

(b) if so, whether Government are formulating a plan to improve the quality of these goods in order to attract the consumers there ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Yes, Sir. But there have been no exports of cycles to Australia.

(b) Government have already launched a plan for improving the quality of these and other goods by exercising quality control and preshipment inspection under the authority of Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963. Jute goods for export have already been brought under compulsory quality control and inspection. In respect of electric fans, cycles and motor spare parts, in process quality control to ensure the quality of production has already been organised by visits to the production units by panels of experts. In respect of railway signallinge quipment inspection is already being done by D.G. S.&D. to ensure conformity to specification in export contract.

रियायती रेलवे पास/पी.टी.ओ.

*378. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम श्रेणी के रियायती रेलवे पासों/पी०टी०ओ० के साथ यात्रा करने वाले रेलवे अधिकारियों को, वातानुकूलित डिब्बे के किराये और प्रथम श्रेणी के किराये के अन्तर का भुगतान करके वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा करने का हक होता है; और

(ख) यदि हां, तो जब वातानुकूलित डिब्बे की यात्रा के लिये जनता की बड़ी भीड़ है, तो रेलवे अधिकारियों को यह रियायत दिये जाने का क्या औचित्य है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलवे अफसरों को, पहले दर्जे और वातानुकूल दर्जे के किराये के अन्तर का 1/3 भुगतान करने पर सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेशों पर वातानुकूल दर्जे में यात्रा करने की अनुमति है।

(ख) 1-4-1955 से, पुराने पहले दर्जे को समाप्त करने से पहले, जो रेलवे अफ़सर पुराने पहले दर्जे में यात्रा करने के पात्र थे, वे वातानुकूल दर्जे और पहले दर्जे के किराये के अन्तर का भुगतान करके, वातानुकूल दर्जे में यात्रा कर सकते थे; यह अन्तर 3 पाई प्रति मील था। इस अधिकार को बनाये रखने के उद्देश्य से यह निर्धारित कर दिया गया कि वे, वातानुकूल दर्जे और नये पहले दर्जे के किराये के अन्तर का, जो काफी अधिक है, एक तिहाई किराया दें। इस दर से भी जो किराया देना आवश्यक होता है, वह तीन पाई प्रति मील की पुरानी दर से अधिक है।

कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

*379. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री मलाइछामी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : कपड़ा मिलों के पुनःस्थापन तथा आधुनिकीकरण का कार्यक्रम निरन्तर चलता रहता है और वित्तीय संस्थाएं इस कार्य में मिलों को सहायता देती हैं। चौथी योजना में भी यही सुविधाएं जारी रहेंगी। आधुनिकीकरण, पुनस्थापन, विस्तार और नये कारखाने खोलने के लिये देश में अधिकाधिक आधुनिक मशीनें बनायी जा रही हैं।

ट्रकों का निर्माण

*380. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हलकी मोटर गाड़ियों के समान ही ट्रक निर्माण की क्षमता को बढ़ाने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या ऐसी परियोजनाओं से सम्बन्धित नये कारखाने खोलने और विद्यमान कारखानों का विस्तार करने पर लगे हुए प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है अथवा हटाया जा रहा है;

(ग) क्या रूस कुछ भारतीय फर्मों के सहयोग से ऐसी परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिये सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (घ) : सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) : सभी किस्मों की वाणिज्यिक गाड़ियों का निर्माण करने के लिये नये कारखानों की स्थापना करने पर लगाया गया प्रतिबंध अभी 30 जून, 1966 तक लागू है। वर्तमान कारखानों का विस्तार करने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। वाणिज्यिक गाड़ियों के लिये, हल्की गाड़ियों को सम्मिलित कर, अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के प्रश्न पर चौथी योजना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा।

(ग) और (घ) : एक भारतीय फर्म ने हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों का निर्माण करने के लिये सोवियत रूस की एक एजेंसी से सहायता लेने का प्रस्ताव किया था। इस योजना में कुल 6 करोड़ रुपये की पूंजी से 1-3 टन के बीच की क्षमता वाली 24,000 गाड़ियां प्रति वर्ष बनाने का विचार है। उपर्युक्त प्रतिबंध को देखते हुए इस योजना के लिये मंजूरी नहीं दी गई है।

प्रयुक्त रेल टिकटों की जालसाजी करने वालों का गिरोह

* 381. **श्री नारायण रेड्डी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री उटिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में केन्द्रीय जांच ब्यूरों के विशेष पुलिस संस्थान ने रेलवे में प्रयुक्त रेल टिकटों की जालसाजी करने वालों के गिरोह का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस गिरोह में कितने व्यक्ति अपराधी पाये गये हैं; और

(ग) इस गिरोह के लिये जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। विशेष पुलिस सिब्बन्दी ने हाल में सूरत और बर्दवान में इस प्रकार के दो मामले पकड़े हैं। रेलवे चौकशी शाखा द्वारा पकड़ा गया एक तीसरा मामला विशेष पुलिस सिब्बन्दी को सुपुर्द कर दिया गया है।

(ख) इनमें दो रेल कर्मचारियों और एक बाहरी व्यक्ति का हाथ है। विशेष पुलिस सिब्बन्दी मामलों की छानबीन कर रही है।

(ग) सूरत में पकड़े गये मामले में, विशेष पुलिस सिब्बन्दी ने भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। इसी प्रकार की कार्रवाई बर्दवान वाले मामले में की गयी है। सम्बन्धित बुकिंग क्लर्क गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे सेवा से भी निलम्बित कर दिया गया है। पूर्व रेलवे के जगतदल में पकड़े गये मामले में, विशेष पुलिस सिब्बन्दी ने आपराधिक षड़यंत्र, जालसाजी, धोखाघड़ी आदि का मामला दर्ज कर लिया है और जिस बाहरी व्यक्ति का इसमें हाथ था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

एक्सप्रेस तथा डाक रेलगाड़ियों की गति में वृद्धि

*382. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मधु लिमये :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एक्सप्रेस तथा डाकगाड़ियों की गति को 75 मील प्रति घंटे से बढ़ाकर 100 मील प्रति घंटा करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रियों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त पूर्वोपाय किये गये है;

(ग) अन्य रेलगाड़ियों की गति को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाई की गई है;

(घ) जिन रेलवे जोनों में रेलगाड़ियों की गति बढ़ाई गई है उनका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं । लेकिन, अपेक्षित धन और विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुई तो 1-4-1968 से नयी दिल्ली और आगरा के बीच ताज एक्सप्रेस की रफ्तार को बढ़ाकर 120 कि०मी० (75 मील) प्रति घंटा कर देने का विचार है ।

(ख), (ग) और (घ) : सवाल नहीं उठता ।

उत्तर रेलवे के कर्मचारियों के सम्मान में युद्ध स्मारक

*383. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान सीमावर्ती स्टेशनों पर नियुक्त उत्तर रेलवे के जिन कर्मचारियों ने वीरगति प्राप्त की है, उनके सम्मान में युद्ध स्मारक बनाने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दो प्रकार के स्मारक बनाये जायेंगे :—

(1) रेल कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जिन स्थानों पर धराशयी हुए, उनमें से प्रत्येक के निकट संगमरमर के शिलालेख सहित एक-एक स्मारक खड़ा किया जायेगा ।

(2) प्रत्येक सम्बन्धित रेलवे स्टेशन के किसी प्रमुख स्थान पर संगमरमर का एक-एक उपयुक्त शिलालेख लगाया जायेगा ।

Railway Magistrate, Ratlam

*384. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Barooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his attention has been invited to the fact that the Railway Magistrate, Ratlam summoned the Station Master of Ujjain Station (Western Railway) at night even when it was not court time and punished him on account of personal prejudices;

(b) whether Government consider it desirable that the Railway Magistrates should work under the Railway Board and not under the State Government in respect of the offences committed within the Railway premises; and

(c) what steps are being taken against the Magistrate who took illegal action against the Station Master ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The desirability or otherwise of the Railway Magistrates working under the Railway Board does not arise as administration of justice and constitution and organisation of all courts except the Supreme Court and the High Court are matters covered by Entry 3 of the State List in the Seventh Schedule of our Constitution.

(c) He has been stopped from working as a Railway Magistrate and transferred to Khurai. The question of holding a departmental enquiry as recommended by the High Court is under the active consideration of the Madhya Pradesh State Government.

कोयला खानों की रायल्टी

*385. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री बसुमतारी :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का कोयले के खनन पट्टों के बारे में रायल्टी बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि की जायेगी; और

(ग) यह वृद्धि किस तिथि से लागू की जायगी ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क), (ख) और (ग) : 25-10-49 से पूर्व स्वीकृत खनन पट्टों की राज्यशुल्क की दर 1-1-66 से एफ०ओ०आर० मूल्य का 5 प्रतिशत बढ़ा दी गई है, बशर्ते कि यह 50 पै० प्रति मीटरी टन से कम न हो।

प्रसाधन सामग्री का आयात

*386. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रसाधन सामग्री के आयात पर सब नियंत्रण होने के बावजूद भी प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपये के मूल्य के लिप स्टिक समेत करोड़ों रुपये के मूल्य की प्रसाधन सामग्री का आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की इस फिजूल खर्ची को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों में प्रसाधन सामग्री का वास्तव में कोई आयात नहीं किया गया है।

झाझे स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर सायबान (शेड्स) और पनाहघर (शैल्टर्स)

1556. श्री मधु लिमये : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्व रेलवे के झाझे स्टेशन पर सायबानों और पनाहघरों की अपर्याप्तता की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में अतिरिक्त सायबान बनाने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) फ़िलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

कोयला खानों का विकास

1557. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन के राष्ट्रीय कोयला बोर्ड के सहयोग से राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की तीन कोयला खानों के विकास में क्या प्रगति हुई है;

(ख) करार को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगने की संभावना है; और

(ग) इन खानों के विकास के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) अब यह निश्चित किया गया है तीन कोयला खानें जिनकी परियोजना रिपोर्ट नेशनल कोल बोर्ड यू० के० ने बनाई है, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम इसे स्वयं विकसित करेगी तथा केवल ऐसा उपकरण जो देश में प्राप्त नहीं है विदेश से मंगवाया जायगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) तीन खानों में से दो के लिये लगभग 93 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। तीसरी की परियोजना रिपोर्ट का अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के बाद ही तीसरी खान के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है।

केरल में सोने के लिए सर्वेक्षण

1558. श्री अ० क० गोपालन : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के देवला वीनाड में सोने के निक्षेपों के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय।

(ख) देवला क्षेत्र में विस्तृत अन्वेषण प्रगति पर है। इसके सब प्रकार से पूरा हो जाने पर परिणाम का पता चलेगा।

केरल में नारियल जटा उद्योग

1559. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में नारियल जटा उद्योग को वर्तमान काल के उपयुक्त ढालने का विचार कर रही है ताकि उक्त उद्योग प्रगतिशील विश्व बाजार की मांग के अनकूल उत्पादन कर सके;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम की मुख्य बातें ये हैं :—

(1) नारियल जटा चटाई क्षेत्र के एक तिहाई भाग का यंत्रीकरण;

(2) शक्तिचालित करघों द्वारा नारियल जटा की चटाइयों के उत्पादन के लिये नारियल जटा बोर्ड द्वारा एक मशीनी कारखाने की स्थापना;

(3) नारियल जटा प्रशिक्षण तथा डिजाइन केन्द्र की स्थापना;

(4) किस्म नियंत्रण तथा जहाज लदान पूर्व निरीक्षण का प्रवर्तन; तथा

(5) उत्पादन का विविधीकरण।

हथकरघा उत्पादों का बाजार अनुसंधान सर्वेक्षण

1560. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की कपड़ा समिति तथा दक्षिण भारत कपड़ा अनुसन्धान संस्था ने संयुक्त रूप से हथकरघा उत्पादकों का बाजार अनुसंधान सर्वेक्षण कराया था;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के मुख्य परिणाम क्या है; और

(ग) इस सर्वेक्षण के विभिन्न परिणामों को ध्यान में रखते हुए हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं। केवल दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान संस्था को ही कथकरघा उद्योग के बाजार अनुसन्धान अध्ययन का कार्यक्रम चालू रखने का भार सौंपा गया था।

(ख) इस अध्ययन तथा उसकी सिफारिशों की विशेषताएं संलग्न विवरण (अंग्रेजी में) में दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5694/66]**

(ग) ये सिफारिशें तथा सुझाव अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के विचाराधीन हैं।

शिल्पियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

1561. **श्री मुरली मनोहर :**

श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष दस्तकारी तथा डिजाइन तैयार करने में असाधारण योग्यता के लिए बड़ी संख्या में शिल्पियों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा किस-किस विशिष्ट दस्तकारी के लिए पुरस्कार दिये जायेंगे;

(ग) योग्य शिल्पियों को पुरस्कार कब दिया जायेगा; और

(घ) पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां। 25 इनाम देने के लिये 27 उस्ताद कारीगर चुने गये। दो पुरस्कार दो दो व्यक्तियों में विभाजित किये गये। एक पुरस्कार एक दम्पति के बीच तथा दूसरा सहयोगी कारीगरों में विभाजित कर दिये गये। केवल 24 पुरस्कार दिये गये। एक पुरस्कार रोक लिया गया क्योंकि उसके नमूने को एक अन्य कारीगर ने अपना बताया।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5695/66]**

(ग) ये पुरस्कार 25 जनवरी 1966 को राष्ट्रपति ने भेंट किये।

(घ) प्रत्येक पुरस्कार 1000 रुपये का होता है और उसके साथ एक एक अंगवस्त्रम् तथा पीतल का एक विश्वकर्मा पटल भी दिया जाता है।

जिस दम्पति के मध्य एक पुरस्कार विभाजित किया गया उसे 1000 रुपये नगद, एक पटल और दो अंगवस्त्रम् दिये गये। जिन दो कारीगरों में एक पुरस्कार विभाजित किया गया उनमें से प्रत्येक को 500 रुपय नगद और एक एक अंगवस्त्रम और एक एक पटल दिया गया।

पठानकोट कथुआ रेलवे लाइन

1562. श्री मुरली मनोहर :

श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कथुआ और पठानकोट के बीच रेलवे लाइन बनाने का काम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन पर रेल गाड़ियां कब चलने लगेंगी; और

(ग) इस परियोजना पर लगभग कुल कितना व्यय हुआ ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : सम्भवत: माननीय सदस्यों का आशय माधोपुर-कथुआ रेल सम्पर्क के निर्माण से है क्योंकि पठानकोट और माधोपुर के बीच रेलवे लाइन पहले से मौजूद है। माधोपुर-कथुआ रेलवेलाइन बनकर तैयार हो गयी है और 20-1-1966 से यातायात के लिए खोल दी गयी है।

(ग) इस परियोजना पर अनुमानत: कुल 2 44 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है।

इलेक्ट्रानिक्स कारखाना

1563. श्री राम हरख यादव : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगोस्लाविया के एक इलेक्ट्रानिक्स कारखाने ने बम्बई की एक फर्म के साथ एक इलेक्ट्रानिक्स कारखाना स्थापित करने के लिए आर्थिक तकनीकी सहयोग सम्बन्धी समझौता किया है: और

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है और कारखाने में क्या क्या सामान बनाया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) विदेशी सहयोग के प्रस्ताव की जांच की जा रही है । जिन वस्तुओं का निर्माण करने का प्रस्ताव है वे अनुबन्ध में दे दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये सख्या एल० टी० 5696/66]**

पहलेजाघाट और हरखुआ के बीच सीधा जाने वाला डिब्बा

1564. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले पूर्वोत्तर रेलवे के पहलेजाघाट और हरखुआ स्टेशनों के बीच एक सीधा जाने वाला डिब्बा (कोच) लगाया जाता था;

(ख) यदि हां, तो इसे कब से बदन कर दिया गया है और इस के क्या कारण है;

(ग) क्या आम जनता की कठिनाई को दूर करने के लिए इस सीधे जाने वाले डिब्बे को फिर से चलाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क), (ख) और (ग) : पहलेजाघाट और हरखुआ स्टेशनों के बीच कोई सीधा डिब्बा नही चला करता था । लेकिन 1-10-1954 से मशरक के रास्ते सिवां और पहलेजाघाट के बीच तीसरे दर्जे का जो सीधा डिब्बा चलाया गया था और जो हरखुआ स्टेशन से भी होकर जाता था, उसे 1-7-1958 से बन्द कर दिया गया क्योंकि उसका बहुत कम उपयोग होता था । सीधा यातायात बहुत कम होने के कारण इस सीधे डिब्बे को फिर से चलाने का औचित्य नही है ।

रूस से मशीनों का आयात

1565. श्री राम हरख यादव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965-66 में रूस से भारी मशीने आयात की गई;

(ख) यदि हां, तो इन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें किन शर्तों के अन्तर्गत आयात किया गया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5697/66]**

चेरवत्तूर (केरल) के पास रेलवे फाटक

1567. श्री मुहम्मद कोया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेरवत्तूर (केरल) के पास रेलवे फाटक को नवम्बर, 1965 से बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो फाटक बन्द करने के क्या कारण है;

(ग) क्या इस क्षेत्र के पड़ने तथा अन्य स्थानों के लोगों को इसके कारण बहुत कठिनाई होती है और क्या इस सम्बन्ध में वहां की पंचायत से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं। केवल चेरवत्तूर स्टेशन से लगी रेलवे जमीन पर बना एक अनधिकृत रास्ता बन्द कर दिया गया था।

(ख) रेलवे जमीन पर किसी अनधिकृत रास्ते की अनुमति नहीं है।

(ग) और (घ) : जनता को कोई असुविधा है, इस बारे में रेलवे को जानकारी नहीं है। पंचायत निकाय से इस आशय का एक अभ्यावेदन मिला है कि रेलवे जमीन का कुछ हिस्सा एक नियमित रास्ता बनाने के लिए छोड़ दिया जाये। इस मामले पर अब विचार किया जा रहा है।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के अभियन्ता (इंजीनियर)

1568. श्री सेझियान :

श्री राजाराम :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के बहुत से अभियन्ताओं को छंटनी के नोटिस जारी किये गये हैं;

(ख) कितने अभियन्ता (एक) स्थायी तौर पर और (दो) अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं; और

(ग) क्या छंटनी किये जाने वाले अभियन्ताओं को दूसरी जगह अन्य सरकारी उपक्रमों में लगाने के लिये कोई प्रबंध किया गया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय। एक वर्ष में 344 सिविल इंजीनियरों में से 245 व्यक्ति अतिरेक में आये परन्तु उनमें से अब तक केवल 85 को 31-3-66 से छंटनी का नोटिस दिया गया क्योंकि इस तिथि के बाद उनके योग्य कोई काम नहीं है।

(ख) नेवेली लिगनाइट निगम (लि०) के किसी सिविल इंजीनियर को अब तक स्थाई नियुक्ति नहीं दी गई है और उसके 344 इंजीनियरों में से सबके सब अस्थाई हैं।

(ग) सरकार उन्हें दूसरे सरकारी उपक्रमों अथवा सरकारी विभागों में लगाने का पूरा प्रयत्न कर रही है। इसके फलस्वरूप 41 अतिरेक सिविल इंजीनियरों को, उन 6 को शामिल करके जिन्हें छंटनी का नोटिस दिया जा चुका है, अभी तक नौकरी दे दी गई है।

ट्रांजिस्टर सैलों की कमी

1569. श्री लखमु भवानी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे ट्रांसिस्टर "सैलों" की बहुत अधिक कमी है और वे बाजार में बहुत अधिक दामों पर बेचे जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) और (ख) : हाल ही में हुए युद्ध के कारण बैटरी के निर्माण की क्षमता रेलवे, प्रतिरक्षा और अन्य सरकारी विभागों की मांग पूरी करने में लगा दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ट्रांजिस्टर के सेलों के उत्पादन में कमी हो जाने से इन सेलों का अभाव हो गया था। इस कमी को पूरा करने के लिये उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से शीघ्र ही कुछ और योजनाएं चलाने की आशा है।

Education of Blind, Deaf and Dumb Children

1570. Shri M. L. Dwivedi :
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the nature of assistance being given at present by the Government of India for the education of blind and deaf persons and dumb children ; and

(b) the total number of existing educational institutions for the blind, deaf and dumb persons in Centrally administered areas and in other States and the nature of assistance extended by the Centre and States for running them ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Smt. Chandrasekhar) : (a) & (b). According to the information available in the Department, the number of educational institutions for the blind and the deaf and dumb persons in the country is 115 and 71 respectively. The Central Government gives grants to voluntary organisations for the handicapped including institutions for the blind and the deaf for developmental activities. It also awards scholarships to blind and deaf students for higher education and for technical or professional training. Some of the State Governments also award scholarships to blind and deaf students. Many institutions for the blind and the deaf receive financial assistance from the State Governments. A few institutions are managed directly by the Central and State Governments.

लघु उद्योग एम्पोरियम (भंडार) नई दिल्ली

1571. श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बड़े :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दिसम्बरमें केन्द्रीय लघु उद्योग एम्पोरियम (भंडार), नई दिल्ली को आग से हुई हानि का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या आग लगने के कारणों का पता लगा लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) रु० 22,526.59.

(ग) जी हां। बिजली का तार खराब होने के कारण आग लग गई।

Misappropriation of Money in the Khadi Gramodyog Centres

1572. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Signh Siddhanti :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether complaints of misappropriation of money and property have been received from different centres of the Khadi Gramodyog;

(b) if so, the nature thereof and the names of the Centres where misappropriation has taken place ; and

(c) the estimated loss ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Fire Accident Near I.O.W.C. Jawar (Western Railway)

1573. Shri Bade : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a fire accident took place on the 14th July, 1962 as a result of a blast near I.O.W.C. Jawar on the new railway line, Udiapur-Himatnagar, on the Western Railway;

(b) if so, the number of persons (i) injured and (ii) physically incapacitated for life, as a result thereof;

(c) whether it is also a fact that the persons who were in charge of the work did not have the requisite qualifications and the produced forged certificates when the enquiry was held; and

(d) the action taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Only one Works Mate who was supervising the work was injured. He was given medical treatment and a fit certificate was issued on 4-10-1962. Of late, he has been complaining of reduction of physical ability and loss of eye-sight. He has, therefore, again been sent for medical examination and the result is awaited.

(c) No.

(d) An enquiry was held on 8-8-1962 and the finding was that the exact cause of the blast could not be established.

वाणिज्यिक जानकारी विभाग

1574. डा० पू० ना० खां :

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक जानकारी विभाग का योगदान इसके स्थापित होने से अब तक की अवधि में संतोषजनक रहा है;

(ख) 1964 तथा 1965 में आयात तथा निर्यात सम्बन्धी विवादों तथा माल के न भेजे (नोन-डेलिवरी) जाने के दावों के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ग) उक्त अवधि में विदेशों से ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) प्रत्येक वर्ष में कितने मामले निबटाये गये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :—

	1964	1965
आयात सम्बन्धी विवाद . .	22	16
निर्यात सम्बन्धी विवाद . . .	438	389
	460	405
माल न दिये जाने के कारण हुई हानि के दावों की संख्या .	130	110
(ग) विदेशी मिली शिकायतें	373	359
(घ) तय किये गये मामलों की संख्या . .	104	136

Corruption on Railways

1575. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that corruption is rampant on all the Railway Administrations;

(b) if so, whether Government propose to hold an enquiry into it by some independent persons; and

(c) whether Government also propose to assess the extent of this evil by initiating the inquiry in Delhi itself ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a), (b) & (c). A statement is attached.

Statement

The problem of corruption on Railways has been receiving the attention of Government for quite some time and it was in its context that an Enquiry Committee was appointed in 1953, under the Chairmanship of Dr. H. N. Kunzru, who later handed over the same to Shri J. B. Kripalani. This Enquiry Committee submitted its report in 1955 and Government have already implemented such of the recommendations as were accepted.

In 1962, Government appointed another Committee under the Chairmanship of Shri K. Santhanam M.P. to enquire into and report on the modes, extent and nature of corruption prevalent in all departments of the Government of India including the Railways. This Committee submitted its report in 1964 and many of its recommendations have already been accepted and implemented by Government. This Committee had paid special attention to the Railways and made certain important recommendations relating exclusively to the Railways, almost all of which have been accepted by Government and implemented.

Arising out of the implementation of these recommendations of the Committee on Prevention of Corruption, not only has the Vigilance Organisation functioning on the Indian Railways been strengthened and put on a sound footing, but a number of changes in procedures are also being brought about. Though these steps have been taken rather recently, it has been seen that, by any standards,

a general awareness of the existence, functions and usefulness of the anticorruption organisation has already been created.

Since, however, these steps are part of Government's policy to combat corruption on the Railways, it is much too early to assess the exact effect of the same, and thus it would be quite premature to consider the appointment of another Committee at this juncture.

Meanwhile, all complaints or information coming to notice indicating corrupt practices are promptly attended to and action taken wherever necessary.

कागज मिल

1576. श्री गुलशन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1965 में किसी विश्व संगठन ने सरकार को बड़े पैमाने पर कोई कागज मिल खोलने के लिए सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) से (ग) : सरकार स्वयं ही सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लुग्दी/कागज/अखबारी कागज बनाने के कारखाने स्थापन करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है। इसके लिए आरम्भिक आयोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और विस्तृत आयोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसी दौरान विदेशी फर्मों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन पर यथोचित विचार किया जा रहा है।

खाद्यान्नों के सुरक्षण के लिए मोमी कागज का उत्पादन

1577. श्रीमती सावित्री निगम :

श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए रूसी तकनीशियनों की सहायता से मोमी कागज का उत्पादन करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Tariff Revision Committee

1579. Shri D. N. Tiwary : **Shri M. N. Swamy :**
Shri Kolla Venkaiah : **Shri Laxmi Dass :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Tariff Revision Committee has submitted their final report to Government ;

(b) if so, their main recommendations; and

(c) if not, when the report is likely to be submitted ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) to (c) . The Tariff Revision Committee finalized the lines of its report on the customs tariff at a meeting held on the 7th and 8th February, 1966, and the report is expected to be submitted to Government shortly.

Pre-fabricated Houses

1580. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Yutaka Kichizi a member of the four-member Japanese Team which visited India recently, has made any suggestion regarding the construction of pre-fabricated houses at a cost of Rs. 3,000 for the people belonging to the low income group;

(b) whether the other member of the team Mrs. Hiroko Hasigava has also suggested to prepare the national dress 'Kimano' of that country in Andhra Pradesh;

(c) whether their suggestions have been considered by the Government; and

(d) if so, the decisions taken thereon ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Yes, Sir. A suggestion regarding the construction of pre-fabricated houses for low income group has been made which is under consideration.

(b) Mrs. Hiroko Hasigava has suggested the preparation of 'Kimanos' from Indian Textiles. This suggestion is under consideration.

(c) & (d). The matter is still under consideration.

बिड़ला उद्योग समूह द्वारा विदेशी सहयोग प्राप्त करना

1581. श्री मधु लिमये :

श्री किशन पटनायक :

क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला उद्योग समूह को विदेशी सहयोग से बिहार में एक मिश्रित इस्पात कारखाना स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सहयोग की मुख्य बातें क्या हैं और निर्माण-कार्य कब तक पूरा होगा तथा इस कारखाने में कब से कार्य आरंभ हो जायेगा ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री वि० ना० सिंह) : (क) जी, हां, 40,000 टन तक सीमित क्षमता के लिए ।

(ख) उत्पादन में तकनीकी जानकारी फ्रांस के सोसाइट डेस फोर्जस एटलायर्स डू क्रियोसोट (एस० एफ० ए० सी०) देंगे । कारखाना स्थापित करने में इंजीनियरी की सेवाएं एक दूसरी फर्म देगी ।

एस० एफ० ए० सी० भारतीय कम्पनी के ईक्विटी कैपिटल में भी धन लगायेगी ।

सहयोग कर्ताओं के साथ समझौता होने और अन्य औपचारिक बातें पूरी होने के बाद कारखाने का निर्माण कार्य लगभग तीन वर्षों में पूरा होगा ।

चाय का निर्यात

1582. **श्री हेमराज :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा चाय बागान मालिक सहकारी विपणन समिति ने इस आशय का अभ्यावेदन किया है कि चाय दिल्ली से विमान द्वारा ले जाने की बजाय अमृतसर से अफगानिस्तान ले जायी जाए क्योंकि दिल्ली से चाय ले जाने पर भाड़ा अधिक बैठता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) ताशकंद करार के बाद पाकिस्तान हो कर अफगानिस्तान को स्थल मार्ग खुल गया है। इस लिये विमान द्वारा चाय भेजने की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

Selling of American wheat at Arrah Railway Station

1583. **Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a major portion of the American Wheat was being sold unauthorisedly on the 14th and 15 December last in broad daylight from one or two trains at Arrah Railway Station;

(b) whether members of the Railway Protection Force and other employees were also involved therein; and

(c) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) No.

(c) On a report by the Food Supply Inspector of a theft of wheat consignments from Arrah Goods Shed on 5-12-65, implicating some employees of the Government Grain Stockists and some Railway Protection Force Rakshaks, a case under Section 379 was registered by the Government Railway Police at Arrah. After investigation the Government Railway Police declared the case as maliciously false, but could not prosecute the complainant for want of sufficient evidence.

मैंगनीज अयस्क सम्बन्धी समिति

1584. **श्री कोल्ला वेंकय्या :**

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास ।

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज अयस्क निर्यात सलाहकार समिति ने मैंगनीज अयस्क सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर विचार करके उन्हें व्यापार बोर्ड के सामने रख दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : मैंगनीज अयस्क समिति की सिफारिशों की खनिज निर्यात सलाहकार समिति द्वारा जांच की गयी थी तथा जांच के परिणामों पर व्यापार बोर्ड ने 28 दिसम्बर, 1965 को बम्बई में हुई अपनी एक बैठक में विचार किया। बोर्ड ने निम्नलिखित बातें नोट की :—

1. आजकल मैंगनीज अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिये अतिरिक्त निर्यात बाजार ढूंढने की समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि निर्यात के लिये अयस्क की उपलब्धि में वृद्धि करने की तथा जहाज पर पड़ने वाली नि:शुल्क लागत में यथासम्भव कमी करने की है;

2. जुलाई, 1965 से मैंगनीज अयस्क के निर्यात को सरणीबद्ध कर देने के पश्चात उत्पादन बढ़ाने तथा अधिक लाभप्रद करने के लिये सभी सम्बद्धों के प्रयास समन्वित करना अधिक सुगम हो जाना चाहिये;

3. इस उद्देश्य से, खनिज तथा व्यापार निगम ने खनिज उद्योग से विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद, एक सलाहकार समिति की स्थापना की है जिसमें उसके प्रतिनिधियों के साथ खनिज उद्योग से सम्बद्धों के प्रतिनिधि भी हैं;

4. निर्यात वाले मैंगनीज अयस्क के वाणिज्यिक सुधार के लिये संयंत्र लगाने पर ध्यान दिया जाना चाहिये;

5. सम्बद्ध अधिकारियों को भीतरी भागों की खानों से उन स्थानों तक संभरक सड़कें बनाने के कार्य को यथोचित महत्व देना चाहिये जहां से बन्दरगाहों को भेजने के लिये अयस्क का लदान होता है; तथा

6. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैंगनीज अयस्क के निर्यात में वृद्धि की अच्छी सम्भावना है, आगामी कुछ वर्षों में मैंगनीज अयस्क के निर्यात को दुगना करने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयास किये जायें।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन प्रोत्साहन योजना

1585. श्री दाजी : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन इस्पात कारखानों के कर्मचारी किसी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) यदि हां, तो 1965 में प्रत्येक कर्मचारी की प्रति मास औसतन प्रोत्साहन आय क्या थी; और

(ग) क्या इस्पात कारखानों के कर्मचारियों की सभी श्रेणियां प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आती है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री वि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखानों में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी की 1965 की मासिक औसत प्रोत्साहन आय निम्नलिखित है :—

मास 1965	प्रत्येक कर्मचारी की औसत प्रोत्साहन आय		
	भिलाई	दुर्गापुर	राउरकेला
जनवरी	39.95	39.35	43.03
फरवरी	35.70	37.22	43.50
मार्च	44.98	37.22	40.60
अप्रैल	34.74	34.57	37.32
मई	30.30	30.87	37.50
जून	31.74	35.78	35.27
जुलाई	34.36	32.39	43.71
अगस्त	40.54	36.99	41.91
सितम्बर	40.30	30.42	38.50
अक्तूबर	30.34	42.81	34.87
नवम्बर	39.70	39.30	42.47
दिसम्बर	43.92	34.21	41.66

(ग) केवल ऐसे कर्मचारी योजना के अन्तर्गत आते हैं जो उत्पादन में विशेषकर और महत्वपूर्ण सहयोग देते है। इनमें कारखाने के सभी कर्मचारी (कार्यालय के कर्मचारी वर्गको छोड़कर) स्टोर में काम करने वाले कर्मचारी जिनका काम स्टोर की निगरानी करना और उसका प्रबन्ध करना होता है, सामान ले जाने वाली गाड़ियों के चालक आदि आते हैं।

मद्रास बीच तथा ताम्बरम के बीच उपनगरीय बिजली गाड़ी

1586. **श्री उमानाथ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास बीच तथा ताम्बरम के बीच उपनगरीय बिजली गाड़ी सेवा चालू होने के बाद से पहली बार 1964-65 में 1963-64 की तुलना में आय में कमी हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त अवधि में यात्रियों की संख्या में भी कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो आय तथा यात्रियों की संख्या में कितनी कमी हुई है;

(घ) इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि बहुत पुराने डिब्बों पर अधिक भार के फलस्वरूप इस सेवा के बार-बार खराब हो जाने से, जिसके कारण लोगों को बस द्वारा जाना पड़ता है, जनता में फैलता जा रहा असंतोष भी इस कमी का एक कारण है; और

(च) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क), (ख), (ग) और (घ) : मद्रास बीच-ताम्बरम् खण्ड पर उपनगरी बिजली गाड़ियों द्वारा ढोये जाने वाले यात्रियों और उनसे होने वाली आमदनी के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते। कुल यातायात के आंकड़े अलग-अलग कर्षण-प्रणाली के अनुसार रखे जाते हैं, जिसकी प्रक्रिया 1964-65 में संशोधित की गयी थी। कर्षण-प्रणाली के अनुसार दिखाये गये आकड़ों से जो कमी प्रकट होती है, वह वास्तविक रूप में कमी है या नहीं इसकी जांच की जा रही है।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपनगरीय गाड़ियों सन्तोषजनक रूप से चलें, यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है।

लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्था

1587. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में स्थित लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्था का विस्तार करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) विकास कार्यक्रमों में (एक) केन्द्रीय सरकार के (दो) राज्य सरकारों के और (तीन) अन्य अभिकरणों के कितने पदाधिकारियों को आज तक वहां प्रशिक्षित किया गया है;

(ग) क्या वहां विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों को खोलने का विचार किया गया है; और

(घ) क्या इस प्रकार की संस्थाओं को कहीं अन्यत्र भी खोलने का विचार किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, हां।

लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान वर्ष में तीन बार वाले दो पाठ्यक्रम चला रहा है जिनके नाम औद्योगिक प्रबन्ध तथा क्षेत्र विकास पाठ्यक्रम है। उसका विचार अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार निम्नलिखित ढंग से करने का है :—

वर्ष	प्रत्येक पाठ्यक्रम प्रशिक्षित किये व्यक्तियों	प्रत्येक वर्ष में जाने वाले की संख्या
1966-67	100	300
1967-68	150	450
1968-69	200	600
1969-70	250	750
1970-71	300	900
योग	1,000	3,000

(ख) इस संस्था द्वारा 31 दिसम्बर, 1965 तक प्रशिक्षित किये गये अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

(1) केन्द्रीय सरकार	265
(2) राज्य सरकार	136
(3) अन्य एजेंसियां (जिनमें 14 विदेशी और 9 एस०आई० टी०आई० फैकल्टी के अधिकारी शामिल है)	111
योग	512

(ग) जी, हां। इन्स्टीट्यूट ने निम्नलिखित विषयों पर आदि रूपों का विकास किया है :—

(1) विपणन निर्यात महत्व 7-2-1966 से 31-3-1966 तक।

(2) सांख्यिकी किस्म नियंत्रण 31-3-66 से 16-4-66 तक।

संस्था का विचार अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिये औद्योगिक प्रबन्ध तथा क्षेत्र विकास दोनों ही पाठ्यक्रम चलाने का है ।

(घ) फिलहाल नहीं ।

Supply of Coal to Ceylon

1588. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of India have agreed to supply coal to Ceylon; and

(b) if so, the rate and the quantity of coal to be supplied ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) Supplies have commenced since November, 1965 and the contract is for delivering at Colombo about 165,000 tonnes over a period of one year ; the approximate value of the contract is equivalent of about Rupees one crore in foreign exchange.

पटसन मिलों में आग लगने की घटनायें

1589. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन मिलों के गोदामों में प्रतिवर्ष आग के कारण करोड़ों रुपये का कच्चा पटसन नष्ट हो जाता है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार द्वारा ऐसे अग्निकाण्डों के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई जांच समिति के हाल के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो समिति के इन निष्कर्षों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि अधिकतर मामलों में आग निहित पक्षों, जैसे बीमा तथा आग इत्यादि से सम्पत्ति की रक्षा करने वाली कम्पनियों द्वारा "जानबूझ कर" लगवाई जाती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) पता चला है कि पटसन मिलों के गोदामों में आग लगने के कारण 1963, 1964 तथा 1965 के वर्षों में क्रमश: 124.80 लाख रु०, 60.87 लाख रु० तथा 28.62 लाख रु० मूल्य का कच्चा पटसन नष्ट हो गया ।

(ख) समिति ने अपना प्रतिवेदन अभी पेश नहीं किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इस्पात और खनन उद्योगों का विकास

1590. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात और खनन उद्योगों के विकास के लिये दीर्घकालीन योजनायें बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय में एक योजना विभाग (प्लैनिंग सैल) बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विभाग स्वतंत्र रूप से काम करेगा अथवा अन्य विभागों से सहायता लेगा ; और

(ग) यह विभाग इस्पात और खनन मशीनों के पुनर्गठन के लिये कब तक योजनायें तैयार कर लेगा ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) : मंत्रालय में अभी तक एक बहुत छोटासा योजना सैल खोला गया है परन्तु इस सैल का विस्तार करना पड़ेगा तभी यह सैल अपना कार्य सम्यक रूप से कर सकेगा। सैल दूसरे संगठनों से सामंजस्य स्थापित करके कार्य करेगा। चौथी योजना में और उसके आगे इस्पात उद्योग के योजनाबद्ध विकास के लिए इस सैल का कार्य स्थायी किस्म का होगा।

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में जूते बनाने का कारखाना

1591. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में जूते बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आएगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) समुद्रपारीय बाजारों को चमड़े के जूते भेजने के लिए, इन्हें बनाने का एक यन्त्रीकृत कारखाना उत्तर प्रदेश में स्थापित करने पर भारतीय राज्य व्यापार निगम विचार कर रहा है।

(ख) निश्चित स्थान के बारे में निर्णय इस उद्देश्य के लिए स्थापित तकनीकी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद किया जायेगा।

(ग) प्रारंभिक प्रतिवेदन के अनुमान के अनुसार, प्रस्तावित कारखाने पर, जिसके साथ ऊपरी चमड़े के उत्पादन के लिए एक चर्मशोधनालय भी होगा, 87 लाख रु० लागत आयेगी। कार्यचालन पूंजी लगभग 42 लाख रु० होगी।

ट्रकों का उत्पादन

1592. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रकों का और अधिक उत्पादन करने के लिए हिन्दुस्तान मोटर्स ने एक "प्रसार कार्यक्रम" बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) : मसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स को, जिन्हें शुरू में 6,000 बैडफोर्ड गाड़ियां (ट्रक तथा बसें) प्रति वर्ष बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया था, मार्च 1963 में 15,000 गाडियां प्रतिवर्ष तक विस्तार करने के लिए लाइसेंस दे दिया

गया। उनकी स्थापित क्षमता 9,000 गाड़ियां प्रति वर्ष तक बढ़ा दी गई है। 15,000 गाड़ियां प्रति वर्ष के अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें अतिरिक्त विदेशी मुद्रा दे दी गई है तथा अनुमान है कि शीघ्र ही उसकी उत्पादन क्षमता इतनी हो जायगी।

छोटे चाय बागान

1593. डा० पू० ना० खां :

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां छोटे चाय बागान अधिक संख्या में एक ही स्थान पर हैं सरकार का विचार वहां एक केन्द्रीय स्थान पर चाय का परिष्करण के उद्देश्य से सहकारी समितियों के द्वारा उन सबको मिलाकर संगठित करने का है;

(ख) क्या इस व्यवस्था को अन्तिम रूप दे दिया गया है और क्या यह योजना चाय के छोटे उत्पादकों ने स्वीकार कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन में कोई सहकारी समिति का सदस्य बन गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) सहकारी समितियां बनाने का कार्य राज्य सरकारों का है तथा योजनाओं का प्रवर्तन वे ही करती हैं। फिर भी, भारत सरकार तथा चाय बोर्ड छोटे चाय उत्पादकों की सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रत्येक प्रकार की सम्भव सहायता तथा प्रोत्साहन देते हैं क्योंकि बागानों के विकास तथा लाभप्रद कार्यचालन के लिये यह आवश्यक समझा जाता है।

(ख) तथा (ग) : नीलगिरी (मद्रास), केरल तथा कांगड़ा (पंजाब) में, जहां चाय के छोटे उत्पादक मुख्यत: स्थित है चाय के तीन सहकारी कारखाने स्थापित किये गये हैं तथा छोटे उत्पादकों की प्रतिक्रिया अब तक पूर्णत: संतोषजनक रही है। छोटे उत्पादकों के पुनर्वास तथा विकास के लिये मद्रास सरकार की सर्वतोमुखी योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से, नीलगिरी में चाय के छः और सहकारी कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं।

Broad Gauge Line in Goa

†**1594. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any proposals have been received to lay broad gauge line in Goa; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) and (b) : The feasibility of laying a Broad gauge line in Goa, as a part of the conversion of the existing metre gauge line from Hospet to Mormugao in the context of a long term plan for movement of iron ore for export via Goa is under study. Representations from the local trade interests as also from the Government of Goa have been received giving various suggestions regarding a specific

alignment to be followed in the Goa territory. All these suggestions will be given due consideration before a final decision taken in the matter.

लोह अयस्क का निर्यात

1595. श्री यशपाल सिंह :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार लोह अयस्क का निर्यात बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : जी, हां : लोह अयस्क के निर्यात को बढ़ा कर 250 लाख मी० टन तक के वार्षिक स्तर तक पहुंचा देने का एक कार्यक्रम अमल में लाया जा रहा है। इसे पूर्ण करने के लिये कई बन्दरगाहों द्वारा, जैसे कि विशाखापतनम, पारादीप, मद्रास, मुरमागाओं और सम्भवत: हालदिया तथा मंगलौर में भी, लगभग 300 लाख टन की निर्यात क्षमता उत्पन्न करनी पड़ेगी ; इन बन्दरगाहों का पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण करना पड़ेगा और यन्त्रों द्वारा शीघ्र लदान करने की सुविधाओं के अतिरिक्त इन्हें बड़े परिमाण पर अयस्क लादने वाले जहाजों को ठहराने योग्य बनाया जायगा। प्रत्येक बन्दरगाह का विशाल खनन क्षेत्रों से सम्बन्ध स्थापित किया जायगा जहां से उन तक माल आयगा ।

(ग) कार्यक्रम के परिणाम धीरेधीरे प्रकट होंगे; यदि निर्यात स्तर 250 लाख टन तक पहुंच गया तो विदेशी मुद्रा का उपार्जन 100 करोड़ रु० से बढ़ जायगा ।

Shortage of Calcium Carbide

1596. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bagri :
Shri Bade : Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 1801 on the 3rd December, 1965 and state :

(a) the reasons for not including calcium carbide in the category of essential commodities since it is used in the manufacture of iron chains and conduit pipes ;

(b) whether Government propose to investigate into the matter that calcium carbide is being sold in Delhi in black-market; and

(c) the number of factories closed down and the number of workers thrown out of employment on account of the non-availability of calcium carbide?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b) : The capacity developed so far for the manufacture of Calcium Carbide is sufficient to meet the country's present demand. However, the actual production of Calcium Carbide has suffered due to power cut in certain States, resulting in its temporary shortage in the market and spurt in prices which are not controlled. To meet the situation, 5,000 tonnes of Calcium Carbide has been arranged to be imported through State Trading Corporation.

As enough manufacturing capacity has been developed in the country and more has been approved for development during the IV Plan period, it has not been considered necessary to include Calcium Carbide in the Essential Commodities Act.

(c) Government have not received any complaint or report about closure of any factory on account of non-availability of Calcium Carbide. Hence the question of collecting or availability of the information asked for does not arise.

Kota Railway Station

1597. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1802 on the 3rd December, 1965 and state :

(a) whether the enquiry into the representation submitted by Messrs. Raj and Company against the nonrenewal of their contract for the restaurant at Kota railway station has been completed;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it has also been looked into that foodstuffs of inferior quality are supplied by the contractor and also at higher rates; and

(d) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (d). The matter is still under examination.

Compensation to Disabled Railway Employees

1598. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any compensation is paid to those temporary railway employees who become disabled on account of meeting some accidents while on duty;

(b) whether they are provided with some permanent jobs elsewhere instead of giving them compensation; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, subject to the conditions prescribed in the Workmen's Compensation Act being satisfied.

(b) and (c). In addition to the compensation under the Workmen's Compensation Act, efforts are made by the Railway Administrations to give alternative employment to such staff in categories for which they are medically fit.

Hospital near Lallgarh Railway Workshop

1599. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri P. L. Barupal :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2288 on the 10th December 1965 and state :

(a) whether the Central Bureau of Investigation has completed the inquiry into the matter of not using first class bricks in the construction of the Railway Hospital near Lallgarh Railway Workshop (Bikaner Division); and

(b) if so, whether its report will be laid on the Table ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The Report on the technical aspect of the matter is still under preparation, and will be sent to the Central Bureau of Investigation, when ready.

(b) Does not arise.

खतरे की जंजीर खींचने की घटनाएं

1600. श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत वर्ष के अन्त तक विभिन्न रेलों पर खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं में कमी हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मध्य और पर्व रेलों पर खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं में कमी हुई है। अन्य रेलों पर इसमें वृद्धि हुई हैं।

Vicky Mopad Scooterette

1601. Sbri M. L. Dwivedi :
Sbri P. C. Borooah:
Sbri Bbagwat Jba Azad :
Sbri Subodb Hansda :
Sbri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the reasons for fixing high prices of Gwalior made Vicky Mopad Scooterette, whose capacity is only 50 c.c., and the authority under which the prices were enhanced further;

(b) whether it is a fact that the Vicky Mopad Scooterette is far inferior in quality to that of Lambretta Auto-cycle and what are the reasons for the prices of Vicky Mopad Scooterette being double than those of Lambretta Auto-cycle;

(c) whether Government propose to issue order to fix reasonable prices of Vicky Mopad Scooterette, which is reported to be manufactured with cent per cent indigenous parts; and

(d) the prices of Vicky Mopad Scooterette announced by its manufacturers at the time of starting its manufacture, the price on which these were actually sold thereafter and the price being charged from consumers at present ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (d). Government exercise informal control on prices of motor vehicles including mopeds. Prices of vehicles are fixed in the first instance after taking into account the c.i.f. cost of the imported product and other relevant considerations, such as, volume of production, cost of manufacture under the Indian conditions, etc. Thereafter, increases are authorised mainly on account of increased incidence of duties and taxes by Government.

The Vicky Moped and the Lambretta Autocycle are different products with defferent specifications and features, and an objective comparison between the two is not possible.

The Vicky Moped is not cent per cent indigenous and has an indigenous content of 85%.

At the time of starting the manufacture of Vicky Moped, the manufacturers had proposed a retail ex-factory price of Rs. 1495/- exclusive of excise duty as as well as other taxes. After considering all relevant factors on the basis of an examination as referred above, Government approved an ex-factory retail selling price of Rs. 1250 exclusive of excise duty and other taxes. Since then, an increase of Rs. 80 has been allowed arising out of subsequent Government levies. The show-room retail price charged by the dealer to the consumer includes excise duty, transport and incidental charges, sales tax etc. and varies from place to place. The current show-room retail price in Delhi is Rs. 1718.02.

अल्यूमिनियम की उत्पादन क्षमता

1602. **श्री मधु लिमये :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार आगामी पांच वर्षों में अल्यूमिनियम की वर्तमान उत्पादन क्षमता के अतिरिक्त और कुल कितनी उत्पादन-क्षमता पैदा करने का है;

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अलग-अलग कितनी उत्पादन-क्षमता बढ़ायी जायेगी;

(ग) कोयला संयंत्र की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता क्या है; और

(घ) पश्चिम जर्मनी के सहयोग की क्या शर्तें हैं?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) अब तक एल्यूमिनियम की उत्पादन क्षमता 88,350 मी० टन है जो कि प्रचलित परियोजनाओं के पूर्ण होने पर दिसम्बर, 1966 के अंत तक बढ़कर 1,13,350 मी० टन हो जायगी। चौथी योजना में, 1970-71 के अंत तक स्थापित की गई क्षमता के बढ़कर लगभग 2,70,000 मी० टन हो जाने की आशा है।

(ख) चौथी योजना की परियोजनाओं को अन्तिम रूप प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु आशा है कि सरकारी क्षेत्र से 70,000 से 80,000 मी० टन तथा निजी क्षेत्र से 80,000 से 90,000 मी० टन प्राप्त होगा।

(ग) दो प्रावस्थाओं में 50,000 मी० टन प्रत्येक प्रावस्था में 25,000 मी० टन प्रति वर्ष।

(घ) 6 जनवरी, 1966 को भारत एल्यूमीनियम कम्पनी (प्राइवेट) लि० जिसका नाम "बालको" है एक केन्द्रीय सरकार उपक्रम ने, जिसे कोयला एल्यूमिनियम प्राजैक्ट पूर्ण करने का काम सौंपा गया है, पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स वैरिंटी एल्यू-वर्क एक्टिंगसैलशैफ्ट (जिसका नाम "वा" है) के साथ एक समझौता परामर्श प्राप्त करने के लिए किया गया है। समझौते के अन्तर्गत "वा" बालको की योजना बनाने, डिजाइन तैयार करने, पूर्ण एल्यूमिनियम परियोजना के, जिसकी प्रद्रावक क्षमता 50,000 मी० टन प्रतिवर्ष होगी, निर्माण तथा चालन में सहायता देगी और उसके लिये परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी। "वा" इसे अपना चालन अनुभव, "विशेष ज्ञान" तथा एकस्व सम्पति (पेटेन्ट प्रापरटी) प्रदान करेगी। वह भारत में अपने विषशेज्ञ भेजेगी तथा भारतीय कर्मचारियों के जर्मनी में शिक्षण का प्रबन्ध करेगी। यह समझौता पहले दस वर्ष के लिए जायज होगा। "बालको" को "वा" से प्राप्त सेवाओं के लिये जर्मन मुद्रा "डीएम" 8 मिलियन (लगभग 0.95 करोड़ रु०) शुल्क किश्तों में देना पड़ेगा जिस में "बालकों" की मर्जी होगी कि वह प्रभागों को 25,000 मी० टन प्रति वर्ष उत्पादन की प्रथम प्रावस्था आरम्भ होने पर एल्यूमिनियम निर्यात करेक प्रभागों में चुका सकता है।

बन्दूकों का निर्माण

1603. श्री दलजीत सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री 3 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 645 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 बोर की बन्दूकों के बारे में जनता की मांग को पूरा करने के सम्बन्ध में इन बन्दूकों के निर्माण के लिये लाभप्रद कारखाने स्थापित कारने का कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने नांगल कारखाने में, जहां कुछ वर्ष पूर्व 303 की बन्दूकें भी बनाई जाती थीं, 12 बोर की बन्दुकों बनाने के लिये लाइसेंस मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

संयुक्त अरब गणराज्य से राक फौसफेट (फौसफेट मिट्टी)

1604. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों के उत्पादन के लिए नवम्बर, 1965 से संयुक्त अरब गणराज्य से कितनी राक फौसफेट की मात्रा प्राप्त हुई है;

(ख) संयुक्त अरब गणराज्य ने किन शर्तों के अन्तर्गत इसका निर्यात किया है; और

(ग) इसका किस प्रकार वितरण किया गया है अथवा किये जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) नवम्बर, 1965 से संयुक्त अरब गणराज्य से राक फासफट की कोई मात्रा प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

खालों का निर्यात

1605. **श्री कर्णी सिंहजी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अर्ध तैयार तथा तैयार खालों के, जिनसे विदेशी मुद्रा ज्यादा अर्जित की जा सकती है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : कमाये हुए चमड़े तथा खालों, जिनमें ई० 1 कमाया हुआ चमड़ा भी शामिल है, की निर्यात संवर्धन परिषद्, और तैयार चमड़े एवं चमड़े की वस्तुओं की निर्यात संवर्द्धन परिषद् बाजार सम्बन्धी जानकारी और विभिन्न आयातक देशों में अपनायी जाने वाली क्रियाविधियों का प्रचार करती हैं। ये व्यापार प्रतिनिधिमण्डल एवं "मोके पर" जाकर विदेशी आयातकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करने वाले अध्ययन दल भी भेजती हैं। खालों का समापन करने के लिए आवश्यक दुर्लभ कच्चा माल, अर्जित आयात हकदारी के आधार पर आयात करने की अनुमति दी जाती है।

सर्प विष का निर्यात

1606. **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार शुष्क सर्प विष के निर्यात की अनुमति नहीं दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : गवेषणा कार्य के लिये थोड़े परिमाणों को छोड़ कर सर्प के विष का साधारणतः निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाती। इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का कारण विष निरोधक टीका तैयार करने के लिये सर्प विष को सुरक्षित रखना ही है जिससे टीके का निर्यात किया जा सके और विदेशी बाजारों में अधिक अच्छी कीमत प्राप्त की जा सके।

Foreign Films

1607. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether certain foreign countries had offered to send foreign films to India without demanding foreign exchange in lieu thereof during the years 1964 and 1965;

(b) if so, their names;

(c) whether Government have accepted the offer; and

(d) if so, the amount of foreign exchange to be saved thereby ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) No feature film has been offered by any foreign country for commercial exploitation without demanding foreign exchange. Imports of Technical and Educational films given free of cost and not meant for commercial exploitation have been permitted.

(b), (c) and (d). Dot not arise.

मध्य प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण

1608. **श्री शिवदत्त उपाध्याय :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री चांडक :
श्री पाराशर :
श्री वाडीवा :

क्या खान तथा धातु मंत्री 19 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 934 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों की भूतत्वीय जांच के बारें में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां तो वह क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश सरकार के भौतिकी एवं खनन निदेशक के द्वारा सुझाये गए अनुसंधानों में निम्न अनुसन्धान भारतीय भौमिकी विभाग के 1965-66 के कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं :—

जबलपुर : बारगी पर कैलसित ।

नरसिंघपुर : बरालण्ड में सोना तथा तांबा; हीरापुर तथा बंदरोहा में चूना पत्थर।

शाहदोल : उमरिया वन श्रृंखला में लोहा, कोयला तथा अग्नि मृत्तिका (फायर क्ले); बिओहरी तांबा, कोयला तथा चूना; जयतारी वन श्रृंखला में चूना, अग्नि मृत्तिका तथा कोयला; सोहागपुर में चूना अग्नि मृत्तिका, स्फोदिज तथा कोयला ।

सुरगुजा : सीतापुर श्रृंखला में लालओकर; सीतापुर, लखनपुर और सुरजपुर श्रृंखलाओं में कच्चा लोहा; अरगोटी तथा झिलीमिली में कोयला ।

सागर : बांदा संरक्षित वन क्षेत्र में खनिज सर्वेक्षण ।

दमोह : सिंगरामपुर में सिक्का ।

छिंदवाड़ा : कुंडपिपड़िया में खनिज सर्वेक्षण ।

(2) 1966-67 में निम्न अनुसंधान किए जाने का प्रस्ताव है :—

सिओनी : अबरक तथा लोहा ।

रायगढ़ : चूना पत्थर मिट्टी तथा सोना और लोहा ।

(3) निम्न क्षेत्रों में भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा पहले अनुसंधान किए गए थे और यह क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं पाए गए थे :—

झबुआ : अलिराजपुर में सोपस्टोन ।

शिवपुरी : बरुआ और नरुआ नदी पर तांबा ।

देवास : कनोड़ा में मैंगनीज़, पोपरी, चन्दन गढ़ और सेंदरानी में कच्चा लोहा, तमखानी खरिया और जानीवानी में तांबा ।

(4) दूसरे क्षेत्रों के विषय में अभी विचार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश का वैमानिक सर्वेक्षण

1609. **श्री शिवदत्त उपाध्याय :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री चांडक :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री पाराशर :
श्री वाडीवा :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री 5 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 197 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वैमानिक सर्वेक्षण की योजनाओं के बारे में, विशेषकर मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में जसपुरनगर में लगभग 1000 वर्ग किलोमिटर के वैमानिक सर्वेक्षण के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : यह क्षेत्र देश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में आता है जो हवाई सर्वेक्षणों की योजना में आते हैं। यू० एस० एड से वार्तालाप किये जाने के बाद ही यह समस्त योजना प्रभावशील होगी।

गोदावरी पर रेलवे पुल

1610. **श्री कोल्ला वेंकेय्या :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या **रेलवे** मंत्री गोदावरी पर रेलवे पुल बनाने संबंधी 19 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 904 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अब "रोड डैक" के लिये प्राक्कलन तथा अतिरिक्त व्यय का भुगतान करना मंजूर कर लिया है;

(ख) क्या सरकार ने पुनरीक्षित डिजाइन के आधार पर रेल-एवं सड़क गर्डरों के लिये कोई टेंडर मंजूर किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे **मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) अभी तक नहीं । इस बीच, अधिक भार ढोने के लिए सड़क डेक के अभिकल्प को तैयार करने के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गयी प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

ब्रिटेन के साथ व्यापार

1611. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री दे० द० पुरी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 12 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 204 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964 की अपेक्षा वर्ष 1965 में ब्रिटेन के साथ व्यापार कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किन वस्तुओं के व्यापार में कमी हुई है;

(ग) इस कमी के क्या कारण है; और

(घ) ब्रिटेन के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां । नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से दिसम्बर, 1964 की तुलना में अप्रैल से दिसम्बर, 1965 की अवधि में ब्रिटेन को होने वाले हमारे निर्यात में कमी हुई है। इसी अवधि में ब्रिटेन से होने वाले हमारे आयात में भी कमी हुई है।

(ख) तथा (ग) : प्रमुख वस्तुएं जिनमें कमी हुई है तथा उसके महत्वपूर्ण कारण नीचे बताए गये है : —

(1) **चाय :** देश में कम उत्पादन, घरेलू उपभोग में वृद्धि, भारतीय चाय की अधिक कीमतें, ब्रिटेन में चाय का भारी स्टाक जमा हो जाना जिससे लंका तथा भारत दोनों से उनकी खरीद में कमी हो गई। भारत-पाक संघर्ष से उत्पन्न स्थिति भी कम निर्यात के लिये उत्तरदायी है।

(2) **सूती कपड़े के थान :** ब्रिटेन में स्टाक की अच्छी स्थिति होने के कारण सूती वस्त्रों के आयात में कमी तथा ब्रिटेन द्वारा आयात पर 10 प्रतिशत अधिप्रभार के जारी रखने से कमी हुई है। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि 1964 में ब्रिटेन के बाजार में हमारा निर्यात व्यापार असाधारण रूप में उत्तम रहा था।

(3) **कमाया हुआ चमड़ा तथा खालें :** कमी, जो प्रमुखत: बकरी तथा भेड़ों की खालों के निर्यात में हुई, खेप के आधार पर रेमनेन्ट ई–1 कमाई हुई खालों के निर्यात बंद हो जाने तथा ब्रिटेन में इस समय चल रही ऋण की कमी से उत्पन्न वहां के आयातकों को होने वाली कठिनाई के कारण हुई।

(4) **ऊनी कालीन तथा कंबल :** कमी, प्रमुखत: आयात अधिप्रभार के प्रभाव तथा परिणामत: खरीदारों की कम से कम स्टाक रखने की प्रवृत्ति के कारण हुई।

(5) **वनस्पति तेल (निर्गन्ध तेल) :** कमी का मुख्य कारण भारत द्वारा मूंगफली के तेल के निर्यात पर पाबंदी लगाना तथा अन्य तेलों की कीमतें अधिक होना है।

(6) **कच्ची ऊन :** घरेलू उद्योग की खपत में वृद्धि जिसके कारण इस वस्तु के भारत से सम्पूर्ण निर्यात में कमी हुई, ब्रिटेन को हुए निर्यात में भी इसी लिये कमी हुई है।

(7) **जूट के थले तथा बोरे :** कमी के प्रमुख कारण ये हैं-भारत में ऊंची कीमतें रहना, कई अन्य देशों की तरह ब्रिटेन में भी खुला माल खरीदने की प्रवृत्ति, आयात अधिप्रभार तथा ऋण की कमी का बना रहना। 1965 में ब्रिटेन में पटसन के बोरों के सम्पूर्ण आयात में भी कमी हुई।

(8) **काफी :** ब्रिटेन जो कि हमारी काफी के लिये अधिक महत्वपूर्ण बाजारों में नहीं है, के लिये हमारे निर्यात में कमी कोटे के अन्य देशों से अच्छी कीमत मिलने के कारण हुई। एक बात और है कि अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार के अन्तर्गत हमारे कोटे अन्यथा भी पूर्ण हो गये थे।

(घ) चाय, कच्ची ऊन, सूती कपड़े के थान तथा जूट की बनी हुई वस्तुएं जैसे परम्परागत माल जो ब्रिटेन को होने वाले हमारे कुल निर्यात का 85 प्रतिशत भाग होते हैं के निर्यात में वृद्धि करने के लिये विशेष उपाय करना आवश्यक नहीं समझा गया है। आशा है कि अगस्त-सितम्बर 1965 के

संकटकाल के बाद स्थिति सामान्य हों जाने पर ब्रिटेन को होने वाले हमारे निर्यात की स्थिति सुधर जायगी। यह भी आशा है कि ब्रिटेन द्वारा लिया जाने वाला अस्थायी आयात अधिप्रभार भी यथाशीघ्र हटा लिया जायगा। ब्रिटेन को होने वाले हमारे निर्यात में विविधीकरण के उपायों का विशेषत: इंजीनियरी उत्पाद, प्लास्टिक का माल, परिष्कृत खाद्य वस्तुएं, समापित चमड़ा तथा चमड़े की बनी हुई वस्तुएं, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद तथा खेल के सामान जैसी अपरम्परागत वस्तुओं के सम्बन्ध में, सतत् पुनर्विलोकन होता रहता है।

मैसूर में बिजली के सामान का बनाया जाना

1612. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री 5 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 164 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली का सामान बनाने के लिए एक पब्लिक कम्पनी बनाने के सम्बन्ध में मैसूर सरकार द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) से (ग) : मैसूर सरकार द्वारा एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी का निर्माण करने के प्रस्ताव पर, जिसमें जनता के साथ-साथ मैसूर सरकार, पश्चिमी जर्मनी के सहयोगियों, वाशिंग्टन के आई०एफ०सी० के अंश होंगे, अभी विचार किया जा रहा है।

अविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड

1613. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड के लिए 1965-66 में अनुदान के रूप में कितनी राशि मंजूर की गई थी; और

(ख) इसी अवधि में कुल कितनी राशि खर्च की गई तथा व्यय किस प्रकार का था ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) 2 लाख रु०।

(ख) 1965–66 (31 जनवरी, 1966 तक) में कुल 2,25,94,700 रु० खर्च किये गये।

अतिरिक्त व्यय बोर्ड के पास 1964-65 के अन्त में बिना खर्च की गई बची राशि में से किया जायगा।

कोयले की खपत में कमी

1614. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1965-66 में देश में कोयले की खपत कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसको रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) नहीं, महोदय।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

बिना टिकट यात्रा

1615. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री दलजीत सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में अब तक रेलवे के प्रत्येक खण्ड में कितने बिना टिकट यात्रा करते पाये गये;

(ख) बिना टिकट यात्रा करने के कारण उक्त अवधि में रेलवे को अनुमानत: कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या इसे रोकने के लिये सरकार द्वारा उठाए गये कदम कारगर सिद्ध हुए हैं और क्या बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है अथवा कमी?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) एक बयान नत्थी है जिसमें 1-4-65 से 31-12-65 तक की अवधि में बिना टिकट और अन्यथा अनियमित रूप से सफर करते हुए पकड़े गये यात्रियों की संख्या दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5698/66]**

(ख) उपर्युक्त बिना टिकट यात्रियों द्वारा देय किराये की रकम लगभग 1.19 करोड़ रुपये थी। यदि ये व्यक्ति पकड़े न जाते तो इतने रुपये की हानि हो जाती। बिना टिकट सफर करने वाले जो यात्री पकड़े जाने से बच गये होंगे उनकी वजह से भी कुछ और हानि हुई होगी।

(ग) रेलों द्वारा किये गये विभिन्न उपाय उपयोगी सिद्ध हुए हैं। टिकट जांच करने के प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के फलस्वरूप अधिक संख्या में बिना टिकट यात्रियों को पकड़ना सम्भव हो सका है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष 202 324 बिना टिकट यात्री अधिक पकड़े गये.

अनुसुचित जातियों तथा अनुसुचित आदिम जातियो के विद्यार्थियों के लिये परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण

1616. **श्री बालकृष्णन** : क्या **सामाजिक कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962-63 और 1963-64 में बंगलोर और इलाहाबाद में अखिल भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण की शिक्षा पाने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों की संख्या क्या थी;

(ख) उक्त अवधि में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार (इंटरव्यू) के लिये कितने विद्यार्थी छांटे गये।

(ग) क्या बंगलोर संस्था में प्रशिक्षण प्रणाली की त्रूटियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(घ) त्रुटियों में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी?

समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) (क) 181 (1962-63 में 93 तथा 1963-64 में 88 विद्यार्थी प्रशिक्षित किये गये)।

(ख) 62 (1962-63 में 40 तथा 1963-64 में 22 विद्यार्थी साक्षात्कार के लिये बुलाये गये)।

(ग) और (घ) : बंगलूर केन्द्र उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि वहां पर प्रशिक्षित कोई भी उम्मीदवार अन्तिम रूप से भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा इत्यादि के लिये

नही चुना गया। इस केन्द्र को बन्द कर दिया गया है, जो कमियाँ इस में दिखाई पड़ी उनका परीक्षण कर लिया गया है और अब इसे मद्रास में खोलने का प्रस्ताव है जिसके लिये एक योजना बना ली गई है। यह परीक्षाधीन है।

मद्रास स्टेशन के निकट ऊपरी पुल

1617. **श्री बालकृष्णन्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यातायात की भीड़ को कम करने के लिए मद्रास में मध्य स्टेशन के सामने मोटर गाड़ी चलने योग्य उपरी पुल बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना को कब कार्यरूप दिया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Import of Dry Fruits from Afghanistan

1618. **Shri Bade :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the spokesman of the Indo-Afghan Traders' Association has stated that the trade of dry fruits has come to a standstill in Amritsar after the recent Indo-Pak conflict ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) & (b). On account of Indo-Pakistan conflict resulting in closure of land route through Pakistan, India's trade with Afghanistan including dry fruit trade, came to a standstill with effect from 10th September, 1965. Trade with Afghanistan was, however, resumed by air with effect from 7th October, 1965 and by land route *via* Karachi with effect from 1st February, 1966.

नंगल में अखबारी कागज का कारखाना

1619. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री 12 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 488 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स अबीटिबी पावर एण्ड पेपर कम्पनी, कनाडा के सहयोग से मैसर्स श्रीगोपाल पेपर मिल्स लिमिटेड द्वारा नंगल अखबारी कागज का प्रस्तावित कारखाना स्थापित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : आगे कोई प्रगति नहीं हुई है। कच्चे माल का संभरण करने के लिये पंजाब सरकार के निर्णय तथा अनुज्ञप्तिधारी से विदेशी सहयोग के बारे में प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है।

पंजाब में खादी का उत्पादन

1620. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 और 1966 में अब तक पंजाब में कुल कितनी खादी का उत्पादन हुआ ; और

(ख) इस पर उपरोक्त अवधि में अब तक अनुमानत: कुल कितना खर्च हुआ तथा कितने मूल्य की खादी का उत्पादन हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क)

1964–65––98.76 लाख वर्ग मीटर
1965–66––84.20 लाख वर्ग मीटर
(दिसंबर 1965 तक)

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायगी।

पंजाब में नई रेलवे लाइनों का बिछाया जाना

1621. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री 12 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 476 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब में कुछ नयी रेलवे लाइने बिछाने के बारे में अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

नंगल बांध मेरठ छावनी सेक्शन पर गार्ड ब्रेक वान

1622. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में मेरठ छावनी और नंगल बांध के बीच चलने वाली यात्री गाड़ियों में गार्ड ब्रेक वानों के समुचित अनुरक्षण की व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके समुचित अनुरक्षक के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

भिखारियों को रोजगार देने के लिये सुधार गृह

1623. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भिखारियों को रोजगार देने के लिये सुधार-गृह स्थापित करने की दिल्ली प्रशासन की योजना स्वीकार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस प्रकार दिल्ली तथा नई दिल्ली में कुल भिखारियों में से कितने भिखारियों को रोज़गार दिया जायगा; और

(ग) भिक्षा वृत्ति को रोकने के लिये और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह विषय विचाराधीन है।

कोरी फिल्म उद्योग

1624. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **उद्योग** मंत्री 10 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2230 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोरी फिल्म उद्योग के बारे में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) देश की वर्तमान आवश्यकता आयात करने तथा देश में होने वाले उत्पादन से पृथक्-पृथक् रूप से कहां तक पूरी हो रही है ;

(ग) क्या मैसूर राज्य सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) नवीनतम स्थिति यह है कि इस संयंत्र में कच्ची फिल्म का उत्पादन अप्रैल, 1966 से तथा तैयार कच्ची फिल्म का उत्पादन 1966 के उत्तरार्ध से होने लगने की आशा है।

(ख) इस समय देश की कच्ची फिल्म की सम्पूर्ण आवश्यकता आयात से पूरी की जाती है।

(ग) और (घ) : मैसूर सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि वह मैसर्स मैसूर एसिटेट एण्ड केमिकल्स कं० को एक्स-रे फिल्मों और रंगीन फिल्मों का निर्माण करने की अनुमति दे दे। फिर भी चूँकि एच०पी०एफ० के उत्पादन कार्यक्रम में इन वस्तुओं का भी निर्माण करने का विचार है, इसलिये मैसूर सरकार को सूचित कर दिया गया था कि मैसूर एसिटेट अँड केमिकल कम्पनी को फिलहाल इन वस्तुओं का निर्माण करने की आवश्यकता नही है।

Withdrawal of the A... litioned and First Class Accommodation

1625. Shri Bagri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to abolish the (i) air-conditioned and (ii) first class accommodation on the Indian Railways ; and

(b) if so, when ?

The Minister of State for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). There is no proposal under consideration for withdrawing the air-conditioned or first class accommodation.

बनगांव सेक्शन में बिजली से चलने वाली रेल गाड़ियां

1626. डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन के बनगांव सेक्शन में बिजली से चलने वाले कुछ ही रेल गाड़ियां चल रही है ; और

(ख) यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसी गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : बिजलीकरण से पहले सियालदह-बनगांव खण्ड पर 36 गाड़ियां चलती थीं, लेकिन अब बिजलीकरण के अन्तर्गत इस खण्ड पर 42 गाड़ियां चल रही है। गाड़ियों की संख्या अधिक होने के अलावा, इस खण्ड पर बिजली-कर्षण के फलस्वरूप यात्रियों के लिए लगभग 60 प्रतिशत अतिरिक्त जगह बढ़ गयी है। 1-4-1966 से एक जोड़ी सियालदह-हबरा स्थानीय गाड़ियां बनगांव तक आने-जाने लगेंगी। बिजली गाड़ी का स्टाक उपलब्ध होने और यातायात के रुख को देखते हुए इस खण्ड पर अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्था की जायेगी।

रेलवे इंजनों तथा डिब्बों का निरीक्षण

1627. श्री हेम राज : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन स्टेशनों पर, जहां से रेलगाड़ियां चलनी शुरू होती हैं, गाड़ियों के रवाना होने से पहले रेलवे इंजनों और डिब्बों का निरीक्षण किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या 1 जनवरी, 1966 को रात्रि को 9–10 बजे नई दिल्ली स्टेशन से चली "श्रीनगर एक्सप्रेस" के इंजन में 2 जनवरी, 1966 को ठीक इसी समय खराबी हो गयी थी और वह गाडी को पठानकोट न ले जा सका और यह गाड़ी वहां पर प्रातः 7.15 बजे पहुंचने की बजाय प्रातः 11–15 बजे पहुंची ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। इंजनों को गाड़ियों में लगाने के लिए बुक करने से पहले इंजन शेडों में फिटिंग कर्मचारियों द्वारा उनकी देखभाल कर ली जाती है। ड्राइवर भी शेड से इंजन निकालने के पहले उसकी जांच कर लेता है। गाड़ी चलने से पहले सवारी और मालडिब्बा कर्मचारियों द्वारा डिब्बों की जांच कर ली जाती है।

(ख) जिस दिन का जिक्र किया गया है उस दिन उक्त गाड़ी पठानकोट अपने निर्धारित समय 7–15 की बजाय देर से, अर्थात् 10–45 पर पहुंची। गाड़ी के देर से पहुंचने का पहला कारण यह था कि कोयला घटिया किस्म का था। बाद में, रास्ते में इंजन में खराबी के कारण और भी ज्यादा समय लगा। इसके लिए जो कर्मचारी उत्तरदायी पाये गये उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

उर्वरकों के लिये विश्व भर के देशों से टेन्डरों का मांगा जाना

1628. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :

क्या **संभरण तथा तकनीकी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक खरीदने के लिये विश्व भर के देशों से टेन्डर मांगे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संभरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोटा रघुरमैया) : (क) जी हां।

(ख) 23 दिसम्बर, 1965 को मुक्त विदेशी मुद्रा के विरुद्ध निम्नलिखित प्रकार के उर्वरकों की खरीद के लिए टेन्डर नोटिस दिया गया था :—

1	अमोनियम सलफेट	100,000 म० टन
2	यूरिया	250,000 म० टन
3	अमोनियम क्लोराइड	20,000 म० टन
4	अमोनियम फोस्फेट . . .	50,000 म० टन
5	डाई-अमोनियम फोस्फेट	35,000 म० टन
		4,55,000 म० टन

28-2-66 को लगभग 19.15 करोड़ रुपये की कीमत की 4,33,000 म० टन की कुल मात्रा के लिये भिन्न-भिन्न फर्मों को आर्डर दे दिये गये हैं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम

1629. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयस्कों के निर्यात तथा घरेलू खपत के सम्बन्ध में खनिज तथा धातु व्यापार निगम और पूर्वी क्षेत्र के खान मालिकों के बीच दीर्घकालीन आधार पर कोई समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा पूर्वी क्षेत्र के खान मालिक दीर्घकालीन आधार पर अयस्क संविदे स्वीकार कर लेने के लिए प्रोत्साहित

किये जा रहे हैं। रेल क्षमता बढ़ा देने और कलकत्ता पत्तन द्वारा अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध कर देने के कारण निगम तीन से पांच वर्ष के लिए निर्यात करने हेतु पूर्वी क्षेत्र के खान मालिकों द्वारा आवंटित संभरण स्वीकार करने की स्थिति में हो गया है। खान मालिकों को दीर्घकालीन आधार पर संभरण करने और उनकी क्षमता बढ़ाने में समर्थ करने के लिए निगम ने उन्हें खनन मशीनें तथा उपकरण और साथ ही ट्रक खरीदने के लिए आकर्षक शर्तों पर वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है। कई संविदे कर लिये गये हैं। घरेलू खपत के विषय में हिन्दुस्तान स्टील लि० की इस्पात मिलें निगम के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र की निजी क्षेत्र की खानों से लोह अयस्क खरीदती हैं; जिससे उनकी अपनी खानों से प्राप्त होने वाले अयस्क में होने वाली कमी पूरी होती रहे।

राष्ट्रीय लघु उद्योग सम्मेलन

1630. श्री विभुति मिश्र : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग सम्मेलन का उद्घाटन करते समय उन्होंने कहा था कि विरासत में मिले प्रशासन में बहुत अधिक लालफीतशाही है और क्रान्तिकारी प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाने की अपील की ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) कहा जाता है कि भूतपूर्व उद्योग मंत्री ने यह कहा था कि "भारत को प्रबन्ध का एक ऐसा तरीका विरासत में मिला था जो वर्तमान क्रांतिकारी स्थिति को संभालने के लिये अपर्याप्त था निगम को अपने संगठन को सुधारने और लालफीताशाही को समाप्त करने के बारे में विचार करना चाहिए तथा सम्मुख आई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।"

(ख) जहां तक सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तरीके का संबंध है, प्रशासनिक सुधार विभाग आवश्यक कार्यवाही कर रहा है जहां तक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० का संबंध है, सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :

(i) निगम के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने तथा उसके कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये बराबर कार्रवाई की जा रही है।

(ii) निगम के वाणिज्यिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए वित्तीय तथा अन्य अधिकार शीघ्र निर्णय करने की दृष्टि से विभिन्न स्तर के अधिकारियों को दे दिए गए हैं।

(iii) किराया-खरीद के आधार पर मशीनों के सम्भरण की योजना के लिए स्वदेशी मशीनों तथा आयातित मशीनों पर विचार करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया है। आयातित मशीनों की समिति में प्रार्थना पत्रों की स्वीकृति के बाद आयात लाइसेंस देने में देरी को दूर करने के उद्देश्य से आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।

हिन्दुस्तान मशीनी औजार समवाय द्वारा निर्मित अति सूक्ष्म खराद का निर्यात

1631. श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीनी औजार समवाय के केरल स्थित कलमेस्सेरी कारखाने में निर्मित एक तेज गति तथा अति सूक्ष्म खराद का निर्यात न्यूजीलैण्ड को, वहां से एक क्रयादेश प्राप्त होने पर किया गया है ; और

(ख) क्या अन्य देशों को उनका निर्यात करने के लिए एक सामूहिक अभियान किया जा रहा है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, फिलिप्पाइन्स, जापान, अमरीका, मेक्सिको, कनाडा तथा यूरोप के अनेक देशों का बाजार सर्वेक्षण किया गया है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में एजेंट नियुक्त कर दिये गये हैं। पूर्वी यूरोप में राज्य व्यापार निगम एजेंट के रूप में काम कर रहा है।

वस्त्र निर्माण केन्द्र

1632. श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने कुछ राज्यों में विस्थापित व्यक्तियों के लिये वस्त्र निर्माण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है जहां इन वस्त्र निर्माण केन्द्रों के स्थापित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस मामले में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

रेजर ब्लेडों का निर्माण

1633. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेज़र ब्लेडों के निर्माण के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है और क्या यह देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) 1965 में बड़े क्षेत्र के कारखानों में 96 करोड़ रेजर ब्लेडों का निर्माण किया गया । इनके अलावा लघ क्षेत्र के भी कुछ कारखाने रेज़र ब्लेडों का निर्माण कर रहे हैं जिनकी कुल वार्षिक क्षमता लगभग 580 लाख है । देसी उत्पादन देश की मांग पूरी करने के लिये पर्याप्त है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा के लिये जस्ती नालीदार चादरें

1634. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **लोहा** और **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा ने वर्ष 1965–66 में कुल कितनी जस्ती नालीदार चादरों की मांग की थी ; और

(ख) उस राज्य को इसी अवधि में कितनी ऐसी चादरें नियत की गई तथा वस्तुतः कितनी दी गई ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) 9,000 टन ।

(ख) क्योंकि उत्पादकों के पास पिछले बहुत आर्डर बाकी थ इसलिए 1965–66 में उड़ीसा अथवा किसी अन्य राज्य को नालीदार जस्ती चादरों का कोई नया आवंटन नहीं किया गया । अक्तूबर 1965 तक पिछले आवंटनों पर उड़ीसा को निम्नलिखित माल भेजा गया ।

	टन
सरकार द्वारा इंडन्ट किया गया	1,056
कन्ट्रोल्ड स्टाकिस्ट	23
रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट .	1,1339
कुल .	*2,218

*इसमें 297 टन काली नालीदार चादरें भी सम्मिलित है।

उड़ीसा के लिये बेदाग इस्पात

1635. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा ने वर्ष 1965-66 में कितने बेदाग इस्पात की मांग की थी ; और

(ख) इस राज्य को इसी अवधि में वस्तुत: कितनी मात्रा में बेदाग इस्पात दिया गया ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) उद्योग निदेशक, उड़ीसा ने 1965-66 के लिये उड़ीसा की बेदाग इस्पात की चादरों की मांग 108 लाख रुपये की लगभग मूल्य की बताई है परन्तु वास्तविक मांग काफी कम होने की संभावना है ।

(ख) इस वर्ष में बर्तन निर्माण को छोड़ कर दूसरे कामों के लिए 1.5 लाख रुपये के मूल्य की बेदाग इस्पात की चादरों का आयात करने की व्यवस्था की गई है । सप्लाई की गई मात्रा तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसान

1636. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सामाजिक कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में उड़ीसा के अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के किसानों से संबंधित कल्याण कार्य के लिये कुल कितनी रकम नियत की गई तथा कितनी राशि वस्तुत: खर्च की गई ; और

(ख) वर्ष 1966-67 के लिये इसी कार्य के लिये उड़ीसा को कितनी राशि देने का विचार है ?

समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) : (क) सूचना नीचे दी गई है :—

(रुपये लाखों में)

पिछड़े वर्ग की श्रेणी	नियत राशि	अनुमानित खर्च†
अनसूचित जातियां . . .	0.50	0.50
अनसूचित आदिम जातियां . .	11.78	11.78
जोड़ .	12.28	12.28

†1965-66 के बारे में वास्तविक खर्च के आंकड़े देना इस समय सम्भव नहीं है क्योंकि यह वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है । इसलिये, केवल अनुमानित आंकड़े दिये जा रहे है ।

(ख) सूचना नीचे दी गई है :—

(रुपये लाखों में)

पिछडे वर्ग की श्रेणी	दी जाने वाली प्रस्तावित राशि
अनसूचित आदिम जातियां	5.00
अनसूचित जातियां	0.30
जोड़	5.30

राजस्थान में आदिम जाति खंड

1637. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सामाजिक कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966-67 में राजस्थान मे कितने आदिम जाति खंड खोलने का प्रस्ताव है?

समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) : चार।

दक्षिण पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार के मामलें

1638. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में इस समय भ्रष्टाचार के कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं और वे मामले किस प्रकार के हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (डा० राम सुभग सिंह): 31-1-1966 को मामलों की संख्या 175

मामलों की किस्म

(1)	रिश्वत मांगना और स्वीकार करना	19
(2)	झूठे बयान और झूठे प्रमाण-पत्र देकर नौकरी और पदोन्नति पाना	7
(3)	धोखाधड़ी से पास तथा सुविधा टिकट आदेश-पत्र लेना और उनका दुरुपयोग करना	12
(4)	रेलवे रोकड़, सामान आदि का दुर्विनियोग	27
(5)	झूठा हाजिरी-रजिस्टर रखना, सरकारी रिकार्ड में फैर-बदल करना, झूठा यात्रा भत्ता लेना आदि	23
(6)	सेवा आचरण नियमों तथा विभागीय प्रक्रिया सम्बन्धी आदेशों का उल्लंघन करना	28
(7)	प्रतिरूपण (Impersonation) के आधार पर नौकरी प्राप्त करना	3
(8)	झूठा प्रमाण-पत्र पेश करके मकान किराया भत्ता लेना	2
(9)	अनानुपातिक परिसम्पत्ति	18
(10)	उड़ीसा सरकार से संबंधित जाली जेल अभिपत्रों पर रेलवे टिकट लेना	1
(11)	रेलवे ठेकेदार द्वारा विशिष्ट से नीचे स्तर का निर्माणकार्य करना, अधिक सामान जारी करना या अधिक मज़दूर लगाना	16
(12)	गाड़ियों में बिना बुक कराया गया सामान और अनधिकृत व्यक्तियों को ले जाना	2
(13)	विविध	17
	जोड़	175

दक्षिण पूर्व रेलवे में बिजली लगे हुए स्टेशन

1639. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में दक्षिण-पूर्व रेलवे के किन-किन स्टेशनों पर बिजली लगाई गई ;

(ख) इस कार्य पर कुल कितना खर्च किया गया ; और

(ग) वर्ष 1966-67 में किन-किन स्टेशनों पर बिजली लगाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग): एक बयान नत्थी है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5699/66]

कोका कोला उद्योग

1640. **श्री बादशाह गुप्त : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कोका कोला उद्योग के मालिक का नाम क्या है ; और

(ख) किसी विदेशी को यदि कोई रायल्टी देनी पड़ती है, तो उसकी वार्षिक राशि कितनी है?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) अमरीका के मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को भारत में कन्सेंट्रेट के उत्पादन के लिए एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है । इस कन्सेंट्रेट का इस्तेमाल भारतीय पार्टियों द्वारा विभिन्न कारखानों में कोका कोला तैयार करने के लिये किया जाता है ।

(ख) कोई रायल्टी नहीं दी जा रही है ।

पश्चिम जर्मनी से धातुमल (स्लैग) का आयात

1641. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोह अयस्क के बदले पश्चिम जर्मनी से उच्च कोटि के मूल धातुमल (बेसिक स्लैग) मंगवाने का प्रयत्न किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के करार की कितनी गुंजाइश है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चतुर्थ श्रेणी के सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों को रेलवे पास

1642. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चतुर्थ श्रेणी के सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों को उनके अवयस्क बच्चों समेत वर्ष में एक बार भी मुफ्त रेलवे पास नहीं दिया जाता ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। लेकिन, चौथे दर्जे के जो कर्मचारी 25 वर्ष से अन्यून सेवा करने के बाद सेवा-निवृत्त होते हैं, उन्हें स्वयं के लिए और पत्नी के लिए पांच वष में एक सेट पास दिया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर की गयी कटौती को देखते हुए, सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को पास देने में किसी तरह की उदारता बरतना उचित नहीं है।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

1643. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री धर्मलिंगम :
श्री जं० ब० सिंह बिष्ट :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ताश्कन्द समझौता होने के पश्चात् पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये कोई प्रयास किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): 1 तथा 2 मार्च को अन्य बातों के साथ भारत तथा पाकिस्तान के मध्य व्यापार सम्बन्ध फिर कायम करने के प्रश्न पर बातचीत करने के लिये मन्त्री स्तर का एक प्रतिनिधिमण्डल पाकिस्तान गया था। किन्तु इस बैठक में इस प्रश्न पर बातचीत नहीं की गई। बाद को किसी दिन फिर कोई बठक होने की आशा है।

तिरुनेलवली जंक्शन पर प्लेटफार्म

1644. **श्री मुथिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुनेलवेली जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1, 2 और 3 बहुत जीर्ण अवस्था में है, जिसके कारण यात्रियों तथा रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों को बड़ी असुविधा हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष में इन प्लेटफार्मों को नये सिरे से बनाने तथा उन पर छत डालने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता। लेकिन, प्लेटफार्म नं० 1 पर 120 फुट लम्बी अतिरिक्त छत डालनेका काम हो रहा है। आगामी वर्षों में धीरे-धीरे द्वीप प्लेटफार्म (प्लेटफार्म नं० 2 और 3) की समूची लम्बाई में छत डालने के प्रस्ताव भी ध्यान में हैं।

तिरुनेलवेली जंक्शन के निकट ऊपरी पूल

1645. **श्री मुथिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मद्रास के मुख्य मंत्री की ओर से कोई पत्र मिला है, जिसमें तिरुनेलवेली जंक्शन के रेलवे फाटक के निकट बनाये जाने वाले ऊपरी पुल के लिये पहुंच मार्ग बनाने के सम्बन्ध में मद्रास सरकार की सहमति व्यक्त की गई है ; और

(ख) चौथी योजना में ऊपरी पुल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) वर्तमान नियमों के अनुसार मौजूदा समपारों की जगह ऊपरी/निचले सड़क पुल बनाने का काम रेलें तभी शुरू करती हैं जब राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारी इसके लिए अनुरोध करते हैं और साथ ही अपने हिस्से की लागत के लिए रकम का विनिधान कर देते हैं।

राज्य सरकार ने 1966-67 में जिन ऊपरी/निचले पुलों के निर्माण के लिए सिफारिश की है, उनमें इस विशिष्ट योजना का प्रस्ताव नहीं है। चौथी योजना में इस तरह के कामों के समेकित कार्यक्रम को अभी राज्य सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना है।

सदरन एक्सप्रेस रेलगाड़ी

1646. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सदरन ऐक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली स्टेशन से सदा देरी से चलती है और दिन के साढ़े बारह बजे मद्रास से बंगलौर जाने वाली बंगलौर ऐक्सप्रेस रेलगाड़ीके लिये मेल नहीं मिलाती;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को गत छः महीनों से बड़ी असुविधा हो रही है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : यह बात सच नहीं है कि सदर्न एक्सप्रेस, दिल्ली से हमेशा देर से ही छूटती है और मद्रास स्टेशन पर मद्रास-बेंगलूरु एक्सप्रेस से उसका मेल नहीं हो पाता।

(ग) मद्रास जाने वाली सदर्न एक्सप्रेस में वहीं रेक लगता है जो मद्रास से आने वाली सदर्न एक्सप्रेस में लगा होता है। दिल्ली पहुंचने वाली सदर्न एक्सप्रेस के पहुंचने और दिल्ली से चलने वाली सदर्न एक्सप्रेस के छूटने के समय के बीच समय का अंतर सीमित है, इसलिए पिछले छः महीनों में यदि कुछ अवसरों पर सदर्न एक्सप्रेस दिल्ली से देर से छूटी हो तो उसका मुख्य कारण यह था कि मद्रास से आने वाली सदर्न एक्सप्रेस आपात, कुहरे के मौसम, इंजीनियरिंग सम्बन्धी प्रतिबंध, दुर्घटनाएं, खतरे की खंजीर खीचे जाने, अन्तर्पाश में खराबी, इंजनों की हानि आदि के वजह से देर से पहुंची। 1-4-1966 से ये गाड़ियां संशोधित समय सारणी के अनुसार डीज़ल इंजनों से खींची जायेगी और दिल्ली स्टेशन पर इनके पहुंचने और वहां से इनके छूटने के समय में तथा मेल लेने के समय में और अधिक अन्तर रखा जायगा ताकि स्थिति में इस दिशा में और सुधार हो सके।

रेलगाड़ियों की गति को बढाना

1647. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे गाड़ियों की बिजली द्वारा चलाकर उनकी गति को तेज कर सकी है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ियों को बिजली तथा डीजल से चलाने के परिणामस्वरूप प्रमुख रेलगाड़ियों की गति कहां तक तेज हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पूर्व रेलवे में 1 अप/2 डाउन हवड़ा दिल्ली-कालका डाक गाड़ियों और 17 अप/18 डाउन सियालदह-पठानकोट एक्सप्रेस गाड़ियों का बिजलीकरण/डीज़लीकरण हो जाने से, इन गाड़ियों की रफ्तार बढ़ गयी है, जिसकी वजह से उनके चाल-समय में 50 मिनट से 125 मिनट तक की कमी हुई है। 131 अप/132 डाउन आसनसोल-बरेली सवारी गाड़ियो, 349 अप/350 डाउन गया-मुगलसराय सवारी गाड़ियों और 1 बी डी एम अप/2 बी डी एम डाउन बड़वाडीह-मुगलसराय सवारी गाड़ियों को बिजली से चलाने के फलस्वरूप इन की रफ्तार भी बढ़ गयी है और इनके चाल-समय में 21 मिनट से 115 मिनट तक की कमी हुई है।

भिलाई में उष्म-सह संयम (रिफ्रैक्टरी प्लांट)

1648. **श्री दशरथ देव :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई में ऊष्म-सह संयत्र (रिफ्रेक्टरी प्लांट) स्थापित करने की परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन रूसी विशेषज्ञों से प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि प्रतिवेदन नहीं मिला है, तो इसके कब तक मिलने की आशा है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : ऊष्म-सह के निर्माण की वर्तमान क्षमता तथा इसके भावी विकास को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इस प्रायोजना को ठप कर दिया है ।

डुगडा में कोयला धोने का संयंत्र

1649. **श्री दशरथ देव :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डुगडा (बिहार) में कोयला धोने का संयंत्र लगाने का काम पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो कब तक इस काम के पूरा हो जाने की आशा है ;

(ग) इस संयंत्र को लगाने का ठेका किस कम्पनी को दिया गया था ; और

(घ) इस संयंत्र पर अनुमानतः कितना व्यय होगा तथा इसकी वार्षिक क्षमता कितनी होगी?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) कारखाना अभी तैयार नहीं हुआ है ।

(ख) इसके 1966 के अन्त तक तैयार होने की संभावना है ।

(ग) डुगडा में कोयला साफ करने का कारखाना लगाने का ठेका अमरीका की फर्म मेसर्स राबर्टस एण्ड शैफर कम्पनी को दिया गया था ।

(घ) कारखाने का रूपांकन 2.4 मिलियन टन कच्चे कोयले की आ–दा क्षमता से 1.2 मिलियन टन साफ कोयले की क्षमता के लिए किया गया है । परियोजना की पंजीगत अनुमानित लागत 7.29 करोड़ रुपये है । इसमें 2.42 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है जो यू० एस० एड द्वारा दी जाएगी ।

त्रिपुरा का भूतत्वीय सर्वेक्षण

1650. **श्री दशरथ देव :** क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के विशषज्ञों ने त्रिपुरा में कोई भतत्वीय सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है ; और

(ग) क्या खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिये त्रिपुरा में एक व्यापक भूतत्वीय सर्वेक्षण कराने का सरकार का विचार है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) नहीं, महोदय ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) भारतीय भौमिकी विभाग ने त्रिपुड़ा में कुछ भौमिकी अनुसंधान किए हैं । चतुर्थ योजना काल में भारतीय भौमिकी विभाग का निम्नलिखित अनुसंधान करने का विचार है ;

(1) त्रिपुड़ा के शेष अमानचित्रित क्षेत्रों का पद्धतिपूर्ण भौमिकी मानचित्रण ;

(2) व्यधन द्वारा भूगर्भ जल का अनुसंधान ;

(3) वन जाति वस्तियों को जल-प्रदाय ;

(4) बिजली के कुओं से छोटे पैमाने पर सिंचाई की सम्भावना ।

पूर्व रेलवे में छंटनी

1651. **श्री दशरथ देव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रोत्साहन बोनस योजना लागू किये जाने और डीजल तथा बिजली से रेलगाड़ियां चलाने के परिणाम स्वरूप पूर्व रेलवे के 8,000 से अधिक कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चित हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस के परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी की जा चुकी है ; और

(ग) रेलवे बोर्ड ने छंटनी किये जा चुके तथा छंटनी किये जाने वाले रेलवे कर्मचारियों को रोजगार देने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।]

(ग) सवाल नहीं उठता ।

रेलवे कालोनी, इज्जतनगर

1652. **श्री चन्द्रभान सिंह :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन अपने कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था कर रहा है, जिसमें सफाई, जल, बिजली, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें सम्मिलित है और अपने कर्मचारियों से इन सुविधाओं का शुल्क वसूल कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे कालोनी, इज्जतनगर तथा अन्य रेलवे कालोनियों में जिला परिषद् बरेली द्वारा ये सुविधायें तथा सहूलियतें किस सीमा तक दी जा रही हैं, जिन के लिये "परिस्थितिया तथा सम्पत्ति कर" नामक कर सम्बन्धित जिलों की जिला परिषदों द्वारा लगाया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां । ये प्रभार वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार लगाये जाते हैं ।

(ख) बरेली जिला परिषद द्वारा आइजटनगर की रेलवे बस्ती में ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह की स्थिति भिन्न हो सकती है । प्रसंगवश परिस्थिति और सम्पत्ति कर—इस कर का नाम भी अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग है—वह कर है जो किसी व्यक्ति की आय से सम्बन्धित है और साधारणतया जिसका जिला परिषद द्वारा की गयी वास्तविक सेवाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

हथकरघा उद्योग]

1653. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथकरघा से धोतियां तथा साड़ियां बनाने के लिये कुछ अभ्यंश आरक्षित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या कायवाही की है ?

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'नहीं' है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) फिलहाल कोचिन हार्बर और कोयम्बतूर के बीच लाइन को दोहरा करने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जब इस मार्ग पर डीज़ल गाड़ियां चलने लगेंगी और लाइन क्षमता तथा सिगनल में सुधार के जो काम चल रहे हैं वे पूरे हो जायेंगे, तब इस खण्ड पर यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध हो जायेगी ।

दिल्ली में औद्योगिक संस्थान

1659. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक उपयोग के लिए दिल्ली के लिए नियत की गई कच्चे माल की अधिकतम मात्रा में से ग्रामीण उद्योगों के लिए कच्चे माल की कोई व्यवस्था नहीं की जाती जिसके कारण ये उद्योग घाटे में रहते हैं और परिणामस्वरूप मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं और इन औद्योगिक संस्थानों को वित्तीय हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि ऐसी अनेक औद्योगिक संस्थानों के बन्द हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के अलीपुर खण्ड में अनेक औद्योगिक संस्थान बन्द हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बादली औद्योगिक बस्ती

1660. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बादली औद्योगिक बस्ती में गलियों मे अभी तक रोशनी की व्यवस्था नहीं की गई है, हालांकि वहां बिजली के खम्भे पिछले कई वर्षोंसे लगे हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई है और बिजली के संभरण की हालत में सुधार होते ही सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था कर दी जायगी ।

भारतीय फिल्मों द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन

1661. श्रीमती ज्योत्स्ना चंदा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय फिल्म ने 1965 में विदेशों में फिल्म समारोह में भाग ले कर विदेशी मुद्रा अर्जित की है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) 1,36,170 रु०

रेलवे में चोरियां

1662. श्री गुलशन : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पूर्ण भारत में रेलवे में समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं की बड़े पैमाने पर चोरियां होती है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे में इस प्रकार की बुराई को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय अपनाए हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1965 में रेलों पर समाचार-पत्रों की चोरी होने के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली । पत्रिकाओं के चोरी होने के सम्बन्ध में मध्य रेलवे पर दो और दक्षिण रेलवे पर एक मामले की रिपोर्ट मिली थी ।

(ख) समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की उठाइगीरी और उनकी संख्या कम हो जाने से सम्बन्धित शिकायतों की रेलों द्वारा तत्काल जांच की जाती है । इस तरह की चोरियों को रोकने के उद्देश्य से दावा निरोध शाखा के वाणिज्य कर्मचारी और रेलव सूरक्षा दल की अपराध आसूचना शाखा के कर्मचारी सादी पोशाक में तैनात किये गये हैं जो इस बारे म सतर्कता पूवक निगरानी रखते है । गार्डों की अभिरक्षा में रख गय समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की अचानक जाच करने और यानान्तरण स्थानों पर इस तरहके पार्सलों पर निगरानी के काम को तेज कर दिया गया है ।

कागज का आयात

1663. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब कुछ किस्मों के कागजों का ही आयात किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो देश में ही उत्पादन कर के इस की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस समय आयात की जाने वाली किस्मों के कागज का निर्माण करने के लिये क्या कोई प्रयास किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : विशेष किस्मों के कागज की उत्पादन क्षमता का विकास करने के लिये यथा संभव कदम उठाए जा रहे हैं। विशिष्ट कागजों की कई किस्मों का उत्पादन करने के कारखाने खोलने के लिए औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए जा चुके हैं। बदले में अन्य किस्मों के प्रयोग को यथा सम्भव प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के व्यापार विभाग

1664. श्री धर्मलिंगम : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित हमारे मिशनों के व्यापार विभागों को सुदृढ़ बनाने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस दिशा में; और

(ग) किन किन मिशनों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग): विदेश स्थित हमारे मिशनों के वाणिज्यिक अनुभागों को सुदृढ़ करना एक सतत प्रक्रिया है तथा उस पर बराबर विचार होता रहता है। यह कार्य नये वाणिज्यिक कार्यालय खोलकर तथा जहां कहीं आवश्यकता होती है, विद्यमान कार्यालयों में कर्मचारी बढ़ाकर किया जाता है। वाणिज्यिक कार्य के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति, वस्तुत: विदेशी मुद्रा की उपलब्धि तथा सम्बद्ध देश के साथ व्यापार वृद्धि की सम्भावनाओं पर निर्भर करेगी। विदेश स्थित सभी कार्यालयों के कर्मचारियों की स्थिति का वार्षिक पुनर्विलोकन किया जाता है।

पूर्व रेलवे पर तेज रेलगाड़ियां

1665. श्रीमती रेणुका राय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे पर एक तेज़ गाड़ी के न होने के कारण उत्तर बंगाल के स्थानीय यात्रियों को होने वाली असुविधा की जानकारी सरकार को है; और

(ख) यदि हां, तो इसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : उत्तर बंगाल के यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व रेलवे में एक तेज़ गाड़ी 43 अप/44 डाउन सियालदह फरक्का दार्जिलिंग डाकगाड़ी के रूप में पहले से मौजूद है जिससे अन्य गाड़ियां मेल लेती है। फिलहाल उपलब्ध यह और अन्य गाड़ियां कलकत्ता से उत्तर बंगाल के स्टेशनों को आने जाने वाले यात्रियों की यातायात सम्बन्धी वर्तमान आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करती हैं।

मोटरकारों तथा ट्रकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले आयातित पुर्जों के स्थान पर काम आनेवाले पुर्जे

1666. श्रीमती रेणुका राय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के परिणामस्वरूप प्रमुख वस्तुओं के स्थान पर दुसरी वस्तुओं का प्रयोग होने लगा है; और

(ख) यदि हां, तो मोटरकारों तथा ट्रकों के निर्माण में ऐसी किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) और (ख) : सरकार द्वारा समय-समय पर आयात पर प्रतिबंध लगाने की निरन्तर नीति अपनाये जाने तथा उन वस्तुओं का देश में ही उत्पादन करने तथा इस उद्योग द्वारा की गई कार्रवाई के फलस्वरुप आयातित पुर्जों की प्रमुख वस्तुओं का स्थान देशी वस्तुओं ने ले लिया है। सामान्य रूप से मोटरकारों और ट्रकों के लगभग सभी प्रमुख हिस्सों जैसे इंजनों, गियर बक्सों, ट्रांसमिशनों, ढांचों, बाडी पेनलों, बिजली का सामान, पट्टियों, पिस्टनों, द्विधातु बियरिंगों, तथा क्लचों इत्यादि का निर्माण देश में ही हो रहा है। ब्रेकों, वाइपर मोटरों, हवा को रोकने के तिरछे शीशे तथा कुछ अन्य वस्तुएं जिनका अभी कुछ समय पहले तक आयात किया जाता था, अब देश मे ही तैयार की जाती है।

संगणकों (कम्प्यूटरों) का निर्माण

1667. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **उद्योग** मंत्री 3 दिसंबर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1775 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन ने संगणकों (कम्प्यूटरों) का निर्माण आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की क्षमता कितनी है ;

(ग) किस प्रकार के संगणक बनाये जायेंगे ; और

(घ) कारपोरेशन के साथ किये गये करार की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) अभी नहीं।

(ख) 10 प्रति वर्ष की लाइसेंस प्रदत्त क्षमता है।

(ग) डिजिटल कम्प्यूटर (आइ० बी० एम० किस्म 1401 प्रणाली)।

(घ) फर्म के विदेशी मालिक ने उन आवश्यक पुँजीगत माल, पुर्जों, मशीनों और कच्चे माल के आयात के लिए, जो देश में उपलब्ध नहीं है 48 लाख डालर लगाने की स्वीकृति दी है। इस कारपोरेशन को दिए गए औद्योगिक लाइसस में निम्नलिखित शर्तें लगाई गई हैं।

(i) फर्म उपरोक्त मशीनों तथा प्रणालियों के लिए आवश्यक सभी मशीनी औजार और उपकरण स्वयं लाएगी। भारत सरकार अपने साधनों से इसके लिए बिल्कुल विदेशी मुद्रा नहीं देगी।

(ii) जैसी कि औद्योगिक लाइसेंस में व्यवस्था की गई है स्वदेशी भाग का प्रतिशत निर्धारित उत्पादन कार्यक्रमानुसार प्राप्त किया जाएगा।

(iii) गणना करने की मशीनों के पुर्जे और भाग फर्म द्वारा भारत में ही बनाए जा सकते हैं। लेकिन सरकार यह पसन्द करेगी कि इनका निर्माण भारत में ही किये जाने के लिए विभिन्न छोटे तथा मध्यम आकार के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाये और इस काम म फर्म द्वारा उनकी सहायता की जाय।

(iv) फर्म को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए लाइसेंस में वर्णित प्रक्रियाओं और मशीनों के लिए आवश्यक पूर्जों हिस्सों और पुरी मशीनों के आयात को पूरा करने के लिए कम से कम आयातित माल के बराबर के मूल्य के तैयार माल के निर्यात की गारंटी दी जायेगी सरकार को यह भी आशा है कि फर्म द्वारा उचित समय में आयातित माल से अधिक से अधिक निर्यात करने काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाएगी।

(v) विदेशी मालिकों को कोई रायल्टी, तकनीकी सेवा की फीस या अनुसंधान फीस नहीं दी जाएगी। लेकिन भारत सरकार को पूर्ण स्वीकृति से फर्म विदेशी मालिकों से प्राप्त वतन, भत्तों, तथा अन्य खर्च। सेवाओं के लिए भुगतान कर सकती है।

(vi) आशा की जाती है कि फर्म जितनी जलदी हो सके अपने उत्पादन में भारतीय पुंजी के सहयोग के लिए प्रयत्न करेगी।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के अभियन्ता (इंजीनियर)

1668. श्री सेझियान :

श्री राजाराम :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन के बहुत से अभियन्ताओं को छंटनी के नोटिस जारी किये गये हैं ;

(ख) कितने अभियन्ता (एक) स्थायी तौर पर और (दो) अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं; और

(ग) क्या छंटनी किये जाने वाले अभियन्ताओं को दूसरी जगह अन्य सरकारी उपक्रमों में लगाने के लिये कोई प्रबंध किया गया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय। एक वर्ष में 344 सिविल इंजीनियरों में से 245 व्यक्ति अतिरेक में आये परन्तु उन में से अब तक केवल 85 को 31-3-66 से छंटनी का नोटिस दिया गया क्योंकि इस के तिथि बाद उनके योग्य कोई काम नहीं है।

(ख) नवेली लिगनाइट निगम (लि०) के किसी सिविल इंजीनियर को अब तक स्थाई नियुक्ति नहीं दी गई है और उसके 344 इंजीनियरों में से सबके सब अस्थाई हैं।

(ग) सरकार उन्हें दूसरे सरकारी उपक्रमों अथवा सरकारी विभागों में लगाने का पूरा प्रयत्न कर रही है। इसके फलस्वरूप 41 अतिरेक सिविल इंजीनियरों को, उन 6 को शामिल करके जिन्हें छंटनी का नोटिस दिया जा चुका है, अभी तक नौकरी दे दी गई है।

मद्रास और नई दिल्ली के बीच भोजन-यान (डाईनिंग कार)

1669. श्री सेझियान :

श्री राजाराम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली को नई दिल्ली और मद्रास के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में दक्षिण रेलवे द्वारा चलाये जाने वाले भोजन-यानों (डाईनिंग कारों) में काम करने वाले कर्मचारियों तथा बरों का प्रधान कार्यालय माना जाता ; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण रेलवे के कुछ कर्मचारियों के लिये ही दिल्ली को प्रधान कार्यालय मानने के क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) केवल सप्ताह में दो बार चलने वाली डीलक्स वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियों में काम करने वाले कर्मचारियों का प्रधान कार्यालय नयी दिल्ली रखा जाता है।

(ख) सप्ताह में दो बार चलने वाली डीलक्स एक्सप्रस गाड़ियों के संचालन क्रम के अनुसार जो रेक मद्रास से नयी दिल्ली जाने वाली गाड़ी में लगाया जाता है, वही रेक नयी दिल्ली से हावड़ा जाने और वहां से वापस लौटने वाली गाड़ी में भी लगाया जाता है। जो कर्मचारी मद्रास से नयी दिल्ली जाने वाली गाड़ी के भोजन यान में काम करते हैं उन्हीं को अपने क्रम के अनुसार इस गाड़ी में नयी दिल्ली से मद्रास की वापसी-यात्रा में नयी दिल्ली में गाड़ी पकड़नी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें सप्ताह में तीन दिन नयी दिल्ली में ठहरना पड़ता है, जबकि मद्रास में उन्हें कुछ ही घंटे ठहरना होता है। इसीलिए नयी दिल्ली को उनका प्रधान कार्यालय माना गया है।

इज्जतनगर के रेलवे कर्मचारियों पर लगाया गया कर

1670. डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री रेलवे कालोनी, इज्जतनगर में रहने वाले रेलवे कर्मचारियों की आय पर कर लगाये जाने के सम्बन्ध में 3 दिसंम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1804 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकार से यह प्रार्थना की गई है कि वह तब तक कर वसूली न करें जब तक कि इस मामले में निर्णय नहीं हो जाता, जिसके बारे में 14 अगस्त, 1965 को रेलवे उपमंत्री को दिये गये अभ्यावेदन में प्रार्थना की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गयी है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा विधिपर्वक लगाया गया कर अदा करना ही पड़ता है। लेकिन, कर्मचारियों को होनेवाली कठिनाई से उत्तर प्रदेश सरकार को अवगत करा दिया गया है और उनसे प्रार्थना की गयी है कि इज्जतनगर रेलवे कालोनी को नोटीफाइड एरिया कमेटी के रूप में गठित कर दिया जाय। ऐसा होने पर, आनुषंगिक रूप से कर्मचारियों को इस कर से छूट मिल जायेगी।

रेलवे द्वारा जिला परिषद् बरेली को दी गई कर की राशि

1671. डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री 3 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1804 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरेली जिला परिषद् द्वारा लगाया गया कर जिसे पहले जिला बोर्ड कर के नाम से पुकारा जाता था, भूतपूर्व बी०एन०डब्ल्यू० रेलवे द्वारा 1942 तक और भूतपूर्व ओ०टी० रेलवे द्वारा 1947 तक दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से रेलवे प्राधिकारों द्वारा जिला परिषद् को कर दिये जाने के तरीके में परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : बरेली की जिला परिषद् द्वारा लगाया गया "परिस्थिति और सम्पत्ति कर" अभी तक व्यक्तियों पर लगाया गया कर था और उसकी अदायगी का दायित्व स्वयं प्रत्येक कर्मचारी पर था। भूतपूर्व रुहेलखण्ड और कुमायु रेलवे कम्पनी, जो उस समय एक प्राइवेट रेलवे कम्पनी थी, सम्भवत: किसी ग़लतफहमी के कारण, उक्त कर के बदले जिला परिषद् को एक मिलीजुली फीस देने को सहमत हो गयी थी। यह बात तत्कालीन रेलवे विभाग के नोटिस में सन् 1942 में दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान आयी और एक विशेष मामला

मानकर, रेल-प्रशासन को युद्ध की अवधि में इसकी अदायगी जारी रखने की अनुमति दे दी गयी। लेकिन, वेतन आयोग की एक विशिष्ट सिफारिश के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए 1947 में यह अदायगी रोक दी गयी। सिफारिश यह थी कि "जीवन-निर्वाह की ऊंची लागत को पूरा करने के लिए, युद्ध के दौरान शरू किये गये सभी भत्ते और रियायतें (उन्हें चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, और जिसमें डाक सेवा में अच्छे आचरण का वेतन और उच्च पद की सेवाओं से सम्बन्धित युद्ध भत्ता शामिल है) अब इसके बाद से अस्तित्वहीन हो जायेंगी"।

इज्जतनगर के रेलवे कर्मचारियों पर लगाया गया कर

1672. श्री चन्द्रभान सिंह :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री रेलवे कालोनी, इज्जतनगर में रहने वाले रेलवे कर्मचारियों की आय पर लगाये गये कर के बारे में 3 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1804 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस मामले की विधि मंत्रालय द्वारा इस बात के लिये जांच की गई है कि क्या आयकर के अतिरिक्त कोई कर उनके वेतन के अनुपात में बेतनों पर लगाया जा सकता है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : जी नहीं; संविधान के अधीन, राज्य सरकारों को इस तरह का कर लगाने का अधिकार है, और ऐसा कर इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होता कि वह आय-कर से सम्बन्धित है।

इज्जतनगर के रेलवे कर्मचारीयों पर लगाया गया कर

1673. डा० चन्द्रभान सिंह :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री 3 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1803 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे उप मंत्री को 14 अगस्त, 1965 को पूर्वोत्तर रेलवे कालोनी, इज्जतनगर में रहने वाले रेलवे कर्मचारियों की ओर से, जिला परिषद द्वारा उन रेलवे कर्मचारियों की आय पर "परिस्थितियां तथा सम्पत्ति कर" लगाये जाने के बारे में, दिये गये अभ्यावेदन पर कोई निर्णय किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) यह मामला इस समय राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ख) सवाल नहीं उठता है।

Platforms at Gorakhpur Station

1674. Dr. Mabadeva Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of platforms at Gorakhpur railway station on the North Eastern Railway for berthing of passenger trains ;

(b) the total number of passenger trains halting at Gorakhpur ; and

(c) whether there is a proposal to increase the number of platforms at this Railway station ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 6.

(b) 48 during twenty four hours.

(c) No.

Trains for Kumbh Mela

1675. Dr. Mahadeva Prasad : Shri Yashpal Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of special trains run by the North Eastern Railway on the occasion of last Kumbh Mela ; and

(b) the total number of special trains run everyday on an average by that Railway ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 256 Special trains.

(b) 9.8 Special trains on an average per day during the Mela period.

New Railway Lines

†**1676. Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the principles followed in regard to the opening of new railway lines in the country ;

(b) whether suggestions are invited from the State Governments concerned ; and

(c) the names of the new railway lines in respect of which suggestions for inclusion in the Fourth Five Year Plan have been received from the Government of Uttar Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Construction of new Railway lines in defferent parts of the country is considered on merits within the monetary ceilings laid down in the Plan, keeping in view the needs of large industrial projects, exploitation and utilization of proved mineral and natural resources, expansion of port facilities, strategic considerations and Railway's own operational necessities.

(b) and (c). The proposals from the State Governments regarding new lines both in the Second and the Third Plans were invited. Out of the proposals thus received, it has been possible to accommodate only a very small percentage within the funds and resources that were available in the last two Plans. Since a very large number of proposals, earlier made by the State Governments, still remain uncomplied with and since the indications are that the mileage of new lines that can be taken up in the Fourth Plan will be very small in view of the limited availability of funds, it was considered that no fresh recommendations for the Fourth Plan, need be called for from the State Governments. However, almost all the State Governments on their own, have sent in their recommendations for new lines to be taken up in the Fourth Plan. The following two

lines have been recommended by the Uttar Pradesh Government for construction during the Fourth Plan :—

1. Dehra Dun Dakpathar-Kalsi (BG)43.10 KMs.
2. Balrampur-Khalilabad (MG) 142 KMs.

Siswa Bhainsa Railway Line

1677. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a survey in regard to the laying down of the railway track from Siswa to Bhainsa on the North Eastern Railway has been completed ; and

(b) if so, when the work of laying down the track would be started ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) & (b). Reconnaissance Engineering and Traffic surveys for the Bagah-Bhainsalotan-Siswa Bazar railway line, were carried out by the North Eastern Railway in 1962-63, at the cost of the Government of Bihar, who wanted this line for movement of materials and equipment for their Gandak Project.

The survey reports indicated that this line, upto Bhainsalotan/Siswa Bazar will be unremunerative. The Govt. of Bihar, were therefore intimated that this line could be constructed only at their cost in connection with the Gandak Project.

Since the State Government have not communicated their views in the matter and since the Gandak Project, is scheduled for completion in 1966-67, it is presumed that they are no longer keen on construction of this railway line. Apart from its utility for the Gandak Project, there is no justification for construction of this line, as a Railway Branch Line.

Hindi Translation of Manual of Rules and Orders

1678. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Railways** be plesed to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1510 on the 3rd September, 1965 and state :

(a) the number of pages of manuals and rules and the number of forms translated into Hindi by the various Railway Headquarters, Zone-wise during 1965;

(b) the number of rules, books, manuals and forms translated into Hindi by the Hindi section of the Railway Board during this period ; and

(c) the number of those, out of them, which have been printed and the reasons for the delay in printing the remaining ones ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. L. T. 5701/66]**

(b) 10 forms pertaining to the Discipline and Appeal Rules were translated during 1965. Local forms for use in the office of the Railway Board were translated earlier. As regards rules, manuals etc. in all 13 items were translated during 1965.

(c) Out of the material translated into Hindi on the Zonal Railways and in the Railway Board's office, some 914 pages of rules etc. and 123 forms were printed

during 1965. The main reason for delay in printing the translated material is that rule-books, forms etc. are required to be printed into English-Hindi bilingual form and this is a time-consuming process.

Persons attached to the A.C. Coaches on the North Eastern Railway

1679. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the persons appointed to take care of the air-conditioned coaches on N.E. Railway have to remain on duty between Katihar to Lucknow for 22 hours continuously ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). Yes, they are on duty but this does not mean they have to work continuously during this period. They do not have effective work for more than 6 hours.

Class IV Railway Employees of Lucknow

1680. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that house rent is charged from Class IV Railway employees stationed at Lucknow;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether they have submitted a representation to Government in this regard ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, except in the case of those appointed prior to 1-7-1959 in Class IV categories who were formerly eligible to the benefit of rent free quarters when allotted.

(b) Because the Rules framed as a result of the 2nd Pay Commission's recommendations do not permit rent free concession to such Class IV employees.

(c) & (d). Only the peons employed under Works Managers Offices, Charbagh and Alambagh, have submitted representations and their case is under examination.

Licensing of Powerlooms

1681. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have stopped the issue of new licences for powerlooms ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the number of applications received from U.P. during the period between January, 1965 and January, 1966 for the issue of such licences ; and

(d) the number of licences issued and the number of applications under the consideration of Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) & (b). No Tex-mark certificates for the installation of fresh powerlooms are issued with effect from the 15th May, 1961, except for powerlooms installed for providing vocational training. Issue of new licences will be considered in the light of the decisions, to be announced shortly, on the recommendations of the Powerloom Enquiry Committee.

(c) 97

(d) No. of licences issued . . 3 (for imparting vocational training).
No. of applications pending 94.

रेलवे में व्हील गेजर और रिपैक्कर

1682. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्हील गेजरों, रिपैक्करों और रिवेटरों को कुशल कारीगर के रूप में घोषित करने तथा तदनुसार वेतन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उनका काम फिटरों के काम के समान और उनकी जिम्मेदारियां भी वैसी ही हैं;

(ग) क्या उन्हें फिटरों के समान ही समुचित कार्य परीक्षा (ट्रेड टेस्ट) देने के पश्चात् फिटरों जैसी अथवा प्रायः वैसी ही पाठ्यचर्या के अनुसार मौखिक तथा व्यावहारिक दोनों ही परीक्षायें पास करनी पड़ती हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें अकुशल कारीगर बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। रिवेटरों के कुछ पद कुशल कारीगरों के ग्रेड में आते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) उन्हें, कुशल ग्रेड के अन्तर्गत आने वाले फिटरों के लिए निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर नहीं, बल्कि अर्धकुशल ग्रेड के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक व्यवसाय के लिए निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर मानक व्यवसाय परीक्षा पास करनी पड़ती है।

(घ) सवाल नहीं उठता क्योंकि उन्हें अकुशल कारीगर नहीं माना जाता।

रेलवे का विकास कार्यक्रम

1683. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के विकास कार्यक्रम की गति धीमी कर देने के निर्णय से देश में बहुत बड़े पैमाने पर इंजीनियरी और इस्पात उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से इस कारण कि यह ऐसे समय हुआ है जब इन उद्योगों के पास अन्यथा काम मंदा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया है; और

(ग) इन उद्योगों को इस समय मिलने वाला काम उनकी निर्माण क्षमता से कितना कितना कम है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क), (ख) और (ग) : जी हां, कुछ हद तक। लेकिन, रेल प्रशासनों द्वारा अपने पूंजी निवेश कार्यक्रम की रफ्तार मन्द करने के निर्णय को राष्ट्र की सामान्य आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ कुल मिलाकर सरकार के अर्थोपाय की कठिन स्थिति के सन्दर्भ में देखना उपयुक्त होगा। फिर भी, विभिन्न उद्योगों में सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए यह सम्भव है कि स्थिति पर यथासम्भव अधिक से अधिक काबू पाने के लिए निर्यात और अन्य रेलवेतर साधनों का सहारा लिया जाये। इस सम्बन्ध में माल-डिब्बा निर्माण उद्योग ने अच्छी शुरूआत की है।

जौनपुर (उत्तर प्रदेश) में स्कूटर कारखाना

1684. श्री राजदेव सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जौनपुर में शत-प्रतिशत विदेशी पुर्जों से स्कूटर बनाने का कारखाना स्थापित करने की एक योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो वह कब प्राप्त हुई थी और इसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इस कारखाने को पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े क्षेत्र में स्थापित करने पर विचार किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : स्कूटरों/आटो साइकिलों का निर्माण करने के लिये पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में नये उपक्रमों की स्थापना करने के संबंध में प्राइवेट पार्टियों से दो योजनाएं प्राप्त हुई हैं। इन में से एक योजना में 82 प्रतिशत देशी अंश से प्रारंभ करके चौथे वर्ष तक उसे 100 प्रतिशत कर देने का विचार है। दूसरी योजना के अनुसार प्रारंभ में देशी अंश 90 प्रतिशत होगा और 5 वर्ष के भीतर शत प्रतिशत तक हो जायगा। अन्य पार्टियों से प्राप्त इसी प्रकार की कई योजनाओं के साथ इन दो योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

औद्योगिक उपक्रमों के लिये लाइसेंस देने में सामान्यतः सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है इस मामले में भी ऐसा ही किया जायेगा।

Pension Benefit to Retired Railway Employees

†**1685. Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received any representation for the grant of pension to such Railway employees as have retired from service during 1947 to 1957 ; and

(b) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) The request for extending the pension scheme to cover Railway employees who retired prior to 1-4-57 has been considered by the Government thoroughly on more than one occasion and the Government have come to the conclusion that the request cannot be agreed to.

सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखानों के जनरल मैनेजरों के अधिकार

1686. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री कोल्ला वेंकैय्या :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के जनरल मैनेजरों के कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति तथा क्रय करने सम्बन्धी विशेष अधिकारों को वापिस लेने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विशेषाधिकार क्या है और उनमें क्या कमी करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन अधिकारों को किन कारणों से वापिस लिया जा रहा है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

खलीलाबाद (पूर्वोत्तर रेलवे) में दुर्घटना

1687. **श्री राम हरख यादव :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 जनवरी, 1966 के लगभग रात को पूर्वोत्तर रेलवे के खलीलाबाद स्टेशन पर 8 व्यक्ति एक पैसेंजर गाड़ी से टकरा कर नीचे आ गये थे;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे तथा वास्तव में कितने व्यक्ति मरे; और

(ग) इस दुर्घटना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क), (ख) और (ग) : यह दुर्घटना 31-1-66 को हुई। नौ व्यक्ति 30 डाउन पैसेंजर गाड़ी से टकरा कर घायल हो गये। इनमें से 3 व्यक्ति चोट लगने के फलस्वरूप अस्पताल में मर गये।

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, खलीलाबाद ने इस दुर्घटना के बारे में जांच की थी, लेकिन अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं मिली है।

होरपेट इस्पात कारखाना

1688. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चैकोस्लोवाकिया की सरकार ने मैसूर को होस्पेट क्षेत्र में, जहां लोह-अयस्क बड़ी मात्रा में पाया जाता है, इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये सहायता देने के पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : भारत सरकार को ऐसी किसी पेशकश के बारे में मालूम नहीं है। राज्य सरकार से पता लगाया जा रहा है।

पुरी और रूरकेला के बीच एक्सप्रेस गाड़ी

1689. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर हो कर पुरी और रूरकेला के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की आवश्यकता पर विचार किया गया है;

(ख) क्या सरकार तथा सम्बन्धित रेलवे अधिकारियों को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस रेलगाड़ी को अप्रैल, 1966 से लागू होने वाली नई समय-सारणी में शामिल करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। खड़गपुर के रास्ते राउरकेला और पुरी के बीच एक सीधी गाड़ी चलाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि खुर्दा रोड-खड़गपुर खण्ड पर, जिस पर दोहरी लाइन बिछाने का काम हो रहा है, लाइन क्षमता उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, इन दो स्टेशनों के बीच जितनी मात्रा में सीधा यातायात होता है, उसके आधार पर भी प्रस्तावित गाड़ी चलाने के लिए कोई औचित्य नहीं बनाता। फिर भी, उड़ीसा क्षेत्र से राउरकेला जाने-आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 1-4-66 से लागू समय सारणी में खड़गपुर में गाड़ियों के मेल लेने की बेहतर व्यवस्था की जा रही है।

भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन

1690. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे पर साबरमती स्टेशन पर यातायात गतिरोध दूर करने के लिये भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण करने के आदेश दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख): गुजरात सरकार लगातार इस बात की मांग करती आ रही है कि साबरमती यानान्तरण स्थल में भीड़-भाड़ को कम करने के उद्देश्य से और भावनगर बन्दरगाह के यातायात के लिए भावनगर-तारापुर बड़ी लाइन का निर्माण किया जाय। इस लाइन के लिए यातायात सर्वे और पूर्व में किये गये इंजीनियरिंग अनुमानों को अद्यतन करने के लिये जनवरी, 1966 में अनुमान की मंजूरी दी गयी थी और यह काम अभी हाल में शुरू किया गया है।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सर्वश्री रंगा, कपूर सिंह, यशपाल सिंह तथा बहुत से अन्य माननीय सदस्यों से विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना मिली है। यह श्री एच० एल० सैली द्वारा लिखित तथा प्रकाशित 'पंजाब एट क्रासरोड्स' (पंजाब की अनिश्चित स्थिति) नामक विवरणिका के संबंध में है जिस में कहा गया है कि "केन्द्रीय नेताओं ने, कमजोरी के समय, तथाकथित पंजाबी सूबा के निर्णीत प्रश्न को सिखों की तुष्टि के लिये दुबारा उठाया। उन्होंने एक पक्के अकाली को संसदीय समिति के सदस्यों की नियुक्ति तथा उसकी अध्यक्षता करने का कार्यभार सौंप कर और भी ग़लती की। यह स्वाभाविक था कि वह ऐसे लोगों को ही सदस्य बनाते जिनके समर्थन का उन्हें पूर्ण विश्वास

[अध्यक्ष महोदय]

था। उनके नियुक्ति के आदेशानुसार उन्हें अपनी सिफ़ारिशें मंत्रिमंडल उप-समिति को देनी थीं परन्तु वह इन सिफारिशों के लिये उसी संसद का समर्थन और स्वीकृति चाहते हैं, जिसके कि वह अध्यक्ष हैं। इस प्रकार वह चाहते हैं कि उनकी सिफारिशों को मंत्रिमंडल अनिवार्य रूप से मान ले।"

इसके अतिरिक्त सदस्यों को बेईमान भी कहा गया है। सभा की अनुमति से मैं इस मामले को समिति को सौंपता हूं।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : कृपया इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दीजिये।

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में

RE : POINT OF ORDER

अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : पत्र सभा-पटल पर न रखे जायें।

Shri Makhu Limaye (Monghyr) : I want to make a submission in regard to the Privilege Motion.

Mr. Speaker : The House has already given its permission to that matter being referred to the Committee.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I want to draw your attention to another sub-rule to rule 376 and I want to raise a point of order. It says :

"Provided that the speaker may permit a member to raise a point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another".

Mr. Speaker : It says that my permission has to be sought. I am not permitting to raise the point of order.

Dr. Ram Manohar Lohia : I want you kindly to think upon rule 377 which says that any member can raise a point of order. There should be some decision about this point which may relate to any matter of public importance. There are eight rules of this type, *e.g.*, Rules 54, 56, 170, 184, 193, 197 and 377. You never pemit use of rule 377 which relates to the point of order. Why is it kept here ?

Mr. Speaker : You cannot discuss why this rule has been kept. It is a wider question. If you table a notice on this matter, it will be made over to the Rules Committee whom you will have to convince about its deletion or amendment. As to the raising of a point of order, I do not give consent to it.

Shri S. M. Banerji : I want to draw your attention to rule 376(1) which says :

"औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सभा का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा, और उसके द्वारा ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।"

मैं आपका ध्यान नियम 197 की ओर आकर्षित करता हूं जिस में स्पष्ट किया गया है कि :

"कोई सदस्य, अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से, अविलम्बनीय लोकमहत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान दिला सकेगा और मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा . . . . ."

मैंने आज ही एक सूचना दी है परन्तु कल दी गई सूचना जो 40,000 लेखापरीक्षा कर्मचारियों द्वारा उनके संघ को मान्यता न देने के विरोध में भूख-हड़ताल के बारे में थी, केन्द्रीय सरकार से बिलकुल सम्बन्धित थी। आपने उसका कुछ निर्वचन देकर नामंजूर कर दिया था। अतः मेरा व्यवस्था का प्रश्न उसी निवचन अथवा नियमों के पालन के सम्बन्ध में है। क्या मुझे यह बताने का अवसर दिया जायेगा कि यह मामला केन्द्रीय सरकार से क्यों ताल्लूक रखता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो वही बात हुई है कि जब मैंने किसी विषय की ओर ध्यानाकर्षण की अनुज्ञा किसी कारण से नहीं दी है और वह कारण, माननीय सदस्य को ठीक नहीं जंचता तो क्या वह उस मामले को यहां उठा सकते हैं या नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : हमें कारण पता नहीं परन्तु 40,000 लेखापरीक्षा कर्मचारी भूख-हड़ताल पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य को कोई आपत्ति है तो वह मुझ से मिलें या लिख कर भेजें। मैं उस पर विचार करूंगा। मैं उसे मंगलवार तक स्थगित नहीं करूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिये कहें।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे सहमत हूं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I have been giving notices in regard to strikes on the question of bonus but they have always been rejected on the ground that they concern the State Governenments. I say that a discussion on this matter is very necessary.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : लेखापरीक्षा कमचारियों की संघ को मान्यता दिये जाने के प्रश्न पर आप कब चर्चा करवाना चाहते हैं ? यह मामला सरकार के कार्य क्षेत्र में हैं और इस पर सरकार का वक्तव्य होना बहुत जरूरी है।

Shri Madhu Limaye : The recognition of this union was withdrawn six years back. After that Home Ministry, recommendations that recognition might be given to the Union was not acceded to. In 1963, the Auditor General suggested that if the leadership of the union was changed, the union would be recognised. The union accepted this disgraceful condition but neither recognition was accorded to it nor were the suspended employees reinstated. Hence a statement on the matter is very much needed.

Dr. Ram Manohar Lohia : I want to raise the matter whether a President or a Governor has authority to turn out Members.

Mr. Speaker : Please sit down now.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS TO LAID ON THE TABLE

इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन, इत्यादि

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा, का वर्ष 1964–65 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेख तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 5683/66] ।

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1964–65 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०5684।66]

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(3) (एक) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619-क की उपधारा (3) के अन्तर्गत वन उद्योग (त्रावनकोर) लिमिटेड, आलुवा, का 31 मार्च, 1965, को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की केरल सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 5685/66] ।

(4) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951, की धारा 16 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) 'दियासलाइयों के उचित विक्रय मूल्य' के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1963)।

(दो) दिनांक 27 नवम्बर, 1965 का सरकारी संकल्प संख्या 37(1)/64-एल० इण्ड० (ii)।

(तीन) उपर्युक्त मद (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्र उक्त धारा में निर्धारित समय में सभा-पटल पर क्यों नहीं रखे जा सके इसके कारण बताने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 5686/66] ।

नारियल-जटा बोर्ड एरणाकुलम के वर्ष 1964-65 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं नारियल-जटा उद्योग अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत नारियल-जटा बोर्ड, एरणाकुलम् के वर्ष 1964–65 के प्रमाणित लेखों की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 5687/66]** ।

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 इत्यादि

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : मैं निम्न-लिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) (दूसरा संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 4 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 8 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 57 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 5688/66]।

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड नेवेली, के वर्ष 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 5689/66]।

(3) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत मेंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटड, नागपुर, के वर्ष 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 5690/66]।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 1966

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948, की धारा 13 की उप-धारा (3) के अन्तगत केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 1966, की एक प्रति, जो दिनांक 29 जनवरी 1966, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 139 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 5691/66]।**

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

REPORT OF PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

चवालीसवाँ प्रतिवेदन

FORTY-FOURTH REPORT

श्री मुरारका (झुंझुनू) : मैं राजस्व स्थिति, सीमा-शुल्क तथा संघ उत्पादन-शुल्क संबंधी राजस्व प्राप्तियों पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1965 के बारे में लोक लेखा समिति का 44 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

सभा के नेता (श्री सत्यनारायण सिंह) : आपकी अनुमति से, मैं यह बताना चाहता हूं कि 8 मार्च, 1966 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) वर्ष 1966–67 के रेलवे बजट पर आगे चर्चा।

(2) निम्न विधेयकों पर विचार तथा पास करना :—

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, 1966।

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1966।

आयात तथा निर्यात नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1966।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) संशोधन विधेयक, 1966।

(3) वर्ष 1966–67 के सामान्य बजट पर चर्चा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आरम्भ में ही मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि आप सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा पहले इस सभा में न कि दूसरी सभा में आरम्भ कराने को सुनिश्चित कर लें।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। अब वह दूसरी बात के बारे में कहें। पहली बात के संबंध में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह बजट पर चर्चा पहले यहां शुरु कराने की व्यवस्था करे।

श्री हरि विष्णु कामत : दूसरी बात संविधान के अनुच्छेद 113 के सम्बन्ध में है। यह मामला मैंने पिछले वर्ष भी उठाया था परन्तु आप समय के अभाव के कारण इस पर अन्तिम निर्णय न कर सके। आपने 1964 में उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में लोक सभा के बजट प्राक्कलनों की जांच के लिये एक समिति बनाई थी। परन्तु मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था कि राज्य सभा के बजट प्राक्कलनों पर संविधान के अनुच्छेद 113 के अन्तर्गत लोक सभा में चर्चा की जाये और वे उधृत किये जाये और अनुच्छेद 113(2) के अन्तर्गत समिति द्वारा उन प्राक्कलनों पर विचार किया जाये ताकि समिति के प्रतिवदन को कोई भी सदस्य पढ़ सके।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बार भी देर से इस प्रश्न को उठा रहे हैं। मैंने उस समिति को इस वर्ष भी नियुक्त किया है। समिति ने सारे प्राक्कलनों की जांच की है क्योंकि वे सामान्य आय-व्ययक में शामिल किये जाने के लिये भेजे जाते थे। जहां तक राज्य सभा का संबंध है अब इस समय एसा करना बहुत कठिन है। यदि सभा इस वर्ष और भी मामले को यों ही रहने दे तो बाद में नई परम्पराओं को स्थापित किया जा सकता है। नये संसद में नयी परम्परायें होंगी। समय आने पर मैं इस मामले को सभा के सामने रखूंगा। यदी सभा जांच करा चाहती है तो वह कर।

श्री हरि विष्णु कामत : आपने सभा के अधिकार को मान्यता दी है मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता है। हम उस अधिकार का प्रयोग करेंगे।

Shri Hukam Chand Kachhaviaya : The Minister's assurance to the House in the last session that he would soon be introducing a Bill regarding workers in in the *Bidi* industry, has not yeat been fulfilled. Secondly, I had recently asked a question about the *Agarbatti* workers for whom there exists no law at present and their daily wages are as low as eight annas to ten annas a day. By when the assurance regarding introduction of a bill for these workers also is expected to be fulfilled ?

श्री बूटा सिंह (मोगा) : बीड़ी को इस सभा में लाने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : हम हर विषय पर चर्चा कर सकते हैं चाहे करें कुछ नहीं ।

Shri S. M. Banerji (Kanpur) : I want to draw the attention of the honourable Minister to the non-official motion regarding closure of textile mills etc. tabled by Shri Madhu Limaye, dicussion on which had started. The textile mills are already closed, play-off is taking place in jute and woollen mills. Play-off is also taking place in the engineering industry in Bombay and elsewhere. I request that a discussion should be held next week so that Government may take some decision on the matter.

Shri Madhu Limaye : It was decided that in addition to the four bills, the supplementary demands would be taken up along with the General Budget but the Minister's announcement says that the supplementary demands would be taken up later. If the Bills are not essential, the supplementary demands may take their place and may be discussed along with the General Budget.

Shri Buta Singh : The assurances given by the Punjab Government and the Central Government regarding rehabilitation of persons affected by the Indo-Pak conflict in the border areas have not been fulfilled so far.

Mr. Speaker : At present you can raise only that matter about which there is a motion or resolution before the House.

Shri Pradash Vir Shastri (Bijnor) : It is two years since the Report of the Tek Chand Committee was published. It should be discussed now.

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना को सभा के सामने प्रस्तुत करने तथा बजट पर सामान्य चर्चा किये जाने से पहले उस पर चर्चा कराने का विचार कर रही है ? मैं चाहता हूं कि चौथी योजना पर पहले चर्चा की जाये ।

Shri Maurya (Aligarh) : Since the political protection to the scheduled castes and scheduled tribes is upto 1970, the 1967 General Election will be the last one so far as this protection is concerned. Hence, the Lokur Committee Report should be discussed right now, otherwise it will have no importance later.

Dr. Ram Manohar Lohia : The Leader of the House says that the discussion under Rule 193, permission for which has already been given to me will be taken up after the Budget discussion. The discussion should be immediately held now so that distinction between death from hunger and death from hunger strike may be established. It is wrong that nobody is dying from hunger in the country.

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : The facility provided by area restriction in the Constitution is not available to the tribals. It is one year since an assurance was given that a bill would be introduced to remove the restriction but nothing has so far been done. When is that bill going to be introduced ?

Shri A. P. Sharma (Buxar) : The Tek Chand Committee Report should be discussed next week.

श्री वारियर (त्रिचूर) : सभा के नेता ने कहा था कि वह मद्रास सरकार से श्री उमानाथ को सभा में उपस्थित होने की आज्ञा के संबंध में उत्तर मांगे । अब हमें उनका उत्तर मिलना चाहिये ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : हम बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा कर रहे थे और उसका निलम्बन ठीक उसी समय कर दिया गया था जब वह पारित होने वाला था। अब वह कब किया जायेगा और पारित किया जायेगा ?

Shrimati Sabodra Bai Rai (Damoh) : There are so many *bidi* workers in Madhya Pradesh. They get very low wages. When is the *Bidi* Bill expected to be introduced.?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : There is only one reply to all the questions, including the one raised by Dr. Lohia, raised so far in the House. It has all along been a clear convention in the House that, during the Budget Session, unless the financial business is over we do not generally take up any No-date Motion or Reports etc. We are consulting the leaders of the groups. The Finance Bill has to be passed by a fixed date, as also the demands have to be passed. We are short by 8-10 hours according to the time allotted by the leaders of the groups. Even if we do no business except the financial business, we will still be short of time by 10 hours. We will have now to sit on two Saturdays also in order to make up for shortage in time.

An Hon. Member : No Sitting on Saturdays.

Shri Hari Vishnu Kamath : We sat on two Saturdays in the last session also. (**Interruptions**).

Shri Satya Narayan Sinha : You have probably been saying for some time now and the House is also of the opinion that we will not sit on Saturdays.

अध्यक्ष महोदय : हमने पहले ही कहा हुआ है कि हम शनिवार को नहीं बैठेंगे ।

Shri Satya Narayan Sinha : As is done every year, this year also we have decided to sit up to 6 P.M.(**Interruptions**). We are already hard pressed for time. If we can somehow find time, I have no objection for discussion being held on matters raised by honourable members. We are giving top priority to the financial matters and we are not going to run risk in that regard. The House has to decide whether we should sit on Saturdays in order to make up for shortage of time. Since demands of almost every Ministry come up for discussion we can discuss any matter at that time. For this reason also we have decided not to take up any No-date Motion. Besides, every such motion must relate to one or the other Ministries.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : क्या मंत्री महोदय उन सब प्रश्नों का उत्तर देंगे जो उठाये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि यह सब बातें कि हमें इन मसलों पर चर्चा करने के लिये समय मिल सकता है या नहीं कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में तैय की जा सकती हैं ।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मेरा एक सुझाव है कि यदि हम 6 बजे तक बैठें तो सभा-नेता सभा में गणपूर्ति रखने की व्यवस्था अवश्य रखें ।

श्री सत्यनारायण सिंह : मेरा विचार है कि 5 बजे के बाद कोई भी माननीय सदस्य गणपूर्ति के लिये मांग नहीं करेंगे ।

डा० मा० श्री० अणे : आपको गणपूर्ति रखना चाहिये । मैं गणपूर्ति के लिये कहूंगा ।

श्री सत्यनारायण सिंह : जहां तक श्री कामत के प्रश्न का संबंध है कि बजट पर सामान्य चर्चा पहले इस सभा में हो, हमने यह निर्णय कर लिया है कि ऐसा ही हो। रेल मंत्री भी इस बात से सहमत हैं कि रेल संबंधी मांगें बाद में ली जायें। सामान्य चर्चा के तुरन्त बाद अनुपूरक मांगे ली जायेंगी।

यदि समय मिला तो अन्य मामलों पर जिन में अनुसूचित जातियों का मामला भी शामिल है, चर्चा की जायेगी।

Shri Sheo Narain (Bavse) : Since it is frequently complained of that no Cabinet Minister is present at certain times, I would suggest that a Minister without Portfolio may be appointed so that he may be present here all the time.

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या हो रहा है ?

श्री सत्यनारायण सिंह : जैसा कि श्री वारियर ने पूछा है श्री उमानाथ के बारे में मंगलवार को वक्तव्य दिया जायेगा।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक को जिसके बारे में श्री दी० चं० शर्मा ने पूछा है, सबसे अधिक प्राथमिकता दिये जाने के लिये मैंने सभा के नेता से कहा हुआ है। वह वित्तीय कार्यवाही के उपर निर्भर है।

रावलपिंडी में भारत-पाकिस्तान के मंत्रियों की बैठक के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : INDO-PAKISTAN MINISTERIAL MEETING AT RAWALPINDI

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जैसा कि सदन को मालूम है, ताशकंद घोषणा में ऐसे कई उपायों की व्यवस्था है जिन पर अमल करना है और कई ऐसे मासले हैं जिन पर भारत क स्तान के बीच बातचीत होनी है। दोनों पक्ष उक्त घोषणा की कुछ व्यवस्थाओं पर अमल करने के लिये कार्रवाई करते रहे हैं, खास तौर से अनुच्छेद 2, 5 और 7 के लिये—जिनका संबंध सैनाओं की वापसी और वियुक्ति, सामान्य राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना, और बंदियों के तबादले से था। अनुच्छेद 6 में कही गई संचार-व्यवस्था को पुनःस्थापित करने के बारे में भी आंशिक प्रगति हुई है और अनुच्छेद 4 में एक-दूसरे देश के विरुद्ध प्रचार कम करने की जो बात कही गई है, उसके संबंध में भी आंशिक रूप से प्रगति हुई है। बहरहाल, ताशकंद घोषणा के अमल संबंधी कार्य में और प्रगति करने के लिये बहुत से दूसरे तात्कालिक तथा बाद के मसलों का समाधान किया जाना है और दोनों सरकारों के बीच आदान-प्रदान के परिणाम-स्वरूप, यह फैसला किया गया कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये दोनों के बीच मंत्री-स्तर पर 1 और 2 मार्च को रावलपिंडी में एक बैठक की आलोचना किया जाए :

तदनुसार, भारत के विदेश मंत्री, परिवहन, विमानन, जहाजरानी और पर्यटन मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री अपने कई सलाहकारों सहित, पाकिस्तान सरकार के विदेश, वाणिज्य और संचार मंत्रियों तथा उनके सलाहकारों से 1 मार्च को सवेरे कुछ समय के लिये औपचारिक मीटिंग में मिले। उसके बाद मंत्रियों तथा अधिकारियों के स्तर पर, औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से बहुत-सी बैठकें हुई और 2 मार्च 1966 की शाम को एक सम्मिलित विज्ञप्ति जारी की गई। मैं उस विज्ञप्ति की एक प्रति सदन की मेज़ पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिय संख्या एल० टी० 5692/66।]**

[श्री स्वर्ण सिंह]

जैसा कि विज्ञप्ति में कहा गया है, रावलपिंडी में समन्वेषक (एक्स्प्लोरेटरी) बातचीत हुई और उससे विचारों का लाभदायक आदान-प्रदान हुआ। सम्मेलन से पहले पाकिस्तान सरकार के साथ विचार-विमर्श में, भारत सरकार ने सुझाव दिया था कि सम्मेलन ताशकंद सम्मेलन के अमल की दिशा में आगे उठाए जानेवाले कदमों पर विचार करने के लिये आयोजित किया जाए। भारत सरकार ने कहा था कि बातचीत विशेषकर, व्यापार, आर्थिक संबंध, संचार व्यवस्था की पुनः स्थापना और एक/दूसरे देश द्वारा हस्तगत संपत्ति और आस्तियों के लौटाने के विषय में की जाय। पाकिस्तान सरकार ने प्रस्ताव किया था कि मंत्रियों की बैठक में छह अतिरिक्त मदों पर बातचीत की जानी चाहिए जो उनके अनुसार संक्षेप में ये थे : जम्मू तथा काश्मीर पर विवाद, कश्मीर विवाद के समाधान के बाद सशस्त्र सेनाओं में कमी, लोगों के निष्क्रमण को रोकने की स्थिति उत्पन्न करना, तथाकथित निष्कासन को रोकना, फरक्का बांध और वतमान करारों पर अमल।

अंत में इस पर सहमति हुई कि बैठक बिना किसी कार्यसूची के हो और दोनों पक्ष स्वभावतः अपनी इच्छानुसार कोई भी प्रश्न उठाने को स्वतंत्र होंगे। 1 और 2 मार्च को जो बातचीत हुई थी, उसमें प्रत्येक पक्ष ने एक दूसरे पक्ष को अच्छी तरह समझाया कि उस समय ताशकंद घोषणा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उनके विचार में किन-किन प्रश्नों पर बात करना अत्यंत उपयुक्त और लाभदायक होगा। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने काश्मीर के सवाल को अधिक महत्व दिया जो कि उनके विचार में तमाम दूसरे भारत-पाकिस्तानी सवालों की जड़ था और अगर भारत-पाकिस्तानी संबंधों में सुधार करना है तो उस पर विचार करना होगा। भारतीय प्रतिनिधिमंड़ल ने कश्मीर के प्रश्न पर भारत सरकार के दृष्टिकोण को दोहराया और समझाया कि चूँकि इस प्रश्न पर बातचीत करने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए सम्मेलन को चाहिये कि वह उन क्षत्रों में संबंधों को सामान्य बनाए जो कि संघर्ष के कारण बिगड़ गए हैं और कुछ अन्य बड़-बड़े सवालों को उठाए, जिनके समाधान से दोनों सरकारों के बीच अच्छी समझ-बूझ पैदा होगी और दोनों देशों के लोगों में सद्भावना बढेगी। हमने बताया कि ताशकंद घोषणा का महत्व यह था कि एक ओर तो दोनों पक्ष ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि शांतिपूर्ण तरीकों से अपने मतभेदों को तय करेंगे और दूसरी ओर, वे कई अलग-अलग सवालों को हल करने की दिशा में कार्य करगे चाहे कुछ अन्य सवालों पर उनकी स्थिति एक-दूसरे से भिन्न रहती हो।

दोनों पक्षों ने अपने इस निश्चय की पुनः पुष्टि की कि वे ताशकंद घोषणा का पालन करेंगे और घोषणा में निहित दायित्वों को निभाएंगे और इस बात पर विचार करके, कि उनके अपने अपने विचारों से इस लक्ष्य की प्राप्ति किस तरह की जा सकती है, उन्होंने किसी बाद की तारीख को फिर बठक करने का निर्णय किया।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : हमने इस पर ध्यानाकर्षण सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा में विचार किया जा चुका है। अब प्रश्न पूछ कर समय नष्ट नहीं करना चाहिय।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : चूँकि समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि सेकड़ों करोड़ रुपये की जो भारतीय जायदाद पाकिस्तान के पास है वापस नहीं की जायगी और हमारे पास पाकिस्तान की बहुत थोड़ी जायदाद है, लोग इस संबंध में तथ्य जानने के लिये इच्छुक हैं।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : वक्तव्य तथा विज्ञप्ति को पढ़ने के बाद पता चलता है कि ताशकन्द भावना को कायम रखने की दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है और क़रीब क़रीब गतिरोध उत्पन्न हो गया है ।

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : नहीं, नहीं ।

यह ध्यान में रखते हुए कि जब पाकिस्तान ने संघर्ष के समय अवरुद्ध की गई जायदाद जैसे परस्पर हित के मामले पर बार-बार और सक्तो से बातचीत करने के लिये मना किया है, हमारी यह स्थिति क्या रह गई है ? बात-चीत जारी है परन्तु केवल नाम मात्र की में ।

श्री स्वर्ण सिंह : यह सत्य है कि जायदाद के संबंध में अधिक प्रगति नहीं हुई है परन्तु दूबारा बैठक बुलाने और इस मामले पर और अधिक चर्चा करने के लिये हम सहमत हो गये ।

श्री हेम बरुआ : पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री भुट्टो ने सम्मिलित रावलपिन्डी विज्ञप्ति में "विवाद" (Dispute) शब्द के प्रयोग किये जाने पर संतोष प्रकट किया है । ताशकन्द घोषणा के अनुसार ताशकन्द में काश्मीर के बारे में चर्चा की गई थी । रावलपिन्डी में काश्मीर के बारे में पुनः चर्चा क्यों की गई थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : "विवाद" (Dispute) के प्रयोग के संबंध में मुझे कहना है कि यह वक्तव्य पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल द्वारा दिया गया था । हर पक्ष किसी भी मामले को विवादग्रस्त कह सकता है । हर पक्ष ने अपनी अपनी स्थिति को दुहराया और इसलिये कुछ प्रगति नहीं हो सकी । जम्मू और कश्मीर के संबंध में भी हमने अपनी स्थिति दुहरायी और यह मामला अभी भी वहीं है जैसा ताशकन्द घोषणा के समय था ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : आप यह क्यों नहीं कहते कि यह विवादग्रस्त नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : आपने ताशकन्द घोषणा के बाद इतनी जल्दी रावलपिन्डी में कश्मीर के बारे में चर्चा क्यों की थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह बात दुसरी है कि हम किसी मामले पर स्थिति को दुहराये परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि दुसरे पक्ष द्वारा उठाये गये किसी मामले पर हम बात ही नहीं करेंगे ।

श्री हेम बरुआ : क्या कश्मीर का मसला अब तय हो चुका है ?

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा कश्मीर के मामले पर अपनी स्थिति को दुहराने का क्या मतलब है । आज सारा विश्व जानता है कि यदि हमारे हितों का भी ध्यान रखा जाना है तो कश्मीर का प्रश्न शीघ्र ही सुलझना चाहिये । जब कश्मीर का आधा भाग हमारे अधिकार में नहीं है तो क्या कश्मीर के मसले को सुलझाने के लिये हमें कोई पक्की कार्यवाही नहीं करनी चाहिये ? कुछ न कुछ ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये । प्रधान मंत्री को भी कुछ कहना चाहिये क्योंकि पाकिस्तान से ऐसे समाचार प्राप्त हो रहे हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि वे कश्मीर के प्रश्न पर निश्चयात्मक रुख अपना रहे हैं । क्या यह प्रश्न कभी सुलझेगा भी या मसला योंही बातचीत तक सीमित रह कर लटका रहेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : जब वे कश्मीर के मसले को उठाते हैं तो हम कह देते हैं कि हम उस मसले पर बात नहीं करेंगे परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि वे उस पर कोई रूख नहीं अपना सकते ।

श्री हेम बरुआ : हमारा विचार था कि ताशकन्द में कश्मीर का मसला सदैव के लिये तय हो चुका है।

श्री स्वर्ण सिंह : हमें विचार करना है कि हम इस रुख का क्या उत्तर दें।

श्री हेम बरुआ : आप बातचीत करने के लिये मना क्यों नहीं कर देते ?

श्री नी० श्रीकान्तन् नायर : क्या यह तथ्य है कि पाकिस्तान के अधीन भारतीय जायदाद के प्रश्न को विशेष रूप से उठाया गया था परन्तु पाकिस्तान ने उस मसले पर चर्चा करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और कहा है कि कश्मीर के मसले के सुलझ जाने के पश्चात वह उस मसले पर बात करेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने इस प्रश्न के बारे में भी सुझाव दिया था परन्तु पाकिस्तान का यह रुख था कि कुछ मसलों पर कुछ प्रगति होनी आवश्यक है और चर्चा में समकालीनता होनी चाहिये। हमने कहा है कि उनका यह रवैय्या ठीक नहीं है और अब मामला ज्यों का त्यों ही है।

श्री त्यागी : मैं सरकार द्वारा कश्मीर के प्रश्न को विवादग्रस्त न मानने के दृष्टिकोण को नहीं समझ पा रहा हूं क्योंकि कश्मीर के संबंध में हमको शिकायत है और हमने ही पाकिस्तान के हमले के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का आश्रय लिया था। क्या अब हम पाकिस्तान द्वारा अवध रूप से लिये गये क्षेत्र को वापस नहीं मांग रहे हैं ? यदि हम इस सम्बन्ध में अपनी मांग दृढ़तापूर्वक नहीं रखेंगे तो दुनिया यह समझेगी कि हमको कोई शिकायत नहीं है और पाकिस्तान इसका लाभ उठायेगा। सुरक्षा परिषद के संकल्प के अन्तर्गत पाकिस्तान को हमारे अवैध रूप से लिये गये क्षेत्रों को खाली करना था। परन्तु अभी तक पाकिस्तान ने वे क्षेत्र खाली नहीं किये हैं। क्या आप पाकिस्तान के अधीन कश्मीर के भाग को खाली कराने के लिये दृढ़ता से मांग नहीं कर रहे हैं ? उस क्षेत्र पर हमारा प्रभुत्व का अधिकार है।

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक और कारण है जिससे हमें जम्मू और कश्मीर के मसले पर बात करने के लिये "नहीं" नहीं कहना चाहिय।

श्री त्यागी : आप इस मामले में पहल क्यों नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के मसले पर चर्चा की मांग के उत्तर में "नहीं" न कहना दूसरी बात है परन्तु श्री त्यागी के अनुसार पाकिस्तान के अधीन भारतीय क्षत्रों के वापस लेने की बात भी हमें उठानी चाहिये।

श्री त्यागी : हम संकोच करते हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : हम संकोच नहीं करते। यदि माननीय सदस्य सुरक्षा परिषद की कार्यवाही को देखें तो पता चलेगा कि हमारा बराबर यही दृष्टिकोण रहा है कि . . .

श्री त्यागी : केवल श्री चागला ने ऐसा किया है परन्तु आपने ताशकन्द के बाद से बंद कर दिया है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : मैं यह समझता हूं कि आप पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के मामले पर चर्चा उठाने के लिये "नहीं" नहीं कह सकते परन्तु क्या ऐसा नहीं है कि केवल कश्मीर के मसले के कारण ही गतिरोध हो गया है जो ताशकन्द भावना के बिलकुल विरुद्ध है ?

यही नहीं पाकिस्तान और भी बहुत कुछ कर रहा है। पूर्व पाकिस्तान से रेडियो पर मॉनिटर करते हुये उन्होंने मिजो विद्रोह के संबंध में बहुत कुछ कहा है। वे सारे विश्व में भारत के विरुद्ध गन्दा कुप्रचार कर रहे हैं। अब ताशक़न्द समझौते के बाद पाकिस्तान ने गत्यवरोध ही उत्पन्न नहीं किया बल्कि पूर्ण रूप से समझौते को भंग किया है और भारत के विरुद्ध प्रचार आरम्भ कर दिया है।

श्री स्वर्ण सिंह : कोई भी पाकिस्तानी प्रचार जो ताशक़न्द भावना कि विरुद्ध है, ताशक़न्द समझौते का गम्भीर रूप से अतिक्रमण करता है और हम उसके लिये कड़ा विरोध प्रकट करेंगे। यदि यह पक्का हो जाता है कि पाकिस्तान द्वारा मानिटरिंग किया गया है तो हम उस गम्भीर अतिक्रमण को और इस प्रकार हमारे घरेलू मामलों में उनके हस्तक्षप को सहन नहीं करेंगे।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : The hon. Minister has made two contradictory statements in the House just now. One of them says that no talks can be held about our sovereignty over Kashmir and in the second sentence he told that they were always prepared for talks on Kashmir. My question is whether the Minister thinks it falling within the purview of sovereignty to part willingly with a part of our sovereignty over Kashmir.

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): यह काल्पनिक प्रश्न है। किसी भाग को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Dr. Ram Manohar Lohia : How can these two types of sentences be spoken from the same **

Mr. Speaker : Dr. Sahib, these are very unparliamentary words. You should not say such words. These words should be expunged.

Shri Hukum Chand Kachhavaiya (Dewas) : After Tashkent Declaration armed forces have been withdrawn by both sides. Did you have talks about the destruction of Indian property by Pakistanis such as temples, Gurudwaras ?

Shri Swaran Singh : We had talks about it but we did not go deep into it. I may also clarify that if any country wants to discuss any problem we have no objection to it.

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय) : ऐसा प्रतीत होता है कि हमने कुछ मुजाहिद पकड़े थे वह सारे पाकिस्तान को लौटा दिये हैं। क्या यह सच है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह समझौते दोनों सरकारों के बीच उनके सैनिक अध्यक्षों द्वारा हुआ था। इस से यह सिद्ध होता है कि पाकिस्तान ने उनकी जिम्मेदारी ले ली है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Some countries thought that Taskent Declaration will bring about a change of heart in both sides. Has Government now enlightened those countries about the later attitude of Pakistan and if so what is their reaction ?

Shri Swaran Singh : Our attitude should be to resolve our problems between ourselves and not to see to other countries all the time.

श्री जोकीम अल्वा (कनारा) : मैं बहुत बार खड़ा हुआ परन्तु सारे सत्र में मुझे एक भी प्रश्न करने का अवसर नहीं दिया गया। केवल ** ही अवसर मिलता है।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।
Expunged as ordered by the Chair.

अध्यक्ष महोदय : श्री अल्वा को यह शब्द वापस लेने होंगे। यदि नहीं तो वह सदन से चले जावें। यह शब्द हटा दिये जावें।

श्री जोकीम अल्वा सदन छोड़ कर चले गये/*Shri Joakim Alva then left the House.*

श्री रंगा (चित्तर) : यह ग़लत है। क्या इनका इस सदन के लिये कोई दायित्व नहीं है? इस समय दल के नेता तथा सदन के नेता यहां मौजूद ह।

अध्यक्ष महोदय : विपक्षीय दलों को यह याद रखना चाहिये कि यही शब्द उनकी ओर से भी एक सदस्य ने प्रयोग किये थे परन्तु मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि कोई सदस्य ऐसी आवाज़ में कहे कि कोई उसे सुने नहीं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : जब यह शब्द कहे गये तो मैं स्वयं खड़ा हुआ और ऐसे शब्दों के विरुद्ध आपत्ति की। इस प्रकार कहना ठीक नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : उस प्रतिनिधि मंडल में असैनिक उड्डयन तथा नौपरिवहन मन्त्री और वाणिज्य मंत्री थे। फिर भी भारतीय लदान के बारे में पूरी बात क्यों नहीं हो पाई जब कि पाकिस्तान मान भी गया है कि यह भारत का लदान है?

श्री स्वर्ण सिंह : हमने यह बात उठाई थी परन्तु वह इस पर चर्चा करने को उत्सुक नहीं दिखाई दिये। शायद अगली बैठक में इस पर बात हो।

केरल आयव्ययक, 1966-67

KERALA BUDGET, 1966-67

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं सभा-पटल पर 1966-67 के लिये केरल राज्य की अनुमित आय तथा व्यय का एक विवरण पेश करता हूं।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : महोदय, मुझे यह आपत्ति है कि सामान्य बजट को बड़ी शान से पेश किया जाता है परन्तु केरल का बजट यहां ऐसे पेश किया गया है जैसे किसी दियासलाई के कारखाने का प्रतिवेदन पेश किया हो।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार भी यही था कि जब कोई किसी राज्य पर राष्ट्रपति का शासन हो तो वहां का बजट केन्द्रीय सरकार के बजट की भान्ति पेश किया जावे। परन्तु श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने भी पिछली बार ऐसा ही किया था।

श्री शचीन्द्र चौधरी : महोदय, मैंने भी पिछली बार के नमूने पर ही किया है अन्यथा मझे जैसे सदन आज्ञा करें मैं वैसे पढ़ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह अब सदन के सामने बजट पेश कर सकते हैं।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं अवश्य ऐसा ही करूंगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

सभा को अच्छी तरह से मालूम है कि किन परिस्थितियों में केरल राज्य में राष्ट्रपति का शासन जारी है। इसलिए 1966-67 के केरल सरकार के बजट को संसद् में पेश करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि इस समय संसद् को राज्य विधान मण्डल के सारे अधिकार प्राप्त हैं।

2. आज से कुछ दिन पहले जब संसद में भारत सरकार का बजट पेश किया गया था, उस समय देश की आर्थिक स्थिति की सामान्य बातों की समीक्षा की गयी थी। लेकिन यहां, कुछ उन बातों का जिक्र किया जा सकता है जिनका केरल राज्य से गहरा सम्बन्ध है।

3. 1965 के सारे साल, लोगों का ध्यान राज्य की खाद्य-स्थिति की ओर लगा रहा। अनौपचारिक राशन-व्यवस्था के अन्तर्गत, जो 1964 के अन्तिम भाग में जारी की गयी, वर्ष की पहली छमाही में, राज्य भर में हर वयस्क (एडल्ट) को 160 ग्राम चावल और 160 ग्राम गेंहू प्रति दिन दिया जाता था। जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीनों में चावल का राशन अस्थायी रूप से बढ़ाकर पहले तो 190 ग्राम और बाद में 200 ग्राम कर दिया गया। अक्टूबर 1965 में, सभी राज्य सरकारों से अन्न की खपत कम करने के लिए की गयी एक अपील के परिणामस्वरूप, केरल में कुल राशन 320 ग्राम से घटाकर 280 ग्राम कर दिया गया जिस में चावल 160 ग्राम और गेहूं 120 ग्राम रखा गया। लेकिन चावल की सप्लाई नाकाफी होने से, जनवरी 1966 के शुरू में चावल का राशन घटाकर 120 ग्राम कर दिया गया। बाद में, 30 जनवरी से इसे फिर बढ़ाकर 140 ग्राम कर दिया गया और उसके बाद से यह निश्चय किया गया है कि मार्च के उतरार्ध में इसे फिर 160 ग्राम की मूल मात्रा तक बढ़ा दिया जायगा।

4. राज्य के अधिकांश भागों में दक्षिण-पश्चिमी बरसाती हवा (मौनसून) के न चलने से चालू वर्ष में कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर बुरा असर पड़ा। हालांकि पहली फसल सन्तोषजनक रही पर दूसरी फसल (जिसमें गर्मियों की फसल भी शामिल है) पर बुरा असर पड़ा है और वर्तमान लक्षणों को देखते हुए यही अनमान है कि चावल का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ कम होगा। लेकिन बागानी (प्लांटेशन) फसलों के उत्पादन में कमी होने की कोई आशंका नहीं है, बल्कि रबड़ और चाय के उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावना है। इसी तरह तटवर्ती प्रदेश में, मछलियों के लाकर उतारे जाने का काम भी सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है।

5. जलाशयों में पानी का संग्रह कम होने से, राज्य में गर्मी के महीनों में ही नहीं, बल्कि दूसरे महीनों में भी बिजली की खपत में भारी कटौती करनी पड़ी। दिसम्बर 1965 के मध्य से, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 50 प्रतिशत और घरेलू उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में 25 प्रतिशत की कटौती कर दी गयी है और हो सकता है कि इसे मई 1966 में वर्षा होने तक जारी रखना पड़े। बिजली की खपत में कटौती किये जाने के कारण, राज्य के कारखानों को अपनी क्षमता से कम काम करना पड़ा। जो नये कारखाने खड़े किये गये हैं और बन कर तयार हो चुके हैं, उन्हें भी चालू नहीं किया जा सका।

6. वर्ष के शुरु से ही, कीमतों पर लगातार दबाव पड़ता रहा और राज्य के सभी केन्द्रों में अप्रैल, 1965 से जनवरी, 1966 तक उपभोक्ता मूल्यों के सूचक-अंक और थोक मूल्यों के सूचक-अंक बढ़ते रहे। लेकिन फरवरी में ये कुछ नीचे आ गये हैं।

7. कठिनाइयों के बावजूद, राज्य के विकास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार, दोनों द्वारा जोरदार प्रयत्न किये गये। राज्य सरकार ने आयोजना के जिन कार्यक्रमों को शुरू कर रखा है उनकी आवश्यकताओं का भारत सरकार द्वारा वर्ष के दौरान नये सिरे से हिसाब लगाया गया और उत्पादनकारी क्षेत्रों, विशेषत: बिजली, सिंचाई, उद्योग-धन्धों, मीन-क्षेत्रों (फिशरीज़), सिंचाई के छोटे कार्यों, भूसंरक्षण (स्वाएल कंजरवेशन) और वनों सम्बन्धी योजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए 5.9 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम दी गयी। कृषि, मुर्गीपालन, सूअर-पालन और मीन-क्षेत्र सम्बन्धी विशेष विकास कार्यक्रमों के लिए निर्धारित रकम और चौथी आयोजना की योजनाओं के सम्बन्ध में अग्रिम कार्य करने के लिए निर्धारित रकम को हिसाब में लेने पर, चालू वर्ष के आयोजना-व्यय का संशोधित अनुमान, बजट अनुमान से लगभग 8 करोड़ रुपया अधिक है। इसके परिणामस्वरूप

[श्री शचीन्द्र चौधरी]

राज्य का तीसरी आयोजना का परिव्यय (आउट-ले) 180 करोड़ रुपया होगा, जबकि मूल व्यवस्था 170 करोड़ रुपय की थी। इसमें से लगभग एक-तिहाई खर्च बिजली सम्बन्धी कार्यक्रमों पर हुआ है। शोलायार प्रायोजना का एक एकक और सबरीगिरि प्रायोजना के दो एकक जल्दी ही चालू हो जायगे जिससे मौजूदा स्थापित क्षमता 192.5 मेगावट से बढ़ कर 310.5 मेगावट हो जायगी। अगले कुछ महीनों में ये दोनों प्रायोजनाएं पूरी तरह से चालू हो जायेगी और राज्य की स्थापित क्षमता 546.5 मेगावट हो जायगी, जो उसकी मौजूदा क्षमता से लगभग तिगुनी होगी।

8. राज्य ने दूसरे क्षेत्रों में भी खासी प्रगति की है। विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है उसका ब्योरा आयोजना-कार्यक्रम सम्बन्धी पुस्तिका में दिया गया है, जो बजट-पत्रों के साथ पेश की गयी है।

9. अब मैं बजट सम्बन्धी स्थिति बताता हूं। चालू वर्ष के बजट में सब मिलाकर 82 लाख रुपये के घाटे का अनुमान था। उसके बाद, राज्य सरकार को सरकारी कर्मचारियों और सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के भत्तों में 1 अक्टूबर, 1965 से परिवर्तन करना पड़ा। इसके अलावा, बाजार से केवल 4 करोड़ रुपये का ही ऋण लिया जा सका, जबकि बजट पेश करते समय बाजार से 5 करोड़ रुपये का ऋण लेने का कार्यक्रम था। वर्ष के दौरान, आयोजना के लिए निर्धारित रकमों में भी वृद्धि की गयी और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी गयी। इसके अलावा, केरल सरकार को, पिछले वर्ष प्राप्त अनाज के लिए चालू वर्ष में काफी बड़ी रकमों की अदायगी करनी पड़ी। इन बातों के कारण बजट सम्बन्धी स्थिति खराब हो गयी थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा किफायतसारी के लिए किये गये उपायों से और कुछ शीर्षकों, जैसे राज्य उत्पादन-शुल्क, वन और सामान तथा यात्रियों पर कर के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियां होने की संभावना से, यह कुछ हद तक सुधर गयी। भारत सरकार ने भी, राज्य की बजट सम्बन्धी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राज्य को 6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण देने का फैसला किया है। परिणामतः चालू वर्ष के अन्त में जमा से अधिक कोई ऐसी रकम नहीं निकालनी पड़ेगी जिसकी पूर्ति न की जा सके।

10. अगले वर्ष के बजट में, करों के मौजूदा स्तर पर, 103.1 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 20.7 करोड़ रुपये अधिक है। इस सम्बन्ध में, यह स्मरणीय है कि चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जिस रूप में वे भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गयी हैं, राज्य सरकार को 1966–67 से शुरू होने वाली पांच वर्ष की अवधि में प्रति वर्ष 20.82 करोड़ रुपये का सहायक अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है, जबकि अभी 6.25 करोड़ रुपये का सहायक अनुदान पाने का अधिकार है। केन्द्रीय करों और शुल्कों के अन्तरण के ढांचे में भी काफी सुधार हुआ है, और अनुमान है कि अगले वर्ष राज्य के हिस्से 13.9 करोड़ रुपया आयेगा, जबकि चालू वर्ष का हिस्सा 11.8 करोड़ रुपया ही था। सबरीगिरि और शोलायार पनबिजली प्रायोजनाओं के चालू हो जाने से राज्य में बिजली के उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। इससे, और अक्टूबर 1965 से बिजली पर लगने वाले शुल्क की दरें बढ़ायी जाने से, राज्य के बिजली बोर्ड के साधनों में वृद्धि हो जायगी और फलतः राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों का ब्याज चुकाने की उसकी क्षमता भी बढ़ जायगी। इसलिए, बजट में, बोर्ड से प्राप्त होने वाले ब्याज के रूप में 4.9 करोड़ रुपये की रकम जमा कर ली गयी है।

11. अगले वर्ष का राजस्व खाते का व्यय 99.3 करोड़ रुपया आंका गया है ; यह रकम चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 15.8 करोड़ रुपया अधिक है। इस वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं—संशोधित दरों से भत्ते देने के लिए की गयी पूरे वर्ष की व्यवस्था; वेतनमानों का सामान्य संशोधन जिसे 1 जनवरी 1966 से लागू करने का विचार है, ऋण सम्बन्धी बढ़ा हुआ व्यय और तीसरी पंचवर्षीय आयोजनाओं की पूरी की गयी योजनाओं के कारण किया जाने वाला वचनबद्ध व्यय। सारांश यह कि राजस्व खाते में अगले वर्ष 3.8 करोड़ रुपये का अधिशेष (सरप्लस) रहेगा जबकि चालू वर्ष में 1.1 करोड़ रुपये का घाटा है।

12. अगले वर्ष का पूंजी परिव्यय 11.0 करोड़ रुपया आंका गया है, जबकि चालू वर्ष का पूंजी परिव्यय 16.8 करोड़ रुपया है। इस कमी का मुख्य कारण वह वसूली है जो चालू वर्ष के प्रारम्भ में स्थापित किये गये केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन) को अन्तरित की गई भूतपूर्व परिवहन विभाग की परिसम्पत्ति के मूल्य को समायोजित करने के लिए बजट अनुमानों में दिखायी गयी है। राज्य सरकार द्वारा अगले वर्ष दिये जाने वाले ऋणों और अग्रिमों की वास्तविक रकम 20.0 करोड़ रुपया आंकी गयी है, जबकि चालू वर्ष की रकम 18.6 करोड़ रुपया है। यह वृद्धि, परिवहन विभाग की परिसम्पत्ति के मूल्य को नये स्थापित किये गये निगम को दिये जाने वाले ऋण के रूप में समायोजित करने के लिए 1966–67 के अनुमानों में की गयी व्यवस्था के कारण हुई है।

13. अगले वर्ष के अनुमानों में राज्य की आयोजना के सम्बन्ध में खर्च करने के लिए 41.8 करोड़ रुपये की रकम की व्यवस्था की गयी है। इसमें उन सड़क परिवहन योजनाओं के खर्च के लिए 1 करोड़ रुपये की रकम शामिल है जिनकी वित्त-व्यवस्था केरल राज्य सड़क परिवहन निगम अपने साधनों से करेगा। इस आयोजना के लिये केन्द्र द्वारा 28.3 करोड़ रुपये की सहायता दी जायेगी और बाकी रकम केरल राज्य अपने साधनों से पूरी करेगा। आयोजना में मीनक्षेत्रों समेत कृषि क्षेत्र पर तथा उन प्रायोजनाओं के तेजी से चलाये जाने पर ज्यादा जोर दिया गया है, जो दूसरे क्षेत्रों में चल रही हैं। कृषि क्षेत्र में, जिसमें सिंचाई के मध्यम पैमाने के काम, सहकारिता और सामुदायिक विकास शामिल है, 14.7 करोड़ रुपया खर्च होगा। और बिजली पर 15 करोड़ रुपया। अन्य सभी क्षेत्रों में कुल मिलाकर 12.1 करोड़ रुपया खर्च होगा। अगले वर्ष के अनुमानों में केन्द्र द्वारा समर्थित योजनाओं के परिव्यय के लिए 9.23 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी शामिल है; इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 9.03 करोड़ रुपया होगी। इन का ब्योरा आयोजना-कायक्रम सम्बन्धी पुस्तिका में दिया गया है।

14. अब अगले वर्ष की बजट-सम्बन्धी स्थिति का सारांश बताता हूं। राजस्व बजट में, करों के वर्तमान स्तर पर, 3.8 करोड़ रुपये का अधिशेष दिखलाया गया है। पूंजी-परिव्यय 11.0 करोड़ रुपया आंका गया है तथा ऋणों और अग्रिमों की रकम 20.0 करोड़ रुपया आंकी गयी है। अगले वर्ष ऋण-परिशोध के लिए 10.9 करोड रुपया रखा गया है। 41.9 करोड़ रुपये का वास्तविक भुगतान, 3.8 करोड़ रुपये के राजस्व-अधिशेष के अलावा, केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले 29.6 करोड़ रुपये के ऋणों से, 4 करोड़ रुपये के बाजार ऋणों से, छोटी बचतों के संग्रह में से राज्य के 2 करोड़ रुपये के हिस्से से तथा विविध ऋण और जमा शीर्षकों के अन्तर्गत होनेवाली 1.6 करोड़ रुपये की प्राप्तियों से किया जायगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 94 लाख रुपये की कमी रह जायेगी।

15. इस कमी की आंशिक पूर्ति माल पर दिये गये उत्पादन-शुल्क के लिए बिक्री कर नियमों द्वारा माल की बिक्री का हिसाब लगाते समय की जाने वाली कटौती को समाप्त करके की जायेगी। सभी दक्षिणी राज्यों के परस्पर-सम्मत निर्णय के आधार पर, नियमों में आवश्यक संशोधन पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है। बिक्री कर की दरों को युक्तिसंगत आधार पर लाने और कुछ मदों के मुद्रांक-शल्क (स्टैम्प ड्यूटी) और अदालती फीस में संशोधन करने के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है।

रेलवे आयव्ययक, 1966-67—सामान्य चर्चा

RAILWAY BUDGET, 1966-67—GENERAL DISCUSSION

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अ० त्रि० शर्मा अपना भाषण जारी कर सकते हैं।

श्री अ० त्रि० शर्मा (छतरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में बहुत कम रेलवे लाइन है। हम चाहते है कि वहां कुछ लाइन बिछाई जावें।

[श्री अ० त्रि० शर्मा]

परादीप बन्दरगाह जो कि अब केन्द्र के अधीन है किसी रेलवे से नहीं मिली हुई है। एक रेलवे लाइन कटक से परादीप तक होनी चाहिये दूसरी घरसगुडा से परादीप और अन्य उसे स्थानों से मिलाती हुई होनी चाहिये।

एक चौथाई भाग तो आदिवासियों का है और वह सारा पहाड़ी क्षेत्र है। वहां के लोग अब भी नंगे घूमते रहते हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे लाइन होनी चाहिये। वैसे वहां सर्वेक्षण भी हो चुका परन्तु लाइन अब तक नहीं लगी। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

हमारे राज्य में बहुत खनिज पदार्थ हैं परन्तु यातायात के न होने के कारण सब बेकार है। दूसरी ओर हमारे राज्य में जनता को यातायात के कारण बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। हावड़ा से कटक जाना हो तो लगभग नौ घंटे लगते हैं।

इसके अतिरिक्त एक और कठिनाई जो हावड़ा पर आने वाले यात्रियों को उठानी पड़ती है वह यह है कि जो यात्री बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली से हावड़ा पहुंचते हैं उन्हें उड़ीसा के लिये गाड़ी लेने के लिये आठ आठ घंटे तक इन्तजार करना पड़ता है। मेरी समझ में नहीं आता कि ठीक इन्तजाम क्यों नहीं किया जाता। और हो और हमारे राज्य में जो गाड़ियां जाती हैं उन की कमी होती है जैसे कि एक गाड़ी वाल्टेयर से कटक जाती थी, वह समाप्त कर दी गई है। ऐसे ही वाल्टेयर से खुर्दा रोड की गाड़ी समाप्त कर दी है। इन गाड़ियों में खाने का सामान मिलने की भी कठिनाई है। मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि रेलवे प्रशासन में कोई संस्था है जो उड़ीसा के हितों के विरुद्ध कार्य कर रही है। एक बार रविवार को जब मैं इन एक्सप्रस से यात्रा कर रहा था तो एक कर्मचारी ने मुझे स खाने का हुकूम ले लिया परन्तु मुझे खाना नहीं दिया। मैं यह यात्रा यहां संसद् के अधिवेशन में भाग लेने के लिये 14 फरवरी 1966 को कर रहा था।

एक और दुःख:की बात जो रेलवे के अन्दर हो रही है वह है वहां चोरियों का होना। मैं हावड़ा रेलवे स्टशन पर पहुचा और वहां स्नान किया तथा खाना खाया। इतने में मेरा थैला चुरा लिया गया। मैं ने इसकी सूचना भी पुलिस को दे दी है परन्दु अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। मैं रेलवे मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं ताकि वह कुछ कार्रवाई करें।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मुझे दुःख है कि जो सदस्य महोदय मुझ से पहले बोले उन्हें रेलवे में यात्रा करते समय बड़ी कठिनाई उठानी पड़ीं। जो बात उन्होंने कही हैं हम उनका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे।

एक बात तो मैं यह कह दूं कि हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है कि उड़ीसा के बारे में हम लापरवाही कर रहे हैं। दूसरी बात सदस्य महोदय ने यह कही कि उड़ीसा से कुछ रेलें हम ने हटा ली हैं। मैं यहां कहना चाहता हूं कि अब हम वहां तीन जोड़ी रेलें और चलाने जा रहे हैं। इस लिये जो यात्री उड़ीसा देखना चाहते हैं वह उसे देख सकेंगे।

साथ ही हम बंगाल, बिहार उड़ीसा, मध्यप्रदेश के उस क्षेत्र को भी उन्नत कर रहे हैं जहां लोहे के कारखाने लग रहे हैं।

इस समय रेले हमें लाभ पहुंचा रही हैं। 1960–61 में इन से आय थी केवल 88 करोड़ रूपया थी परन्तु 1966–67 में यह 156 करोड़ रूपया पर पहुंच जावेगी। इसलिये इस से 1960–61 के लाभ से दो गुना लाभ हो जावेगा। इसकी आय के साथ साथ रेलवे की क्षमता भी बढ़ गई है। इसी कारण रेलवे ने आपात काल में इतना अच्छा कार्य किया। श्री शिवचरण माथुर ने पूछा कि उन लोगों को क्या दिया जिन्हों ने आपात काल में अपना जीवन दे दिया। मेरा उत्तर यह है कि रेलवे से 20 व्यक्ति उस समय वीरगति को प्राप्त हुए। हमने उन्हें उनके दूसरे भुगतानों के अतिरिक्त 500 रूपया प्रति व्यक्ति

उपदान के रूप में तथा 1000 रूपया प्रति व्यक्ति रेलवे मंत्री कल्याण और सहायता निधि से दिया। इसके अतिरिक्त उन्हें पूरी पेंशन दी। यह सब उसके अतिरिक्त है जो उन्हें परिवार के पैसे के रूप में मिले थे। उनकी जो विधवाएं आदि थीं हमने उन्हें भी रोजगार दिया है। उनके बच्चों को शिक्षा का प्रबंध किया जावेगा।

यात्रियों की संख्या भी जो इस वर्ष पूर्व थी इस से दुगुनी हो गई है। ऐसे ही किराये का माल भी पहले से दुगुने से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष 304 नयी रेले चालू की गई थीं। 1965-66 में हमने 175 नयी रेल गाड़ियां चालू की। अब उनके चलने के समय में भी कमी की जा रही है। साथ ही हम समय की पाबन्दी पर भी ध्यान दे रहे हैं। गाड़ियों की टक्करों में भी कमी हो गई हैं। 1960-61 में यह 2121 थी परन्तु 1964-65 में यह केवल 1349 रह गई। गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं में भी कमी हो रही हैं। अभी हाल ही में कुम्भ पर मेला हुआ था। और हमने उस जिम्मेदारी को अच्छी प्रकार से निभाया। हमारे लिये वह एक चुनौती थी जिसे हमने भली भान्ति निभाया।

आसाम की ओर भी सब को डर था कि वहां खाद्यान्न, लड़ाई का सामान तथा दूसरी चीज़ें कैसे पहुंचाई जावेंगी। परन्तु हमारे रेल कर्मचारियों के कारण, जिन में अधिकतर तीसरी तथा चौथी श्रेणी के और बड़े तथा दरम्याने दर्जे के अधिकारी हैं, इस कार्य को बिना अधिक कठिनाई के कर लिया गया।

इस बारे में, मनीपुर, नागालैंड और नेफा में सम्भरण समयपर न होने के बारे में कोई शिकायत नहीं है। मैं इसके लिए इस क्षेत्र के रेलवे कर्मचारियों की श्लाघा करता हूँ। वैसे मैं सदन का सहयोग इस मामले पर लेना चाहूंगा, क्योंकि रेलवे के साधन बहुत ही कम है। देश की स्वतन्त्रता कायम रहे इस दिशा में हमारा कर्तव्य सब से उंचा होना चाहिये। हमें इस बात पर भी विचार करना है कि किस प्रकार हम इस देश में रेलवे का और अधिक विस्तार कर सकते है। हमारी सीमाओं पर भी रेलवे का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए। हमें इस बात का पूरा अध्ययन करना होगा कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से किस स्थान पर रेलवे की अधिक आवश्यकता है और उसकी व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए। कहा गया है कि रेलवे की आय का लगभग 10 प्रतिशत स्टाफ पर खर्च हो जाता है और रेलवे जैसा कि कहा गया था 12 प्रतिशत नफा नहीं निकाल रहीं। परन्तु इस संदर्भ में हमें यह बात याद रखनी होगी कि देश की स्वतन्त्रता सब से बड़ी चीज है। आज विज्ञान ने ऐसी चीजें बना दी है कि सुरक्षा की दृष्टि से किलों इत्यादि का महत्व कम हो गया है। परन्तु सुरक्षा की दृष्टिसे रेलवे से जो कुछ हो सकता है वह किया गया है। इसी दृष्टि से सारी बात को देखा जाना चाहिए। मनीपुर सिलचर को मिलाने वाली रेल का भी उल्लेख किया गया है। इस पर 3 करोड़ रुपये खर्च आने की सम्भावना है। सिलचर से जीरभूम तक मिलाने को 25 करोड़ का अन्य खर्चा होगा। जीरभूम से अजल तक और 25 करोड़ खर्च हो जाने की सम्भावना है। इसलिए हमने नफे का ध्यान न रखते हुए देश की सुरक्षा का ध्यान रखा है। जम्मू वाली रेल कठूहें तक चली गयी है। वहां रेलवे स्टेशनों पर समुचित सुविधाओं की व्यवस्था हो जायेगी जम्मू तक के लिए भी व्यवस्था की जायेगी, प्रयास किया जायगा कि इससे आगे चला जाय। रेलवे लाइनों के आस पास जंगलों को साफ करके वहां लोगों को बसाने के मामलें पर भी विचार किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह बहुत जरूरी है।

पोकरण-जैसलमेर लाइन का काम भी आरम्भ किया जाने वाला है। छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का काम भी चालू किया जा रहा है। इस पर 1000 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा। यह भी अनुमान है कि इस खर्च के तीन गुना और बढ़ जाने की सम्भावना है। इस मामलें में हालात का पूरा परीक्षण करके प्राथमिकता का फैसला किया जाता है। जयपुर वाले सुझाव पर पूरी तरह विचार किया जायेगा। हसन-मंगलौर रेलवे का कार्य भी आरम्भ किया जा रहा है। मै इतना कह सकता हूं कि रेलवे के कार्य में काफी सुधार हुआ है।

[डा० राम सुभग सिंह]

डा० रानेन सेन तथा श्री बनर्जी ने रेलवे कर्मचारियों की कठिनाइयों के बारे में कहा है। उनका विचार है कि बिजली और तेल से गाडियां चलने लगी तो बहुत से कर्मचारी बेकार हो जायेंगे। ऐसा नहीं होने दिया जायेगा। उन लोगों को प्रशिक्षण देकर अन्य स्थानों पर लगा दिया जायगा। हम इस बात का पूरा प्रयत्न करेंगे कि प्रयोजना पर जो अन्य लोग भी लगे हुए हैं उनकी भी दूसरी जगह व्यवस्था कर दी जाये। हमने यह आदेश जारी कर दिये हैं कि रेलवे इंजनों और गाडियों पर जो कुछ भी लिखा जाता है वह हिन्दी में लिखा जाया करे। साथ साथ अंग्रेजी में भी लिखा जा सकता है। गाडियों पर रेलवे का दर्जा भी हिन्दी में लिखा जाया करेगा। इसी संदर्भ में मेरा यह भी निवेदन है कि दरवाह-पूसद रेलवे लाइन जो कि केन्द्रीय रेलवे पर है और जिसे छोड़ दिया गया था उसे पुनः लिया जायगा। यह 44 मिल की रेलवे लाइन है। इसी प्रकार हावड़ा-क्यूल रेलवे को भी दोहरा बनाया जा रहा है। वैसे वह पहले भी दोहरे रूप में ही चल रही है। उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ; ताकि बढ़ रहे यातायात का प्रबन्ध किया जा सके। चौथी योजना के अन्तर्गत सेनथिया और बरहारवा के बीच भी दोहरी रेलवे लाइन बनाने का कार्य किया जा रहा है। आशा यह है कि यह कार्य जून के मध्य में पूरा हो जायेगा।

नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में भी निर्णय कर लिया गया है। 1951-52 के न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत जो नियम बनाय गये थे उनको छोड़ दिया गया है। उनके अनुसार कम मजदूरी देने की व्यवस्था थी, अब डेढ़ रुपये से कम किसी भी मजदूर को नहीं दिया जायगा। वैसे भी मजदूरी बाजार दर के अनुसार ही दी जाया करेगी। जहां मजदूरी का दर ज्यादा था हम ने वहां ज्यादा ही दिया है। इसी प्रकार श्री प्रिय गुप्त ने कहा है कि रेलवे ने ठीक प्रकार से डाक्टरी सुविधाओं का प्रबन्ध नहीं किया है। इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि ऐसी बात नहीं है। रेलवे के पास इस समय 87 अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में 7892 पलंग हैं। इसके अतिरिक्त 1061 पलंग ऐसे हैं जो कि कई एक गम्भीर रोगों के लिये स्वास्थ्यशालाओं में सुरक्षित रख जाते हैं। औसत यह है कि एक हजार रेलवे कर्मचारियों के लिये 0.58 बिस्तर फैलता है। कुल मिला कर सारी भारतीय रेलों पर 2121 डाक्टर हैं। सभी प्रकार के रेलवे कर्मचारियों को अच्छी से अच्छी डाक्टरी सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। लगभग 9 सौ डाक्टरों को रेलवे के अन्तर्गत राजपत्रिक अधिकारी बना दिया गया है। उनके वेतन और भत्ते भी काफ़ी बढ़ा दिये गये हैं। इस पर भी कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जिन्हें कई कारणों से डाक्टरी सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं होता। उनसे हमें बड़ी सहानुभूति है।

यह सुझाव दिया गया है कि रेलवे को अपने कारखानों के पास जमीन खरीद कर रेलवे कर्मचारियों को क्वार्टर बनाने के लिये सस्ती भूमि देनी चाहिये। इस बारे में मेरा निवेदन है कि वतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि कारखानों के आसपास भूमि अर्जित करके रेलवे कर्मचारियों को दी जाय। इस मतलब के लिये कोई सहकारी संस्था का निर्माण किया जाना चाहिये। हम इस मामले में कर्मचारियों की पूरी सहायता करने के लिये तत्पर हैं। इस बारे में आवास सहकारिताओं को सामने आना चाहिये। जगन्नाथ दास वेतन आयोग इस विचार का था कि रेलवे कर्मचारियों को रात्रि को कार्य करने के लिये भत्ता दिया जाये। इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, तुरन्त यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जायेगा जिनको निरन्तर रात्रि को कार्य करना पड़ता है। जहां तक कर्मचारियों के तबादले करने का प्रश्न है उसको रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है। परन्तु हम इस दिशा में पूर्ण जागरूक हैं। हम यह नहीं चाहते कि इस मामले में किसी को अनुचित कठिनाई का सामना करना पड़े।

काफी व्यापक आधार पर लेखापाल सेवा से जो लोग तबदील किये जा रहे हैं उनका भी उल्लेख किया गया है। बागान अनुसंधान के मामले में भी शिकायतें रखी गई हैं। हम इन सारी बातों का परीक्षण करेंगे और इस दिशा में समुचित कार्यवाही की जायगी। बहुत सी ऐसी रिपोर्टें

उपलब्ध हुई है कि छोटी रेलें नफे में नहीं चल रहीं। मेरा निवेदन है कि ये रेलें बड़ी घनी आबादी वाले येत्रों में चल रही है। उन क्षेत्रों में जो कि काफी उत्पादन वाला क्षेत्र है, कृषि की दृष्टि से ये रेलें बहुत ही लाभदायिक रही ह। इस मामले में हम बड़ी गम्भीरता से स्थिति का अध्ययन कर रहें हैं। और इस बारे में शीघ्र ही कोई कार्यवाही की जायेगी। इस मामले में स्थानीय रेलवे प्राधिकारियों द्वारा भी विचार किया जायेगा।

यह भी मांग की गयी है कि रेलवे में रोजगार के अवसरों की व्यवस्था की जाय। यह बड़ा कठिन प्रश्न है सुझाव दिया गया है कि अलग से एक रेलवे लोकसेवा आयोग की स्थापना की जाय। इस बारे में निश्चित रूप में कोई फैसला करने की जरूरत है ताकि घनी आबादी में रहने वाले लोगों के हितों के बारे में कोई निर्णय किया जा सके। इस बारे में नीति यह रही है कि संघों को अभी न लिया जाय क्योंकि इन क्षेत्रों में कर्मचारी परिषदें बड़े संतोषजनक ढंग से काम करती बतायी जाती हैं। मुझे इस बात का हर्ष है कि हमारे उत्पादन एकक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वे इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे रेलवे बहुत सीमा तक आत्म निर्भर बन जाय। यह ठीक है कि अभी तक जो हमारे 18 तरह के ड़ीजल इंजन काम कर रहे है वे विदेशों से आयात किये गये पुर्जों से बनाये जाते रहे है। इस बात की पूरी आशा है कि 1970 तक हम सारे पुर्जे देश में ही बनाने लग जायेंगे।

हमें इस बात का अभिमान है कि हमारे उत्पादन एककों ने आपात में बहुत शानदार काम किया है। इस काल में सामान्य रेलवे कर्मचारियों का कार्य भी बहुत गौरवपूर्ण रहा है। सभी ने देश की समस्या को हल करने में अपना पूरा अंशदान दिया है। हमें यह आशा करनी चाहिये कि रेलवे का कार्य निरन्तर अच्छा होता जायेगा। और वह राष्ट्र की सेवा ठोस आधार पर करने में समर्थ हो सकेगी।

श्री राजाराम (कृष्णगिरि) : रेलवे का 1966-67 का बजट हमारे सामने है। इस बार यात्री भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गयी। मेरे विचार में सारी तीसरी पंच वर्षीय योजना के काल में कोई भी ऐसा वर्ष नहीं रहा जब कि रेल भाड़े में वृद्धि न हुई हो। सब से बाद की जो 3 प्रतिशत की वृद्धि है इस अधिभार से उत्पादन व्यय में भी वृद्धि हो जायेगी। इस अधिभार से दक्षिण घाटे में रहेगा। कोयला तो प्रायः उत्तर से ही आता है। हमें लोहे और इस्पात के भी अधिक दाम देने पड़ते है। क्योंकि दक्षिण में कोई इस्पात उद्योग ही नहीं है। यदि कोयले पर आयकर लगा दिया तो कोयले का दाम और बढ़ जायेगा। नमक को तो अब तक भी हम स्वाधीनता का प्रतीक मानते आये हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री को नमक पर से अधिभार हटा देना चाहिए। रेलवे बोर्ड ने यात्री सुविधाओं के लिए चार करोड़ रुपया अलाट किया है, परन्तु इस दिशा में कुछ भी हुआ नहीं। सेलम के लोगों ने तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में शौचालयों के बनाने के लिए रेलव बोर्ड को कहा है। इस पर रेलवे बोर्ड ने कहा कि ऐसा किया जा रहा है, परन्तु कुछ हुआ नहीं है। कितने खेद की बात है कि रेलवे मंत्रालय का यह हाल है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVAEE MEMBETS' BILLS AND RESOLUTIONS

उन्नासीवाँ प्रतिवेदन

Seventy-ninth Report

श्री म० ला० द्विवेदी : (हमीरपुर) मैं प्रस्ताव कहता हूँ :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पोंसम्बन्धी समिति के 79 वें प्रतिवेदन से, जो 2 मार्च, 1966, को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 79 वें प्रतिवेदन से, जो 2 मार्च, 1966, को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

उद्जनित वनस्पति तेलों के उत्पादन तथा आयात का निषेध विधेयक—पुरःस्थापित

PROHIBITION OF MANUFACTURE AND IMPORT OF HYDROGENATED VEGETABLE OILS BILL—INTRODUCED

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for prohibition of manufacture and import of hydrogenated Vegetable oils in India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि उद्जनित वनस्पति तेलों के उत्पादन तथा आयात का निषेध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

Shri Yashpal Singh : I introduce the Bill.

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा 92 का संशोधन) वापस लिया गया (श्री दी. चं. शर्मा का)

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 92) by Shri D. C. Sharma—withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री दी० चं० शर्मा द्वारा 17 फरवरी 1966 को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे अर्थात् :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री दी० चं० शर्मा (गुरूदासपुर) : यह बड़ा सरल विधेयक है, इसे मैं इसलिये प्रस्तुत कर रहा हूँ कि धार्मिक न्यासों की पवित्रता को कायम रखा जा सके।

[**श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुये**
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair.*]

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं है, उसका प्रभाव काफी दूर तक सामाजिक होने वाला है। पूजा का जो भी स्थान होगा चाहे किसी भी वर्ग का हो उसमें लोगों की रूचि होती है। जहां पर यह स्थान होता है, वहां पर रहने वालों को भी इसमें रूचि होती है।

इसमें जो 'हित' शब्द है, उसकी व्याख्या ठीक तरह से नहीं की गयी। इस विधेयक में उपबन्ध है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 में 'हित रखने' शब्दों के स्थान पर 'हिताधिकारी होना' शब्द रख दिय जाय। यह बात काफी खेदजनक है कि मामला काफी अस्पष्ठ है। इससे लोग अनुचित लाभ उठाते रहे हैं। 'हित' का अर्थ प्रत्यक्ष हित नहीं है। मै इस बात को स्वीकार करता हूं कि प्रत्यक्ष हित का अर्थ होगा कि केवल उन लोगों का ही हित है जो किसी विशेष स्थान के संरक्षक है, परन्तु अप्रत्यक्ष हित का अर्थ है कि यह उन लोगों पर लागू होता है जिनका एक स्थान में व्यापक रूप से हित है।

मै माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत हित रखने वाले व्यक्ति तथाकथित विश्वासघात के मामलों में मुकदमा चलाने के लिये 'एडवोकेट जनरल' की अनुमति प्राप्त कर सकते है। ऐसी अनुमति प्राप्त करके कुछ न्यासी इस्तीफा दे देते है और पहले से चल रहे मुकदमें को निष्प्रभावी करने के लिये नये न्यासियों की नियुक्ति की जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य धारा 92 की व्याप्ति को व्यापक करना है ताकि कोई भी व्यक्ति जो हिताधिकारी हो या जिसका न्यास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर सके और नये न्यासियों के विरूद्ध फिर से अनुमति न लेनी पड़े।

हम चाहते है कि न्यास जनता के हित में कार्य करे। जब तक धारा 92 को व्यापक नहीं बनाया जाता तब तक यह नहीं हो सकता। न्यास का सामयिक संशोधन बहुत आवश्यक है। मुझे आशा है कि विधि मंत्री मेरे इस विधेयक का स्वागत करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : जिस रूप में यह विधयक प्रस्तुत किया गया है, उससे बात समझ में आती है। प्रस्तावक महोदय का उद्देश्य यह है कि जटिल मामलें सरल हों और सामान्य व्यक्ति ठीक ढंग से रह सके। कानून सम्बन्धी मामलों पर परामर्श देने वाले भी मामलों को जटिल बना देते है। उन्होंने सभा के समक्ष यह बात भी रखी है कि उपधारा (1) के अन्तर्गत जो सहमति दी जाय वह सहमति देने के बाद जो नया न्यासधारी नियुक्त हो उसकी भी सहमति समझी जायगी। इस समय इस धारा में यह कमी है, कुछ कानूनी अडचनों के कारण कई लोग साफ बच निकलते है, जिन पर कि विश्वासघात का आरोप होता है। दुबारा सहमति प्राप्त करने में कठिनाई पड़ती है और समय लगता है।

अत: त्याग पत्र के कारण अथवा किसी अन्य प्रकार से न्यासधारियों को बदलने पर पहले दी गयी सहमति रद्द नहीं समझी जानी चाहिये। वह सहमति एक स्थायी महत्व की समझी जानी चाहियें। इन शब्दों से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur) : The Bill presented by Shri D. C. Sharma is very clear. It has been stated in the Statement of objects and reasons. According to the new provision and only those persons will take some action who are interested in the trusts. No action can be taken against the new trustees. Anybody can come in the field. Arrangement has been made that if the new trustees intend to do anything undesirable they simply cannot do it.

This is a very simple Bill and that also is in the public interest. The Minister should have no hesitation in accepting this. I well-come this Bill and hope that it will remove some legal difficulties.

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मैं इस विधयक के लक्ष्य का स्वागत करता हूं। इससे गलत प्रकार की मकदमेंबाजी से बचा जा सकता है। यदि किसी न्यास की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल रही तो वहा अधिवक्ता की अनुमति से कायवाही की जा सकती है। मेरे विचार में

[डा० मा० श्री० अणे]

एकदम नये न्यासधारियों के विरूद्ध कार्यवाही करना तो ठीक नहीं। मेरे विचार में इस विधेयक पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। अतः मेरा निवदन है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाय, ताकि इस पर सविस्तार विचार हो सके।

श्री वारियर (त्रिचूर) : मेरा सुझाव है, अमीर आदमी पैसा बचाने के लिये बहुत कुछ करते हैं। कोई लाभ उठाने वाला व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अदालत में नहीं जा सकता और अपनी की हुई शरारत से बच नहीं सकता।

श्री हिम्मतसिंहका (गौंडा) : यह धारा बहुत ही व्यापक है। मेरे विचार में किसी भी शरारत का उपचार करने के लिये अदालत में जाने के राह में कोई रूकावट नहीं हैं। गलत चल रहे प्रशासन को तो किसी भी समय रोका जा सकता है।

श्री शर्मा का सुझाव है कि नया न्यासधारी भी नियुक्त हो जाय, तो तब भी कार्यवाही की जा सकती है। मेरे विचार में नयी अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। महा अधिवक्ता को बहुत बातों के लिये अनुमति देने को कहा जाता है। प्रश्न तो न्यासधारियों को हटाने का है। न्यास ठीक प्रकार भी चल रहा हो तो ऐसा किया जा सकता है।

मेरा विचार तो यह है कि आज जो धारा है, उसे लेकर कोई कठिन ई दिखाई देती नहीं। मुझे अपने अनुभव के आधार पर यह पता है कि बहुत से ऐसे लोगों से मुकदमें करवा दिये जाते हैं जिनका मामलों के साथ न प्रत्यक्ष का कोई सम्बन्ध होता हैं और प्रत्यक्ष का। मेरा विचार है कि इस तरह से कोई लाभ नहीं होगा और कानून में कुछ सुधार होने की भी कोई सम्भावना नहीं। मेरे विचार में वर्तमान व्यवस्था ठीक काम कर रही है और इस विधेयक की कोई आवश्कता नहीं है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : श्री शर्मा सबसे अधिक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत करते है और अपने अध्ययन और साधनों से सभा में विभिन्न प्रकार की जानकारी देते रहते हैं। परन्तु मैं पूर्ववक्ता से सहमत हूं कि जैसा कि कानून आज हैं अर्थात धारा 92 ठीक ही है। मुकदमेंबाजी तो चलती ही आयी है और चलती रहेगी। वैसे जो न्यासधारी रहे ही नहीं उन पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी भी नहीं आती। मेरा विचार यह है कि प्रक्रिया संहिता की धारा 92 को लागू करने की दिशा में कोई व्यवहारिक कठिनाई प्रस्तुत नहीं हुई है।

न्यायालयों द्वारा 'हित' की व्याख्या काफी व्यापक रूप से की जाती है। यह माना गया है कि हिताधिकारी एक बद्धहित व्यक्ति था और वह कार्यवाही कर सकता था। अतः मेरा मत यह है कि धारा 92 को पुनः बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विपरित मेरे विचार में यह शायद सम्भव हो कि झूठी मुकदमबाजी को प्रोत्साहन मिलता रहे। मेरा निवदन है कि सरकार को विधेयक के खंड (2) और उपखंड (1) के अन्तर्गत जो संशोधन है उसकी जटिलताओं का अध्ययन करना चाहिये। मामलें पर पूरी तरह से विचार करने के पश्चात यदि सरकार यह समझे कि वर्तमान व्यवस्था से कानून को कार्यान्वित करने की दिशा में कोई बाधा होती है तो यह सरकार का काम है कि धारा 92 में संशोधन करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करे। मेरे विचार में इस बारे में विधि आयोग ने किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सुझाव नहीं किया। फिर भी यदि विधि मंत्री चाहे तो विधि आयोग की सलाह भी ले सकते हैं।

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : विधि में रह गयी कमियों के बारे में श्री शर्मा का प्रयास सराहनीय है। उससे इस बात का पता चलता है कि हमारा संसदीय लोकतन्त्र कितना सजीव है। मैं महसूस करता हूं कि शर्मा की कई बातों में काफी वजन है। श्री सिंघवी का कहना भी ठीक है कि किसी न्यासधारी के मर जाने और चले जाने के कारण

कानून में तबदीली का कोई मतलब नहीं। लगता है कि विधि आयोग का इस ओर ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। अतः मैं श्री शर्मा को इस बात का आश्वासन देता हूं कि विधि आयोग के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करते हुए धारा 92 में उपधारा (1क) को शामिल करने के बारे में उनके सुझावों पर विचार किया जायगा। मुझे पूरी आशा है कि इससे श्री शर्मा को कुछ सन्तोष तो हो ही जायेगा। हम हिन्दू धर्मार्थ न्यास की रिपोर्ट पर भी विचार कर रहे हैं। इस दिशा में शीघ्र ही कानून अमली रूप धारण कर लेगा।

जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है, मेरे विचार में उसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मेरे आश्वासन पर माननीय सदस्य अपना विधेयक वापिस ले ले तो मैं उनका आभार मानूंगा।

श्री दी० चं० शर्मा : गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के साथ प्रायः यही व्यवहार होता है। किसी की हत्या आराम से कर दी जाती है और किसी की कुछ कठिनाई। मैं स्वीकार करता हूं कि श्री पट्टाभिरामन मेरे प्रति काफी मेहरबान रहे हैं।

इस सभा के बहुत से विधि विशेषज्ञों ने धारा 92(1-क) के महत्व को समझा है तथा विधि मंत्रालय में राज्यमंत्री ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 में संशोधन करने के लिये तथा इसे उस में सम्मिलित करने के लिये वह एक विधेयक पेश करेंगे। मुझे विश्वास है कि विधि मंत्रालय को मेरे विचारों से लाभ होगा।

"प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हितों" की व्याख्या को अनावश्यक रूप से तुल दिया गया है। मैं समझता हूं कि "अप्रत्यक्ष" शब्द के प्रयोग से न्यासों का प्रशासन अधिक सुचारु रूप से चलेगा, क्योंकि इस के फलस्वरूप न केवल किसी विशेष धर्म, समुदाय, संस्था अथवा स्थान के व्यक्ति ही न्यास के कुप्रशासन के बारे में न्यायालय में जा कर यह कह सकेंगे कि उस न्यास का प्रशासन सुचारुरूप से नहीं चल रहा है, अपितु हर धर्म, समुदाय अथवा स्थान के व्यक्तियों को यह अधिकार होगा कि वह न्यायालय में जा सके और न्यास के कुप्रबन्ध के बारे में कह सकें। अप्रत्यक्ष शब्द के प्रयोग से उन व्यक्तियों के अधिकारों में, जो किसी न्यास से प्रत्यक्ष रूप से संबन्धित नहीं है, परन्तु उस के सुप्रबन्ध के इच्छुक हैं, वृद्धि होगी।

इस विधेयक के संबंध में यह आपत्ति की गई है कि इस से अनर्थक मुकदमेबाजी बढ़ेगी। मैं कहना चाहता हूं कि संसार में कोई वस्तु भी ऐसी नहीं है जिसे अनर्थक न कहा जा सके। कई बार इस सभा के स्थगन प्रस्तावों को भी अनर्थक कहा जाता है। कुछ धर्मों में ऐसे विवाह होते हैं जिन्हें कुछ व्यक्ति अनर्थक समझते हैं। अतः अनर्थक शब्द का अर्थ इतना संभ्रांतिपूर्ण है कि इसे हर वस्तु पर लागू किया जा सकता है और इसे अनर्थक की संज्ञामें रखा जा सकता है। वास्तव में यह विधेयक अधिकतम लोगों की अधिकतम भलाई के लिये है। परन्तु कुछ माननीय सदस्य तथा विधि मंत्री इस बात से सहमत नहीं है कि यह विधेयक अधिकतम लोगों की अधिकतम भलाई के लिये है। वे यह अनभव करते है कि अधिकतम लोगों की भलाई उसी में है कि इस के कार्यक्षेत्र को सीमित व्याक्तियों तक रखा जाय। इस विधेयक के दो पैरे हैं ताकि यह अच्छी तरह खड़ा हो सके और सुचारू रूप से चल सके। परन्तु विधि मंत्री इस का एक पैर काटना चाहते है, जिसका फल यह होगा कि यह न तो ठीक प्रकार से खड़ा ही हो सकेगा और न ठीक प्रकार से चल ही सकेगा। फिर भी मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम इस का एक पैर तो बच जायेगा। मैं विधि मंत्री को उन की सहानुभूति के लिये धन्यवाद देता हूं तथा आशा करता हूं की नये विधेयक को पेश करते समय वह मेरे विचारों को ध्यान में रखेंगे।

माननीय मंत्री ने जिस प्रतिवेदन का उल्लेख किया है उस के संबंध में मैं कहूंगा कि वह प्रतिवेदन एक समझौते के रूप में है तथा समझौतों से ऐसे मामलों में कोई लाभ नहीं होता। माननीय मंत्री चाहते हैं कि यह विधेयक वापस लिया जाय। मैं यह विधेयक वापस लेता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि वापस लिये जाने के बाद भी यह विधेयक जीवित रहेगा तथा एक नये विधेयक के रूप में जन्म

[श्री दी० च० शर्मा]

लेगा, जैसा कि हिन्दू विश्वास करते हैं कि जीव अमर है तथा वह एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, परन्तु मरता कभी नहीं। मेरा भी यह विश्वास है कि यह विधेयक एक नया शरीर धारण करेगा।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को विधेयक वापस लेने की सभा की अनुमति है ?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।/ *The bill was by leave withdrawn.*

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 22, और 32 का संशोधन और अनुच्छेद 359 का हटाया जाना)

(Amendments of articles 22, 32 and Omission of article 359)

सभापति महोदय : अब हम श्री मधु लिमये का संविधान (संशोधन) विधेयक लेंगे। इस के लिये दो घण्टे निर्धारित किये गये हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The bill which I am introducing in this House is an important bill. At present the question of continuance of emergency and D.I.R. is very widely being discussed in the country. It has been expressed by many prominent persons that circumstances have now substantially changed and time has now come when emergency and D.I.R. should be lifted. It was hoped that while giving reply to the debate on the President's Address, the Prime Minister would declare that emergency and D.I.R. had been lifted. But she has not done so, for reasons best known to her. I do not know whether she has done so for the interests of Congress Party or her personal interest or national interests. But I can say if emergency and D.I.R. are lifted it would be in the interests of Congress, her personal popularity and the nation as a whole.

Now I come to the main points of this bill. Firstly,the Bill seeks to amend article 22(4) of the Constitution and secondly, so far as the question of emergency is concerned there is an article 359 in the Constitution which provides that while a proclamation of emergency is in operation the fundamental rights conferred upon the citizens would not be enforceable by a court of law. Likewise there is another article 32 in the Constitution which provides that the fundamental rights guaranted by the Constitution would be enforceable by a court of law but at the same time it has been provided in sub clause (4) to article 32 that this right to move a court of law for the enforcement of fundamental rights would remain suspended during special circumstances and those special circumstances are while the Proclamation of emergency by the President is in operation.

The main object of my amendment is that nobody should be detained without executing legal proceedings against him and giving him proper opportunity to defend himself during normal time. The Preventive Detention Act should be declared unvalid during normal circumstances.

So far as emergency period is concerned, I agree that Government should have discretionary powers because it is not possible during emergency that every

one might be produced before a court of law. So during emergency Government can make use of Preventive Detention Act. But during emergency also the fundamental rights conferred by the Constitution should not be suspended.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

I want to say that people are being detained under rule 30 (a) of the Defence of India Rules indiscriminately and the result is that even in democracy Government are behaving in a way in which Britishers used to behave. Government says that anti national elements are being supressed. But people are being arrested for political reasons. The way in which Defence of India Rules are being implemented or resorted to indicates that Government are acting as a dictatorship Mr. George Fernadize, whose patriotism cannot be suspected by anybody was arrested by Government in 1963 for political reasons. The Defence of India Rules have been used for suppressing the independence of the Press. There are many cases in which people have been arrested without any reason. The case of a small kerosene oil dealer, who was arrested without any reason and in whose case the Supreme Court have given its judgement is well known to all of us. I am not talking about left Communists, because Government may say that they are traitors and they are allies of China. But I can say the persons like Mr. Gopalan may have some connections with China, but they can never be traitors. Government have totally failed to prove them traitors. The Supreme Court have decided that rule 30(a) of the Defence of India Rules is unconstitutional. The Defence of India Rules are in controvention of article 14 and 21 of the Constitution.

So I want that article 359 should be omitted once for all. The fundamental rights guaranteed by the Constitution should always be enforceable by the High Court or the Supreme Court, whether emergency or no emergency. So far as emergency is concerned, I agree that Government should have powers to detain persons under article 22, but I want that the persons so detained should be informed about the reasons of their detentions, they should be given opportunity to explain their position and there should be an Advisory Board to examine their case. So I want that article 22 may be amended accordingly.

I want to draw the attention of this House to a warning given by Shri Tyagi to Dr. Ambedkar, when this Constitution was being framed, that the articles empowering Government to have discritionary powers would be used by Government against the framer of the Constitution *i.e.*, against Dr. Ambedkar himself. Fortunately, he is no more. But these powers are being used against his followers and people at large are being detained without any reason. So my request is that Goverment should have no power to detain any body during normal times. During emergency Government should be empowered to detain persons under article 22, but article 22 should be in amended form as suggested by me.

In this connection I would like to say a few words about the Constitution of other countries also. In America article 14 of their Constitution says:

> "Nor shall any body be deprived of his life, liberty or property without due process of law".

That means that in America a person can be punished only under general law. There is no preventive detention there in normal times and no body can be arrested excepted by due process of law. The privilege of the writ of *habeas corpus*

[Shri Madhu Limaye]

given to American citizens is suspended only during emergency ; which is evident from the following provision of their Constitution :

"The privilege of the writ of *habeas corpus* shall not be suspended unless when in cases of rebellion or invasion the public safety may require it".

So far as the Britishers are concerned they had to face the gravest danger in history during second world war. Their very existence was in danger. There was a time, when British alone was fighting against the Nazi and Fascist forces and struggling for her existence. But during that difficult and the gravest period in his history personal liberty of their citizens was not subject to indiscriminatory detentions and under no circumstance the preventive detention was resorted to with mal-intentions. This power had never been misused by them. In this connection, I would like to quote a few lines from a letter written by Mr. Churchill to his Home Minister, which will indicate how much conscious they were to see that personal liberty should not be supressed. He has written this letter in connetion with the release of Mr. Mosleys, who was a Fascist leader. The letter says "I expect you will be questioned about the release of Mr. Mosleys. No. doubt the pitch of your case is health and humanity. You might however consider whether you should not unfold as a back ground the great principle of *habeas corpus* and trial by jury, which one the supreme protection invented by the British people for ordinary individuals against the state. The power of the Executive to cast a man into prison without formulating any charge known to the law and particularly to deny him the judgement by his peers for an indefinite period, in the highest degree odious, and is the foundation of all totalitarian Governments, whether Nazi or Communists. It is only when extreme danger to the state can be pleaded that this power may be temporarily assumed by the Executive, and even so its working must be interpreted with the utmost vigilance by a Free Parliament. As the danger passes persons so imprisoned, against whom there is no charge, which courts and juries would accept, should be released, as you have been steadily doing. Extraordinary powers assumed by the Executive with the consent of Parliament in emergencies should be yielded up when and as the emergency declines. Nothing can be more abhorrent to democracy than to imprison a person or keep him in prison because he is unpopular. This is really the test of civilisation ".

Tashkent agreement has been signed and Government have no intention to fight against China, so I request that as emergency declines Government should yield up the extraordinary powers assumed by Government during emergency. I know that the ruling party has an absolute majority and my amendments may be negatived easily, but I appeal that my amendments should be accepted. If my amendments are accepted, democracy would flourish in India and there would be personal liberty.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री नि० चं० चतर्जी (बर्दवान) : आपात काल को समाप्त करने की मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है । यह विधेयक बहुत उचित समय पर पेश किया गया है तथा इस के लिये श्री मधु लिमये बधाई के पात्र हैं ।

मुझे कई दफह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है । वर्ष 1955 में पहले राष्ट्रमंडलीय विधि सम्मेलन में भाग लेते हुये मैंने गर्व के साथ घोषणा की थी कि हम ने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की है अपितु हम ने एक ऐसा संविधान बनाया है जो संसार में अपूर्व है और जिसके अधीन प्रत्येक नागरिक के, मूलभूत अधिकार जैसा कि

वाक्-स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य, समता अधिकार तथा अन्य मानवीय अधिकार सुरक्षित है। इस के अतिरिक्त भारत के प्रत्यक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन यह अधिकार है कि यदि संविधान में प्रतिभूतित उस के मूलभूत अधिकारों का हनन किया जाता है तो वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिये न्यायालय में जा सकेगा। परन्तु बड़े दुःख की बात है कि तथाकथित आपातकाल के नाम पर इन सब मूलभूत अधिकारों का हनन कर दिया गया है। वास्तव में अनुच्छेद 358 और 359 संवैधानिक तानाशाही के प्रतीक हैं। वास्तव में अनुच्छेद 359 संविधान पर एक कलंक है और इस अनुच्छेद का वास्तविक अर्थ मूलभूत अधिकारों को समाप्त करना है। आपात की स्थिति और भारत रक्षा नियमों को बिना किसी औचित्य के जारी रखा जा रहा है। भारत रक्षा नियम मूलभूत अधिकारों और संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 तथा अन्य बुनियादी मानवीय अधिकारों के विरुद्ध हैं। तीन भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपतियों, प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्रियों, उपकुलपतियों, पत्रकारों और वकीलों ने राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री से प्रार्थना की है कि आपातकालीन स्थिति बिना किसी विलम्ब के समाप्त की जाय। आशा की जाती है कि प्रधान मंत्री तदनुसार कार्यवाही करेंगी और भारत के प्रजातंत्र पर लगे इस कलंक को शीघ्र दूर करेंगी। अब में अनुच्छेद 359 का उल्लेख करता हूं, जिस में सरकार को असीम शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि जहां आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है वहां राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि भाग 3 द्वारा दिये गये अधिकारों में से ऐसे अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये, जैसे कि आदेश में वर्णित हों, किसी न्यायालय के प्रचालन का अधिकार तथा इस प्रकार वर्णित अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये किसी न्यायालय में लंबित सब कार्यवाहियां उस कालावधि के लिये, जिस में उद्घोषणा लागू रहती है, अथवा उस से छोटी ऐसी कालावधि के लिये, जैसी कि आदेश में उल्लिखित की जाये, निलम्बित रहेगी।

इस का अर्थ यह हुआ कि इस अनुच्छेद से सारे मूल अधिकार न केवल निलम्बित हो जाते है, अपितु वे पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। कार्यपालिका को केवल एक अधिसूचना जारी करनी होती है और उसके आधार पर अनुच्छेद 19 तथा अन्य अनुच्छेद स्वतः निलम्बित हो जाते हैं। एक संसद् सदस्य न्यनतम पांच लाख मतदाताओं द्वारा निर्वाचित हो कर आता है तथा तेरह सदस्यों को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया है जिसका अर्थ यह है कि एक करोड़ तीस लाख लोगों को अनुच्छेद 358 तथा आपातकाल की घोषणा के नाम पर मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। क्या यह लोकतंत्र का उपहास नहीं है ?

किसी भी संविधान में अनुच्छेद 358 अथवा 359 जैसा कोई उपबन्ध नहीं है। इंग्लैंड में भी यदि बन्दी प्रत्यक्षीकरण का निलम्बन करना होता है तो संसद् द्वारा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निलम्बन अधिनियम बनाना आवश्यक है। परन्तु यहां अनुच्छेद 358 तथा 359 के अन्तर्गत यह स्वतः किया जा सकता है। इन अनुच्छेदों को निकाल दिया जाना चाहिये।

आशा की जाती है कि सरकार जनता की भावनाओं को ध्यान में रखेगी और हमारे संसदीय लोकतंत्र को, विधि के शासन के मूल सिद्धांतों की निन्दाजनक अवहेलना से बचाने के लिये कुछ करेगी।

श्री रंगा (चित्तुर) : श्री चटर्जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कही है। इस विधेयक से सरकार के अधिकारों को किसी प्रकार कम नहीं किया जा रहा है। इस का उद्देश्य तो केवल यही है कि सरकार लोगों को संकटकालीन स्थिति में बिना कारण बन्दी न बनाये। हम में से बहुत से व्यक्तियों को अंग्रेज़ों के शासन काल में बन्दी रहना पढा था। उस समय हमें पता रहता था कि हमें कितने दिन बन्दी रहना है। बिना किसी मुकदमें के बन्दी रखना उचित नहीं है। अब यह सरकार निवारक निरोध अधिनियम द्वारा दिये गये अधिकारों से भी अधिक अधिकार रखना चाहती है। भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत बन्दी बनाने के बारे में कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई

इस विधयक का उद्देश्य यह है कि संकटकालीन स्थिति में आप अधिकार रखें परन्तु सामान्य स्थिति में नहीं। यह एक उचित बात है। सरकार को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। हम चाहते

[श्री रंगा]

हैं कि सरकार इन अधिकारों का प्रयोग उचित प्रकार से करे। जब चीन का आक्रमण हुआ तो सभी दलों ने सरकार की कार्यवाहियों का समर्थन किया था और संकट कालीन स्थिति की घोषणा के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की थी और सरकार को सहयोग दिया था।

खेद की बात है कि सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा है। लड़ाई समाप्त हो गई है और युद्ध-विराम भी हो गया है परन्तु सरकार संकट काल को जारी रखना चाहती है। सरकार ने अपने इन अधिकारों का अनुचित लाभ भी उठाया है।

देश के नागरिकों के मूल अधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया है। लोगों की स्वतंत्रता की भावनाओं को दबाया जा रहा है। इसके बाद भारत-पाकिस्तान संघर्ष की बात कही जाने लगी। अब ताशकंद घोषणा हो चुकी है। अब तो संकटकालीन स्थिति को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर एक संशोधन भी प्रस्तुत किया था। अब मेरा गृह-कार्य मंत्री से अनुरोध है कि वे इस विधेयक को स्वीकार कर लें। भारत रक्षा नियम वापिस ले लिये जायें और सरकार ने जो जनता के अधिकार समाप्त कर दिये है उन्हें पुनः दे दिया जाये।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : केरल में वामपंथी साम्यवादियों की सफलता का कारण उनके नेताओं को बन्दी बनाना है इसके लिये श्री नन्दा जिम्मेदार हैं। अब प्रश्न यह है कि कार्य-पालिका, जो कि सारे भारत की जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों को उत्तरदायी संस्था है, ऐसे काम नहीं कर सकती जो लोगों के अधिकारों के विरुद्ध हो। कार्यपालिका को मनमानी करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

संसद ने निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। यह कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश नहीं है। कुछ लोग यदि यह समझते हैं कि सरकार अपने अधिकारों का अनुचित लाभ उठा रही है तो संसद् उन अधिकारों को वापिस ले सकती है। सरकार को संसद् की भावनाओं पर ध्यान देना चाहिये और आपातकालीन कानूनों को जारी रखनेपर पुनः विचार करना चाहिये। हमें संविधान के उपबन्धों में परिवर्तन नहीं करना चाहिये क्योंकि ये तो सामान्य जनता के हितों को समक्ष रखकर तैयार किये गये थे।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता-पूर्व) : मैं श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का समर्थन करता हूं। भारत के लोग, चाहे उनके राजनैतिक विचार कैसे भी हो, संकटकालीन स्थिति के जारी रखने की निन्दा कर रहे है।

केरल में चुनाव के समय सरकार ने साम्यवादियों को बन्दी बना दिया था और उन लोगों को देशद्रोही का नाम दिया परन्तु वहां के लोगों ने कांग्रेस को हटा दिया। सरकार ने संकटकालीन स्थिति के कारण प्राप्त अधिकारों का बहुत अनुचित लाभ उठाया है। पश्चिमी बंगाल में मज़दूरों के विरुद्ध इनका दुरुपयोग किया गया था।

मैं निवारक निरोध के विरुद्ध हूं। जबकि लोगों को बिना मुकदमा चलाये बन्दी बना लिया जाता है। हम जानते है कि संसद्-सदस्यों तथा विधायकों को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। 1952 में चुनाव के समय हमें बन्दी बना दिया गया था और हमने जेल में होते हुए चुनाव लड़ा और कांग्रेसियों को हराया।

सरकार निवारक निरोध अधिनियम का अनुचित रूप से प्रयोग कर रही है। ताशकन्द समझौते के बाद भी कई मुस्लिम नेताओं को रिहा नहीं किया गया है। उनमें से बहुत से ऐसे है जिनपर मुकदमा भी नहीं चलाया गया है।

इस प्रकार के कानूनों को हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने निन्दनीय कहा था । गांधी जी ऐसे कानूनों के विरुद्ध थे । कांग्रेस वाले जब से शासक बने है यह कानून इन के अनुसार देश के हित में हैं । मैं इस को समझ नहीं पाया । सरकार को ऐसे कानून वापिस ले लेने चाहियें । यह समूचे देश के हित में होगा । संकटकालीन स्थिति समाप्त कर देनी चाहिये और श्री मधु लिम्ये का विधेयक स्वीकार कर लेना चाहिये । यह लोकतंत्रीय परम्पराओं के हित में है ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री की ओर से आश्वासन दिये जाने के बाद इस विधेयक की कोई आवश्यकता ही नहीं है । यह विधयक की मधु लिमये द्वारा लाया गया है जिनके संसदीय तजुर्बे के लिये मेरे मन में बड़ा आदर है ।

अब लोग कहते है कि हालात बदल गई है और इस लिये देश में आपातकालीन स्थिति नहीं है । यह भी कहा जाता है कि इसे ही केवल कुछ विशेष व्यक्तियों को बन्दी बनाय रखने के लिये जारी रखा गया है । मेरे विचार में यह थोड़े से मामलों को लेकर आप इसकी विशेषता को कम कर रहे है ।

अभी कल ही हम मिज़ो के मामलेपर चर्चा कर रहे थे । ऐसे ही कश्मीर में भी जनमत संग्रह दल है पंजाब में कभी कभी लोगों से कहा जाता है कि वे अपने कर न देवें । इस लिये यदि आप भारत के चित्र पर दृष्टि दौड़ावें तो आपको दिखाई देगा कि वातावरण इतना शांत नहीं है जितना होना चाहिये । इस देश में एसे नेता है जो गड़ बड़ करना चाहते है ।

केरल के एक सदस्य ने यहां इतना तक कह दिया कि वह क्यों अपने आदमियों से कहें कि वह एक दिन खाना छोड़ दे ताकि अकसाई चिन में सड़क बनाई जा सके । मै आपसे पूछता हूं कि क्या बोलने की स्वतंत्रता का इतना ग़लत उपयोग किया जा सकता है । यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे उच्च न्यायालयों में जाने का पूरा अधिकार है ।

इस लिये मेरे विचार में यह परन्तुक बड़ी सावधानी से बदला गया है और जिसे न्यायालय पुनरावर्तन कर सकते है । जब तक देश में आन्तरिक आपात है हमें इस परन्तुक की आवश्यकता है । साथ ही प्रधान मंत्री ने जो आश्वासन दिया है कि लोगों के मूल अधिकारों को कम नहीं किया जायगा तो उसे सदा ध्यान में रखें । मै इस विधयक का विरोध करता हूं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय इस देश में वह सारे व्यक्ति जो सद्भावी है और जिन व्यक्तियों की लोकतंत्र में निष्ठा है, जो विधि का शासन चाहते है जोकि हमारे संविधान में दिय गये है, वह सब एक स्वर से यह कहेंगे कि समय की पुकार आपात को उठाने के हक में है । जो इसके विरुद्ध ह उनकी आवाज अधिक तर दल के हित के लिय है न कि इस कारण कि यह वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है । मै तो एक ही कारण देखता हूं जिस में ऐसे कानून को जारी रखा जा सकता है और वह है कि देश पर बाहर से सान्निकट आक्रमण का ख़तरा हो । क्या सरकार कह सकती है कि ऐसा ख़तरा है ।

मेरे एक मित्र ने श्री सीतलवाद का ज़िक्र किया जो कि भारत के भूतपूर्व महान्यायवादी है उन्होंने निडरता से अपने विचार व्यक्त किये है और जो मै समझता हूं कि ठीक ही है । इसी प्रकार भारत के भूतपूर्व तीन मुख्य न्यायाधिपतियों ने भी आपात के कानूनों को समाप्त करने के हक में आवाज़ उठाई है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मै यह तो नहीं कहता कि संविधान के अनुच्छेद 359 तथा अनुच्छेद 324 को एकदम समाप्त कर दिया जावे । इस पर कभी विचार हुआ तो यहां सदन में लाने से पहले हमें इसे इसकी उपयुक्त समिति को भेजना चाहिये । इस लिये इस विधेयक से हमें एक ही निष्कर्ष निकालना चाहिये कि सरकार को यहां व्यक्त किये गये विचारों के आधार पर आपातकालीन अधिकार शक्तियां समाप्त कर देनी चाहिये ।

समाप्त करने से पहले मै यह याद दिला दूं कि प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि आपालीतकान अधिकारों को बिना आवश्यकता एक दिन भी जारी नहीं रखा जावेगा । मेरे विचार से कुछ अनावश्यक दिन पहले ही बीत चुके है और इसे शीघ्र समाप्त किया जावे ।

Shri Sheo Narain (Bansi) :Mr. Deputy Speaker, my hon. friend just now stated that detention beyond three months is not allowed. But I have before me a decision of the Supreme Court which is against in what has been said. People quote late Shri Jawaharlal Nehru but I must say that emergency measures were promulgated when Shri Nehru was alive. It has been stated in this house that the situation in Mizo Hills as well as on our borders with China and Pakistan is not well. Still they say that there is no need for emergency powers. In these circumstances the detention provisions are quite reasonable.

In article 359 of the Constitution there is a provision for the suspension of the Fundamental Rights. The Supreme Court also has held the detention of Shri Gopalan as *intra-vires.* and not *ultra-vires* There is nothing wrong with .it. When our Government is sincere we should abide by its assurances. We do not want to curb the freedoms of citizens. I appeal to the Government to consider about the Preventive Detention Act and D.I.R. after establishment of peace. I oppose this Bill.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Mr. Deputy Speaker, I support this Bill. I move that time for this Bill be extended by one hour.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक के लिये समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाये"

जो इस प्रस्ताव के हक में हैं अपने स्थानों पर खड़े हो जायें ।

उनकी संख्या 14 है ।

जो इसके विरुद्ध है वह अपने स्थानों पर खड़े हो जायें ।

उनकी संख्या बहुत है ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ / *The motion was negatived*

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Deputy Speaker, if the Government thinks that they want to have a law to detain the traitors in this country with the help of these emergency powers, my reply is that there are other laws whereby they can be detained. But this Government is using all these measures for the good of its party only. The former Law Minister of the Government has now spoken against these emergency measures. Even Shri Hathi will agree with me if I ask his opinion on it privately.

These measures are being used to suppress the opponents whether in political field or in official field. All the big people in India including people from Congress benches are against these measures. I think that this Bill which is before the House should be passed. It is a fact that emergency measures have been used for the benefit of party.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : मैंने सारे सदस्यों के भाषणों को ध्यान से सुना है। श्री मधु लिमये, प्रोफसर रंगा तथा श्री चतर्जी के भाषणों से यह मालूम हुआ कि वे इस विधेयक के हक में इतने नहीं बोले जितने आपातकालीन अधिकारों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में बोले।

हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। परन्तु कुछ ऐसे अवसर भी आते है जब नागरिको को इन से वंचित किया जाता है।

प्रधान मंत्री ने स्वयं कह दिया है कि वह उन्हें आवश्यकता से अधिक एक दिन के लिये भी नहीं रखेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अगले दिन अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा-विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल
Strike by Employees of India Audit and accounts Department

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I called attention of the Minister of Finance to the following matter of urgent public importance and I request him to make a statement thereon :—

"Stricke by Indian Audit and Accounts Department employees".

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B.R. Bhagat): Full information on its subject is not available and the Comptroller and Auditor General is also not here. Therefore, I want your permission to make a statement on it in the next month after obtaining full facts.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वे अपना वक्तव्य मंगलवार को देंगे ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मुझे एक दिन और दे दीजिये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह मामला ऐसा है कि इसका संबंध केवल वित्त मंत्री से ही नहीं है अपितु गृह-कार्य मंत्री से भी है । इसलिये हमारी प्रार्थना यह है कि गृह-कार्य मंत्री भी वक्तव्य दें ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं तो केवल अपनी ओर से आश्वासन दे सकता हूं । मैं गृह-कार्य मंत्री की ओर से कुछ नहीं कह सकता । मुझे उन से पूछना पड़ेगा ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पैंतालीसवां प्रतिवेदन
Forty-Fifth Report

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का पैंतलीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 8 मार्च, 1966/17 फाल्गुन 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, March 8, 1966/ *Phalguna* 17, 1887 (*Shaka*)

भा.न.मु.ना.—मे. ४—३० लोक सभा।६६—२२-६-६७—६००.